पंचम माला, खंण्ड 44, अंक 38, सोमवार, 9 सितम्बर, 1974/18 भाद्र 1896 (शक)

Fifth Series, Vol. XLIV, No. 38, Monday, September 9, 1974/Bhadra 18, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र
Eleventh Session]

[खंण्ड 44 में अंक 31 से 38 तक हैं
Vol. XLIV contains Nos. 31 to 38]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and Contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची Contents

अंक 38, सोमवार, 9 सितम्बर, 1974/18 भाद्र, 1896 (शक)

No. 38, Monday, September 9, 1974/Bhadra 18, 1896 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	Re. Adjournment Motions	1
हिन्दुस्तान टाइम्स, में प्रकाशित समाचार के लिए हिन्दुस्तान टाइम्स के सम्पादक द्वारा क्षमा याचना के बारे में अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा	Announcement by Speaker re. Apology tendered by the Editor of the Hindustan Times for news report published in the paper	1
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	2
अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों में संशोधन सभा पटल पर रखा गया	Amendment to Directions by Speaker-Laid	6
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha . . .	7
राष्ट्रीय कैडेट कोर (संशोधन) विधेयक–	National Cadet Corps (Amendment) Bill	7
रेलवे अभिसमय समिति	Railway Convention Committee	7
दूसरा प्रतिवेदन	Second Report . .	7
आपात स्थिति की उद्घोषणा को जारी रखने के बारे में वक्तव्य	Statement re. continuance in force of the Proclamation of Emergency . .	7
श्री उमा शंकर दीक्षित	Shri Uma Shankar Dikshit .	7
7 अगस्त, 1974 को अहमदाबाद में पुलिस द्वारा पत्रकारों को पीटे जाने के समाचार के बारे में वक्तव्य	Statement re. alleged beating of newsmen by police in Ahmedabad on 7th August, 1974	10
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F.H. Mohsin .	10
दिल्ली विक्रय कर विधेयक	Delhi Sales Tax Bill	11
प्रवर समिति में सदस्यों की नियुक्ति	Appointment of Members to Select Committee	11
केन्द्रीय और अन्य सोसाइटियों (विनियमन) विधेयक	Central and other Societies (Regulation) Bill	11

विषय		पृष्ठ
	SUBJECT	PAGES
संयुक्त समिति में शामिल होने केलिए राज्य सभा की सिफारिश से सहमति	Concurrence in recommendation of Rajya Sabha to join in Joint Committee	11
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 1974-75	Supplementary Demands for Grants (Railways), 1974-75	14
प्रो० नारायण चन्द पाराशर	Prof. Narain Chand Parashar .	14
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	15
श्रीमती पार्वती कृष्णन्	Shrimati Parvathi Krishnan	16
श्री रणबहादुर सिंह	Shri Ranabahadur Singh	17
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी	Shri N.K. Sanghi	17
श्री पी० बी मेहता	Shri P.B. Mehta . .	18
श्री स्वामी ब्रह्मानन्दजी	Shri Swami Brahmanandji .	19
श्री राम कंवर	Shri Ramkanwar .	19
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad	19
श्री राम देव सिंह	Shri Ram Deo Singh	20
श्री आर० एन० बर्मन	Shri R.N. Barman	21
श्री राम हेडाऊ	Shri Ram Hedaoo	23
श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव	Shri R.P. Yadav	23
श्री शिव कुमार शास्त्री	Shri Shiv Kumar Shastri .	24
श्री एल० एन० मिश्र	Shri L. N. Mishra . . .	25
विनियोग (रेल) सं० 4 विधेयक, 1974-पुरः स्थापित	Appropriation (Railways) No. 4 Bill, 1974—Introduced	32
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	32
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee .	32
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	33
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	33
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar	34
श्री एल० एन० मिश्र	Shri L.N. Mishra	34
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	35
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	35

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक	Payment of Bonus (Amendment) Bill .	36
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha . . .	36
श्री बाल गोविन्द वर्मा	Shri Balgovind Verma	36
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya .	36
श्री पी० बी० मेहता	Shri P.B. Mehta . .	36
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee	36
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1 . . .	36
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass .	37
सैन्ट्रल प्राविन्सिज मैंगनीज और कम्पनी लि० के शेयर के प्रस्तावित अन्तरण के बारे में वक्तव्य	Statement re. proposed transfer of share of Central Provinces Manganese Ore Company, Ltd. . . .	37
श्री सुबोध हंसदा	Shri Subodh Hansda . .	37
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अरब की सराय, नई दिल्ली में 5 सितम्बर, 1974 को हुई घटना के बारे में वक्तव्य	Statement re. Incident on 5-9-1974 at Industrial Training Institute, Arab-Ki-Sarai, New Delhi	38
श्री राम निवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha . .	38
बिहार के कुर्था नगर में 5 सितम्बर, 1974 को पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के बारे में वक्तव्य	Statement re. Police firing at Kurtha town in Bihar on 5-9-1974 . . .	39
लाइसेंस देने के बारे में वाणिज्य मंत्रालय को दिये गये अभ्यावेदन पर लोक सभा के 21 सदस्यों के कथित हस्ताक्षरों से सम्बद्ध मामले की जांच करने के लिए संसदीय समिति गठित करने के बारे में प्रस्ताव	Motion re. constitution of Parliamentary Committee to examine matter relating to alleged signatures of 21 Members of Lok Sabha on a Representation to Ministry of Commerce about grant of Licences	41
श्री अटल बिहारी बाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee .	41
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandrajit Yadav	49
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu .	50
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी	Shri Priya Ranjan Das Munsi .	53
श्री सरजू पांडेय	Shri Sarjoo Pandey	57

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami ..	58
श्री ईरा सेझियान	Shri Sezhiyan	59
श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय	Shri D.P. Chattopadhyaya	60
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	63
श्री बी० आर० भगत	Shri B.R. Bhagat	66
श्री मधु दन्डवते	Shri Madhu Dandavate	67
श्री एच० के० एल० भगत	Shri H.K.L. Bhagat	69
श्री जनेश्वर मिश्र	Shri Janeshwar Mishra	70
श्री शंकर दयाल सिंह	Shri Shankar Dayal Singh .	70
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar . . .	71
श्री उमा शंकर दीक्षित	Shri Uma Shankar Dikshit	72

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 9 सितम्बर, 1974/18 भाद्र, 1896 (शक)
Monday, September 9, 1974/Bhadra 18, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

स्थगन प्रस्तावों के बारे में
RE ; ADJOURNMENT MOTIONS

श्री एस० एम० बनर्जी: (कानपुर) : मैं माना शिविर घटना के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं.....

Mr. Speaker: Business Advisory committee takes a decision and the House gives its approval to that and even then you are raising such matters.....

श्री एस० एम० बनर्जी : चूंकि इस घटना में तीन व्यक्ति मारे गये हैं, जिनमें एक महिला भी थी अतः मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप पुनर्वास मंत्री से इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देने को कहें और सरकार न्यायिक जांच के बारे में घोषणा करे।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): We had decided that we would not bring Adjournment motion and so, I did not give any notice. But this incident was very tragic. Some refugees have been shot dead in that incident. You may please ask the home Minister to make a statement in this regard.

Mr. Speaker: Since you had decided not to bring an Adjournment Motion, I did not have a look at the notices for Adjournment motions. I will see them to day and it necessary, I will ask the Minister to make a statement in this regard.

हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार के लिए हिन्दुस्तान टाइम्स के सम्पादक द्वारा क्षमा याचना के बारे में अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा
ANNOUNCEMENT BY SPEAKER RE. APOLOGY TENDERED BY THE EDITOR OF THE HINDUSTAN TIMES FOR NEWS REPORT PUBLISHED IN THE PAPER

अध्यक्ष महोदय : मैंने 4 सितम्बर, 1974 को इस सभा का ध्यान दिनांक 4 सितम्बर, 1974 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया था, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि समुचित स्रोत के अनुसार लोक सभा के अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त करने के बाद केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले में कार्यवाही की।

अब मुझे "हिन्दुस्तान टाइम्स" के सम्पादक से दिनांक 5 सितम्बर, 1974 का एक पत्र-प्राप्त हुआ है, जो इस प्रकार है :—

"मुझे बहुत खेद है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आयात लाइसेंस के मामले में की जा रही जांच के सम्बन्ध में 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार में, आपकी अनुमति के बिना, आपके नाम का उल्लेख किया गया है।

जैसाकि आपने सदन में उल्लेख किया था, ऐसा आपकी अनुमति से ही किया जा सकता था। ऐसा असावधानी के कारण हुआ है। फिर भी, मैं इसके लिये क्षमा याचना करता हूं। मैं आपको इस बात का पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि अध्यक्ष के गरिमापूर्ण पद पर आक्षेप लगाने का मेरा कोई विचार नहीं था।"

मैं इसकी प्रशंसा करता हूं क्योंकि 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के सम्पादक ने इसे कार्यवाही वृत्तान्त में पढ़ा और यह अनुभव कर उन्होंने स्वयं ही ऐसा किया है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE

उद्योग विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1951 के अधीन प्रतिवेदन

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मैं श्री सी० सुब्रह्मण्यम की ओर से अद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 7 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) चमड़े तथा चमड़े का सामान सम्बन्धी उद्योग विकास परिषद् का वर्ष 1971-72 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) चमड़े तथा चमड़े का सामान सम्बन्धी अद्योग विकास परिषद् का वर्ष 1972-73 का. वार्षिक प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 8403/74]

श्री एस० एम० बनर्जी : (कानपुर) : मंत्री महोदय ने 1971-72 और 1972-73 के उक्त प्रतिवेदन, विलम्ब के कारण बताये बिना, सभा-पटल पर रख दिये हैं।

Mr. Speaker: I will see whether reasons for delay have been received in the office or not. If they have not been received, I will convey your protest to the hon. Minister.

वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा गुजरात राज्य विधान मंडल शक्तियों का प्रत्यायोजन अधिनियम 1974 के अधीन अधिसूचनाएं

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : मैं श्री बी० पी० मोर्ये की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 63 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) वन्य प्राणी (पशु धन घोषणा) नियम, 1974, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 14 अगस्त, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सा०नि० 365 (इ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) वन्य प्राणी (संव्यवहार तथा चर्मप्रसाधन) नियम, 1974, जो भारत के राजपत्र दिनांक 14 अगस्त, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सा०नि० 366 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गईं। देखिये संख्या एल० टी० 8404/74]

(2) गुजरात राज्य विधान मन्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1974 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत गुजरात निजी वन (अर्जन) संशोधन अधिनियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (1974 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 9) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 23 जुलाई, 1974 में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखी गईं। देखिये संख्या एल० टी० 8405/74]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (स्वतः निकासी प्रक्रिया) सम्बन्धी समीक्षा समिति का प्रतिवेदन तथा गुजरात विक्रय कर अधिनियम, 1969 के अधीन अधिसूचनाएं आदि

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (स्वतः निकासी प्रक्रिया) सम्बन्धी समीक्षा समिति के प्रतिवेदन खण्ड i और ii की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ उसका हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 8406/74]

(2) गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात विक्रय कर अधिनियम, 1969 की धारा 49 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित गुजरात अधिसूचनाओं (हिन्दी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) अधिसूचना (जी एच एन-246) जी एस टी-1074/(एस-49)-(30)/टी एच, जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 25 मार्च, 1974 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 29 अप्रैल, 1970 की अधिसूचना संख्या (जी एच एन-627) जी एच टी-1070/(एस-49)/टी एच में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(दो) अधिसूचना संख्या (जी एच एन-255) जी एच टी-1074/(एस-49)-(31)/टी एच, जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 25 अप्रैल, 1974 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 29 अप्रैल, 1970 की अधिसूचना संख्या (जी एच एन-627) जी एच टी-1070/(एस-49)/टी एच में कतिपय संशोधन किये गये हैं

(तीन) अधिसूचना संख्या (जी एच एन-261) जी एस टी-1074/(एस-49)/(32)-टी एच, जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 9 मई, 1974 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 29 अप्रैल, 1970 की अधिसूचना संख्या (जी एच एन-627/जी एस टी-1070/(एस-49)/टी एच में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

[ग्रन्थालय में रखी गईं । देखिये संख्या एल० टी० 8407/74]

(3) गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजरात विक्रय कर अधिनियम, 1969 की धारा 86 की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित गुजरात अधिसूचनाओं (हिन्दी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) गुजरात विक्रय कर (संशोधन) नियम, 1974, जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 2 अप्रैल, 1974 में अधिसूचना संख्या (जी एच एन-230) जी एस आर 1074/(11)-टी एच में प्रकाशित हुए थे।

(दो) गुजरात विक्रय-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1974, जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 16 अप्रैल, 1974 में अधिसूचना संख्या (जी एच एन-252) जी एच आर-1074/(12)-टी एच में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) गुजरात विक्रय-कर (तीसरा संशोधन) नियम, 1974, जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 29 मई, 1974 में अधिसूचना संख्या (जी एच एन-266)-जी एस आर-1074/(13)-टी एच में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गईं । देखिये संख्या एल० टी० 8408/74]

(4) गुजरात राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित बम्बई मोटर गाड़ी स्प्रिट विक्रय कराधान अधिनियम, 1958 की धारा 36 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित गुजरात अधिसूचनाओं (हिन्दी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) बम्बई मोटर गाड़ी स्प्रिट विक्रय कराधान (गुजरात दूसरा संशोधन) नियम, 1974 जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 25 अप्रैल, 1974 में अधिसूचना संख्या (जी एच एन-266)-एम एस ए-1074/(21)-टी एच में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बम्बई मोटर गाड़ी स्प्रिट विक्रय कराधान (गुजरात तीसरा संशोधन) नियम, 1974 जो गुजरात सरकार राजपत्र दिनांक 21 मई, 1974 में अधिसूचना संख्या (जी एच एन-264)-एम एस ए-1074/(22)-टी एच में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गईं । देखिये संख्या एल० टी० 8409/74]

(5) संविधान के अनुच्छेद 357 (1) के खण्ड (ग) के अनुसरण में राष्ट्रपति के दिनांक 14 जून, 1974 के आदेश द्वारा गुजरात की संचित निधि में से व्यय को प्राधिकृत करने के

बारे में 6 सितम्बर, 1974 को श्री ईरा सेझियान तथा अन्य सदस्यों द्वारा सभा में उठायी गयी बातों का स्पष्टीकरण करने वाला एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गई। देखिये संख्या एल० टी० 8410/84]

श्री सेझियान : (कुम्बकोणम) : जब गुजरात उद्घोषणा की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया गया था तब मैंने संवैधानिक प्रक्रिया का मामला उठाया था और कहा था कि ऐसा करना बहुत अनियमित है।

अध्यक्ष महोदय : वह 1973-74 के लिये अतिरिक्त मांगों के बारे में था। मैंने मंत्री महोदय को इससे सूचित कर दिया था।

श्री सेझियान : इस सम्बन्ध में उन्होंने अब वक्तव्य दिया है। वक्तव्य में अनेक अशुद्धियां तथा अनियमितताएं हैं जो संविधान के विरुद्ध हैं। संचित निधि के नियम कुछ भी हों, यदि वे संविधान के विरुद्ध जाते हैं, तो यह उचित नहीं है। इस मामले पर कम से कम आगामी अधिवेशन के आरम्भ में चर्चा की जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में पहले आप से चर्चा करूंगा कि इसे किस प्रकार प्रस्तुत किया जाये। मैं इस सम्बन्ध में विधि मंत्री को सूचित कर दूंगा।

व्यापार तथा व्यापार चिन्ह अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पेटेन्टस, डिजाइन तथा व्यापार चिन्ह महानियन्त्रक का वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं व्यापार तथा व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1958 की धारा 126 के अन्तर्गत पेटेंट्स डिजाइन तथा व्यापार चिह्न महानियंत्रक के वर्ष 1973-74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 8411/74]

चौथी और पांचवी लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण

संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण सभा-पटल पर रखता हूं :—

चौथी लोक सभा

(एक) विवरण संख्या 35	पांचवां सत्र, 1968

पांचवी लोक सभा

(दो) विवरण संख्या 32	दूसरा सत्र, 1971
(तीन) विवरण संख्या 23	चौथा सत्र, 1972
(चार) विवरण संख्या 16	सातवां सत्र, 1973
(पांच) विवरण संख्या 10	आठवां सत्र, 1973
(छः) विवरण संख्या 8	नवां सत्र, 1973
(सात) विवरण संख्या 8	दसवां सत्र, 1974
(आठ) विवरण संख्या 2	ग्यारहवां सत्र, 1974

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 8412/74]

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं आपका ध्यान रेल तथा नागर विमानन मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों की ओर दिलाना चाहता हूं। रेल मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि मई, 1974 की रेलवे हड़ताल में भाग लेने वाले सब कर्मचारियों को शीघ्र फिर से नियुक्त कर लिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में आठ विवरण सभा-पटल पर रखे हैं।]

श्री एस० एम० बनर्जी : हमने माननीय रेल मंत्री और प्रधान मंत्री से अनुरोध किया था कि उन रेलवे कर्मचारियों को शीघ्र पुनः नियुक्त कर लिया जाय जिन्होंने रेलवे हड़ताल में भाग लिया था और जिन कर्मचारियों ने तोड़-फोड़ की कार्यवाही की थी उन्हें मुअत्तिल किया जाये, बर्खास्त न किया जाय लेकिन उक्त आश्वासन को पूरा नहीं किया गया है। दूसरे, एयर इंडिया के विमान चालक समझौते के लिये तैयार हैं। लेकिन सरकार की ओर से उनसे विचार विमर्श के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है। सरकार को अपने वचनों का पालन करना चाहिये।

कोयला खान श्रम आवास तथा सामान्य कल्याण निधि (तृतीय तथा चौथी श्रेणी के पदों पर भर्ती) संशोधन नियम 1974 आदि

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोबिन्द वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत जारी किये गये कोयला खान श्रम आवास तथा सामान्य कल्याण निधि (तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती) संशोधन नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 10 अगस्त, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 872 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 8413/74]

भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अन्तर्गत अधिसूचना

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : मैं, श्री जगन्नाथ पहाड़िया की ओर से भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार (सातवां संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो भारत के राजपत्र दिनांक 31 अगस्त, 1974 में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 935 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 8414/74]

अध्यक्ष महोदय द्वारा दिए गए निदेशों में संशोधन

AMENDMENTS TO DIRECTIONS BY THE SPEAKER

महासचिव : मैं लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा निदेश 55 और 115 में किये गये संशोधनों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है:—

"कि राज्य सभा ने 4 सितम्बर, 1974 की अपनी बैठक में राष्ट्रीय कैडेट कोर (संशोधन) विधेयक, 1974 पास कर दिया है।"

राष्ट्रीय केडेट कोर (संशोधन) विधेयक

NATIONAL CADET CORPS (AMENDMENT) BILL

महासचिव : मैं राष्ट्रीय कैडेट कोर (संशोधन) विधेयक, 1974, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, सभा पटल पर रखता हूं:—

रेलवे अभिसमय समिति

RAILWAY CONVENTION COMMITTEE

(दूसरा प्रतिवेदन)

श्री एस० ए० कादर (बम्बई-मध्य-दक्षिण) : मैं "लेखा विधियों" सम्बन्धी रेल अभिसमय समिति, 1971 के पहले प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में रेल अभिसमय समिति, 1973 का दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

आपात स्थिति की उद्घोषणा को जारी रखने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. CONTINUANCE IN FORCE OF THE PROCLAMATION OF EMERGENCY

गृहमंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : श्रीमान्, संविधान के अनुच्छेद 352 में व्यवस्था की गई है कि यदि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हैं कि गंभीर आपात कालीन स्थिति विद्यमान है जिससे भारत की अथवा देश के किसी भाग की सुरक्षा को खतरा है चाहे वह युद्ध से अथवा बाहरी आक्रमण से अथवा आंतरिक अशांति से है, वह इस आशय की घोषणा कर सकते हैं। जिन परिस्थितियों के अन्तर्गत 3-12-1971 को आपातकालीन स्थिति उद्घोषित की गई थी उनसे सदन पूरी तरह अवगत है। अनुच्छेद 352 के खण्ड (2) के उपबन्धों के अधीन उद्घोषणा तब तक जारी रहेगी जब तक कि उसे बाद में की गई उद्घोषणा द्वारा समाप्त नहीं किया जाता है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 3066 जिसका उत्तर 21-8-1974 को दिया गया था में अन्य बातों के साथ-साथ आपातकालीन स्थिति को जारी रखने के कारण पूछे गये थे। आपातकालीन स्थिति जारी रखने के प्रश्न पर विचार करते समय देश की सुरक्षा की आवश्यकताओं को अधिकाधिक महत्व दिया गया है। तदनुसार उत्तर में सर्वाधिक महत्व सुरक्षा तथा पाकिस्तान के साथ सामान्य सम्बन्ध बनाने के

तत्सम्बन्धी विचारों को दिया गया था। असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए जिनकी गतिविधियां राष्ट्र के व्यापक आर्थिक हितों के लिए हानिकारक हैं सरकार द्वारा भारत सुरक्षा नियमों के उपबन्धों के प्रयोग के बारे में सदन को समय-समय पर सूचित किया गया था। वास्तव में देश की समूची आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए भारत सुरक्षा नियमों का प्रयोग करने के लिए संसद सदस्यों समेत अनेक लोगों द्वारा समर्थन किया गया था। चूंकि आपातकालीन स्थिति की उद्घोषणा का स्पष्ट आशय भारत सुरक्षा अधिनियम तथा नियमों का सतत प्रवर्तन करना है अत: यह आवश्यक समझा गया था कि देश की गम्भीर आर्थिक स्थिति से निपटने के लिये उसके प्रयोग का उल्लेख अतारांकित प्रश्न के दिये गये उत्तर में भी होना चाहिए। इस प्रकार उत्तर में देश की समूची आर्थिक स्थिति का उल्लेख करने का उद्देश्य देश की समूची स्थिति को बताना था।

श्रीमन् मैंने विवरण के अन्त में आए शब्द "सरकार द्वारा ध्यान में रखी गई" विवरण से निकाल दिये हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : आपातकालीन स्थिति क्यों जारी रखी जाये ?

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है। पहला प्रश्न यह था कि क्या आपातकालीन स्थिति लागू करने के लिये संसद में स्वीकार किये गये कारणों में कोई और कारण भी जोड़ा जा सकता है। अब उन्होंने एक कारण और जोड़ा है जोकि उक्त घोषणा को ही रद्द कर देता है। फिर उन्होंने प्रधान मंत्री के उक्त वक्तव्य का भी हवाला नहीं दिया है कि इस समय युद्ध की स्थिति नहीं है। मैंने भी यही कहा था कि युद्ध की स्थिति नहीं केवल आर्थिक कठिनाई की स्थिति है जिसके लिये हमारे संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। परन्तु यदि इसे वित्तीय आपात स्थिति के अर्थों में लिया जाता है तो अनुच्छेद 360 के अन्तर्गत और आगे घोषणा होनी चाहिये। वर्तमान आपात स्थिति अनुच्छेद 352 के अधीन अब आगे जारी नहीं रह सकती। मेरे इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : On a point of order, Sir.

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के वक्तव्य के पश्चात् कोई प्रश्न या चर्चा नहीं होगी। समय बहुत कम है।

All of you are standing. Nothing would go on Record. Mr. Vajpayee can have a discussion if he is so impatient, in the next session.

Shri Atal Bihari Vajpayee: Very well we would have it in the next session. But I want your ruling whether he can amend his statement ?

The Minister of Home Affairs (Shri Uma Shanker Dikshit): I have not simply read the words taken into account by the Government.

Shri Atal Bihari Vajpayee: He wants to say clearly that the economic situation has been touched.

Mr. Speaker: He has deleted the last line of the statement.

Shri Atal Bihari Vajpayee: You please read the last line.

अध्यक्ष महोदय : अन्तिम वाक्य में "सरकार द्वारा ध्यान में रखी गई" शब्द निकाल दिये गये हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इसका अर्थ प्रश्न के उत्तर में परिवर्तन करना हुआ।

Shri Atal Bihari Vajpayee: How this amendment? A reply was given to a question in the House which referred to the economic situation. The point of Shri Mishra under rule 377 was based on it.

Mr. Speaker : It is irrelevent. You put that separately.

श्री उमाशंकर दीक्षित : हमारा मुद्दा इसे आर्थिक स्थिति पर आधारित करने का नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने वक्तव्य बदला नहीं है बल्कि उन शब्दों को पढ़ा ही नहीं है। दीक्षित जी आप पढ़ ही दीजिये कि आपने आखिरी वाक्य कहां खत्म किया था।

श्री उमाशंकर दीक्षित : वक्तव्य का अन्तिम भाग इस प्रकार था :—

"चूंकि आपातकालीन स्थिति की उद्घोषणा का स्पष्ट आशय भारत सुरक्षा अधिनियम तथा नियमों का सतत प्रवर्तन करना है अतः यह आवश्यक समझा गया कि देश की गंभीर आर्थिक स्थिति से निपटने के लिये उसमें प्रयोग का उल्लेख अतारांकित प्रश्न के दिये गये उत्तर में भी होना चाहिये। इस प्रकार देश की समूची आर्थिक स्थिति का उल्लेख करने का उद्देश्य देश की समूची स्थिति को बताना है।"

इसके बाद मैंने कुछ नहीं बोला है। मैंने "सरकार द्वारा ध्यान में रखी गई" शब्द छोड़ दिये हैं।

Mr. Speaker: The omitted portion would not go on record.

Shri Madhu Limaye (Banka) : I have got a point of order on whatever has been read.

Mr. Speaker: For that you will have to abolish the rule saying that there would be no debate on the statement.

Shri Madhu Lamaye: My point is that the Hon. Minister has mixed up two subjects namely the emergency on account of economic situation, and the D.I.Rs. form provisions of which remain legal after the amergency is over. D.I.R. and emergency have no relevance to each other. We want to know whether economic situation is one of the factors to continue emergency? As pointed out by Shri Shyam Nandan Mishra the emergency declared on account of aggression would continue to curb various movements which are going on against the economic policy of the Government.

I want your ruling on that. I am of the opinion that the D.I.R. and the emergency have no relevance to each other.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हार्बर) : आपातकालीन स्थिति के कारण तथा भारत रक्षा नियमों को परिवर्तित करके हजारों राजनैतिक व्यक्ति बिना अभियोग चलाये बन्दी बना लिये गये हैं। मंत्री महोदय बतायें कि आपातकालीन स्थिति बनाये रखने से क्या लाभ है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : उक्त वक्तव्य में मंत्री महोदय ने उस अतारांकित प्रश्न का हवाला दिया है जिसके उत्तर में यह कहा गया था कि आपात स्थिति केवल आक्रमण हो जाने के कारण ही नहीं बल्कि आर्थिक अपराधों को रोकने के लिये भी आवश्यक थी, भारत रक्षा नियमों के उपयोग का आपात स्थिति से क्या सम्बन्ध है? अब कोई बाहरी आक्रमण तो है नहीं अतः इसकी आवश्यकता भी नहीं है। जहां तक आर्थिक स्थिति की बात है सो वह सरकार की 27 वर्ष तक गलत नीति का परिणाम है।

अध्यक्ष महोदय : श्री मिश्र का व्यवस्था का प्रश्न यह था कि क्या मंत्री महोदय इस प्रकार अपने वक्तव्य को घटा-बढ़ा सकते हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तरपूर्व) : क्या मैं भी अपने व्यवस्था के प्रश्न के अधीन यह मान सकता हूं कि क्या संसद मंत्री महोदय के इस उत्तर को स्वीकार करले कि जो आपात स्थिति पहले किन्हीं कारणों से लागू आ रही थी वह अब किन्हीं अन्य कारणों से जारी रहे भले ही संविधान इसकी अनुमति देता हो? और आज इस सभा के सत्र का अन्तिम दिन है।

श्री उमाशंकर दीक्षित : मैंने यह तो नहीं कहा है।

Sari Atal Bihari Vajpayee: Sir, You please look into his reply deeply. He means that Emergency provides for the use of D.I.Rs. which in turn can be used for meeting economic offence, that is to say. The proclamation is just for D.I.Rs. only. What a fun !

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आप कृपया नियम 377 के अन्तर्गत किये गये मेरे निवेदन तथा मंत्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य की तुलना कीजिये। यदि आप समझते हैं कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दिया गया है तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना है। मेरा मुख्य प्रश्न यह है कि आपात स्थिति उन आधारों पर जारी रखी जा रही है जिन्हें इस संसद ने पास नहीं किया है। अब आर्थिक अपराधों के नाम में वह आपात स्थिति जारी नहीं रख सकते.....(**व्यवधान**)

Sari Atal Bihari Vajpyee : We are leaving the House to indicate our discontent. It is a matter of fundamental rights....

इसके पश्चात् श्री समर मुखर्जी, श्री हीरेन मुखर्जी, श्री सेझियान, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री श्याम नन्दन मिश्र, श्री मधुलिमये तथा कुछ अन्य सदस्य सदन से बाहर चले गये ।

Shri Samar Mukherjee, Shri Hiren Mukherjee, Shri Sezhian, Shri Atal Bihari Vajpayee, Shri Shyam Nandan Mishra, Shri Madhu Limaye and some other hon. Members then left the House.

7 अगस्त 1974 को अहमदाबाद में पुलिस द्वारा पत्रकारों की कथित पिटाई के बारे में वक्तव्य।
Statement Re : alleged beating of newsmen by Police in Ahmedabad on 7th August, 1974

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : श्री अटल विहारी बाजपेयी द्वारा 30 अगस्त, 1974 को उठाये गये मामले के उत्तर में मैं 7 अगस्त, 1974 को अहमदाबाद में पुलिस द्वारा पत्रकारों की कथित पिटाई के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

विवरण

गुजरात सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार अहमदाबाद में नवरंगपुरा पुलिस स्टेशन में श्रीमती इलाबेन प्रकाश जगतराम ने शिकायत दर्ज की जिसमें कहा गया है कि टाइम्स आफ इंडिया, अहमदाबाद के एक पत्रकार, श्री असरफ सैयद ने उस समय मेरा शील भंग किया जब मैं 7 अगस्त, 1974 को रात्रि के 10.30 बजे अपने पति के साथ अपने घर वापस आ रही थी। आगे बताया गया है कि पत्रकार तथा उसके कुछ दोस्तों ने मेरे पति को भी पीटा।

श्री सैयद ने श्रीमती इलाबेन प्रकाश जगतराम तथा उसके पति के विरुद्ध भारतीय दन्ड संहिता की धारा 323 के अन्तर्गत शिकायत दर्ज की।

विश्वास किया जाता है कि यह घटना 7 अगस्त, 1974 को 10.30 बजे और 11 बजे रात्रि के बीच हुई और पुलिस को लगभग 11.30 बजे सूचित किया गया। श्रीमती इलाबेन प्रकाश जगतराम की शिकायत 1.40 बजे तथा श्री सैयद की शिकायत सिविल अस्पताल में उनकी चिकित्सा जांच के पश्चात् 3 बजे रिकार्ड की गई।

लगभग 3.30 बजे सुबह लगभग 25 पत्रकार राज्यपाल के सलाहकार, श्री एच० सी० सरिन के घर पर गए जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस ने जानबूझकर श्री असरफ सैयद की शिकायत दर्ज करने में विलम्ब किया।

चूंकि मामला इतना जरूरी नहीं था कि ऐसे समय पर सलाहकार को जगाया जाता, अतः पुलिस ने पत्रकारों को कहा कि वे सलाहकार को न जगाएं। पुलिस ने पत्रकारों को सलाहकार के घर में घुसने से रोकने के लिए कार्डन लगा दी। पत्रकारों ने पुलिस का घेरा तोड़ने का प्रयास किया। श्री सरिन जब जागे तो लगभग 4.30 बजे पत्रकारों से मिले। पत्रकारों ने उनसे शिकायत की कि पुलिस ने बल प्रयोग किया और उनके साथ हाथापाई भी की है।

पत्रकारों से लिखित शिकायत प्राप्त करने पर गुजरात सरकार ने एक वरिष्ठ अधिकारी, श्री आर० चन्द्रमौली, सचिव, खाद्य और सिविल सप्लाई विभाग को पुलिस के विरुद्ध की गई पत्रकारों की शिकायतों की जांच के लिए कहा है। इस समय पुलिस की जांच अधीन दो शिकायतें हैं और जांच के परिणामों के प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

दिल्ली विक्रय कर विधेयक
Delhi Sales Tax Bill

प्रवर समिति में सदस्यों की नियुक्ति

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा दिल्ली के संघ राज्यक्षेत्र में माल के विक्रय पर कर के उद्ग्रहण से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति में सर्वश्री रुद्र प्रताप सिंह, माधुर्य्य हालदर, और आर० पी० उलगनम्बी के स्थान पर, जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया है, सर्वश्री चकलेश्वर सिंह, बीरेन दत्त और एम० देवीकन को नियुक्त करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

केन्द्रीय तथा अन्य सोसाइटियों (विनियमन) विधेयक
Central and other Societies (Regulation) Bill

संयुक्त समिति में शामिल होने के लिए राज्य सभा की सिफारिश से सहमति

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीति राज सिंह चौधरी) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं :—

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है :—

"कि यह सभा राज्य सभा द्वारा 6 सितम्बर, 1974 की अपनी बैठक में स्वीकार किये गये प्रस्ताव में की गई और 6 सितम्बर, 1974 को इस सभा को भेजी गई इस सिफारिश से

सहमत है कि यह सभा केन्द्रीय सोसाइटियों और घोषित केन्द्रीय सोसाइटियों के निगमन विनियमन और समापन, और सहायता प्राप्त संघ राज्य क्षेत्र सोसाइटियों के विनियमन तथा केन्द्रीय सोसाइटियों या सहायता-प्राप्त संघ राज्य क्षेत्र सोसाइटियों के उसी प्रकार की अन्य सोसाइटियों के साथ समामेलन के लिये तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए लोक सभा के निम्नलिखित 30 सदस्य नामनिर्दिष्ट किये जायें, अर्थात् :—

(1) श्री बशेश्वर नाथ भार्गव

(2) श्री चन्दूलाल चन्द्राकर

(3) श्री ईश्वर चौधरी

(4) श्री छोटे लाल

(5) श्री सी० चित्तिबाबू

(6) श्री शिवाजी राव एस० देशमुख

(7) श्री लक्ष्मण काकाद्या दुमादा

(8) श्री गेंदा सिंह

(9) श्री पी० के० घोष

(10) श्री मनोरंजन हाजरा

(11) श्री कमला प्रसाद

(12) श्री एन० एस० काम्बले

(13) श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा

(14) श्री जगदीश नारायण मण्डल

(15) डा० महीपत राय मेहता

(16) श्री जनेश्वर मिश्र

(17) श्री एस० ए० मुरुगन्तम्

(18) कुमारी मणिबेन वल्लभ भाई पटेल

(19) श्री आर० आर० पटेल

(20) श्री टी० ए० पाटिल

(21) श्री बनमाली पटनायक

(22) श्री धनशाह प्रधान

(23) श्री पी० वी० जी० राजू

(24) श्री राम दयाल

(25) श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी

(26) श्री विश्वनाथ राय

(27) श्री शंकर देव

(28) श्री एन० टोम्बी सिंह

(29) श्री जी० पी० यादव

(30) श्री नीतिराज सिंह चौधरी"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने विशेषाधिकार के कतिपय प्रस्ताव पेश किये हैं। श्री एल० एन० मिश्र ने वक्तव्य नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आज विशेषाधिकार का कोई प्रस्ताव नहीं होगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee: The other day the Teachers and the students of the I.I.T. were lathicharged and the police entered the premises without the permission of the Principal. In police firing in Bihar an ex-Minister was killed. We wanted a statement in this regard, but Shri Mirdha has not obliged despite assurance.

Mr. Speaker: I have conveyed to him but how could he do so soon?

Shri Atal Bihari Vajpayee: Incident in Delhi at least could have been covered since no information was to be collected.

Mr. Speaker. Time schedule is very tight and we must stick to it, as decided by the House. Moreover, it is not the last day of the House. We are again meeting after two months.

Shri Atal Bihari Vajpayee: (Gwalior): You please decide that at what time my motion pertaining to Licence issue would be taken up.

Mr. Speaker: I feel that we should complete other work relating to Government Business and then it can be taken up at 14.30 P.M.

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (कलकत्ता-दक्षिण) : मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं.....*(व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (औसग्राम) : मैं आपका तथा इस सदन का ध्यान गम्भीर स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं.....*(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। हमने अगला विषय लिया है तथा मैंने प्रो० नारायण चन्द पराशर को बोलने के लिये कहा है।

---

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*Not Recorded.

अनुदानों की अनुपुरक मांगें (रेल), 1974-75

SUPPLEMENTRY DEMANDS FOR GRANTS RAILWAYS, 1974-75

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर (हमीरपुर) : मैं रेलवे की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं। कुछ करों का आम व्यक्ति पर निश्चय ही बोझ पड़ेगा, अतः रेल मंत्री को उन पर पुनर्विचार करना चाहिए। विशेष रूप से उन्हें कागज, नमक, चीनी और सीमेंट के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए और इन पर कर की छूट दी जानी चाहिए।

मंत्री महोदय ने किरायों में वृद्धि की है और प्रथम 25 किलोमीटर की यात्रा को इससे मुक्त रखा है। प्रथम 25 किलोमीटर की दूरी तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों को मुख्यालयों में आने के लिये काफी लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है। अतः यह दूरी 25 किलोमीटर से बढ़ाकर 100 किलोमीटर की जानी चाहिए।

रेल सड़क परिवहन समन्वय सम्बन्धी त्रिलोक सिंह समिति ने एक सिफारिश यह की है कि रेलवे की सामान्य वित्त में देयताओं का निर्धारण करते समय किराये और माल भाड़े में दी गई रियायत को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अतः मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय किराये और माल भाड़े में की गई वृद्धि पर पुनर्विचार करें।

भारतीय रेलवे के इतिहास में रेल मंत्री के रूप में श्री मिश्र का आगमन एक ऐतिहासिक घटना है क्योंकि उन्होंने पिछड़े क्षेत्रों में रेल लाइनों को बिछाने हेतु ठोस कार्यवाही करके इसे मूर्त रूप दिया।

रेलवे अभिसमय समिति ने अपने एक प्रतिवेदन में सामान्य वित्त के अंशदान से कठुआ-जम्मू लाइन के लिये दर को कम कर दिया था। अतः रेल मंत्री यह सुनिश्चित करें कि सामरिक महत्व और पिछड़े क्षेत्रों की रेल लाइनों को छूट दी जानी चाहिए।

भूतपूर्व सिंचाई और विद्युत मंत्री श्री राव ने भी कहा है कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश, देश की बेहतर सेवा करने में समर्थ हो सकते हैं यदि भाखड़ा और पोंग की विद्युत परियोजनाओं को रेलवे लाइन द्वारा मिला दिया जाये। इस बारे में एक सर्वेक्षण 13 अगस्त, 1974 को किया गया था और श्री मिश्र ने इस सदन में घोषणा की थी कि रेलवे लाइन की मंजूरी दे दी गई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर में एक भी लाइन नहीं बिछायी गयी है। इसी कारण इन क्षेत्रों में कोई उद्योग नहीं पनप रहे हैं। अतः मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस पर बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। नंगल तलवाड़ा रेल लाइन के शीघ्र निर्माण के लिये समस्त भारत के साठ संसद सदस्यों ने सिफारिश की है। लोक लेखा समिति ने अपनी 120वीं रिपोर्ट में सिफारिश की है कि पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में इस रेल लाइन की सामरिक महत्ता को देखते हुए, इन लाइनों को अलाभप्रद नहीं समझना चाहिये।

कुछ अन्य महत्वपूर्ण रेल लाइनें इस प्रकार हैं:—बिहार में गया से राजीर और लंखा से लंखी तथा पश्चिम बंगाल में माल्दा से बेट्टूर घाट। इन लाइनों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए।

पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों के लिये रेल लाइनों की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार करने के प्रयोजन से तथा समूचे देश में नई शाखा लाइनों की स्वीकृति देने हेतु संसद सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री के० रघुरामैया) : पिछले दिन सभापति महोदय ने विपक्ष के तीन सदस्यों को लगातार बोलने की अनुमति दी थी और बाद में यह टिप्पणी की थी कि तीन कांग्रेसी सदस्यों को भी लगातार बोलने की अनुमति दी जायेगी। मैं यह बात आपके नोटिस में ला रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : तब तो मुझे श्री तिवारी और श्री भागवत झा आजाद को बोलने का मौका देना है। इसके बाद मैं विपक्ष के सदस्यों को बुलाऊंगा।

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj): For some time past, the railway administration has very much deteriorated and there is chaos all round. There is no punctuality in the running of trains and even their running is uncertain, because no one knows when a train may be cancelled. Therefore, before giving any new line or undertaking, some new work, what the railways should do is to improve their administration.

On the eve of the railway strike, certain trains were cancelled but these trains have not been restored uptill now. I, therefore, request that these trains should be restored without further delay.

The proposed increase of 20 percent and 25 percent in fares and freights is unprecedented in the history of Parliament and would hit the people very hard. If proper steps are taken to prevent the theft of railway property and other pilferages, there would be no need to increase the fares and freights. If ticketless travelling is also stopped, then we can save crores of rupees. Moreover, there is no need of Railway Board.

The administrative machinery is not impartial in its treatment. For this reason, discontentment is prevailing in the employees and work suffers.

It has been said by the Minister many times that their policy is to have only one union. That being so, it is not understood how they carry on negotiations with the category wise Unions. This kind of weakness should go.

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur): Due to recent railway strike, our country has suffered and it has affected our economy badly. At present, the income of the Railways has fallen and on the other hand expenditure is increasing. Railway is the largest public undertaking serving the people and it needs more efficiency and improvement.

A plea is made for pardoning the railway employees who have been punished in connection with the recent strike. While considering this question, the Government should be aware that their sympathy and generosity towards the employees is not considered as a weakness. We are not against the railway employees and do not want that any harm should be done to them. But, at the same time, their leaders like George Fernandes should not exploit the situation and weaken the cause of railway employees. Shri George Fernandes has insulted the nation while moving a motion in the International Transport Conference held at stockholm that this country is not in favour of the labour class.

As regards the opening of new railway lines, a plea is made by the Government that some of them are not being opened because they would be uneconomic. But the line from Bhagalpur to Mandar can never be uneconomic and it must be opened. It is also necessary that some trains should be run daily and if there is any loss, then stop it. At least Gauhati Mail must be run daily if the Government wants to earn more revenue. There should be

double line between Kinl and Sahabganj. It is learnt that it will involve an expenditure of Rs. 16 crores. If there is no construction work in India, let this line be left as it is but if lines are being doubled in other parts of the country. This line should also be doubled. Secondly, there is enough passenger traffic. Inspite of heavy passenger traffic, if the railways run in loss, that means there is leakage of revenue and that leakage should be plugged.

Pilferage takes place every now and then at Mogalsarai yard and Garahara. The Railway Protection Force should be made accountable for the pilferage, the administration should be streamlined. Late running of trains should be stopped.

श्रीमती पार्वती कृष्णन् (कोयम्बतूर) : क्या आय में कमी हड़ताल के कारण हुई है? सभा में बार-बार रेलवे के दोषयुक्त कार्यकरण के बारे में बताया गया है। उन्होंने इस बारे में क्या किया है?

आज मंत्री महोदय द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से अधिक धन वसूल करने के लिये यह अनूपूरक बजट लाये हैं। यात्री-किराये और माल भाड़े में वृद्धि की जा रही है। समाज पर बोझ पड़ता है उसके बारे में क्या किया गया है? हमें बार-बार गुमराह किया जाता है। एक बार उप-मंत्री ने तो माना था कि उनसे गलती हो गई है। 23 जुलाई को श्री एल० एन० मिश्र ने प्रश्न के उत्तर में कहा कि मध्य रेलवे के किसी भी मोटरमैन को सेवा से हटाया नहीं गया है। 5 अगस्त को मध्य रेलवे में 5 मोटरमैन को सेवा में पुनः नहीं लिया गया। हमें निरन्तर गलत जानकारी दी जा रही है। प्रधान मंत्री ने कहा कि किसी भी रेल कर्मचारी को परेशान नहीं किया जायेगा और इस बात को ध्यान में रखा जायेगा कि उनके साथ न्याय हो परन्तु अभी तक हजारों कर्मचारियों की अपीलों की जांच भी नहीं की गई है। कर्मचारियों के एक पूरे दल को नौकरी पर लिया गया और उन्हें नीचे के ग्रेड में रख दिया गया। नौकरी से हटाये गये कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान और व्यवधान वाली अवधि के लिये उनके वेतन आदि के प्रश्नों को स्पष्ट किया जाना चाहिए।

गाड़ियों के देर से चलने के बारे में भी शिकायतें हैं। श्री रामावतार शास्त्री ने बताया कि उन्होंने किस प्रकार बिना बिजली और पंखे के गोहाटी से दिल्ली तक यात्रा की।

उत्पादिता कम होने का एक कारण यह भी है कि बहुत से वैगनों को चलाया नहीं गया। परन्तु इसके अतिरिक्त, क्या सरकार ने कभी इस प्रश्न की जांच करने की परवाह की है कि घटिया किस्म के वैगन रेल अधिकारी स्वीकार ही क्यों करते हैं?

वर्ष प्रतिवर्ष यात्री-किराये और माल भाड़े में वृद्धि करके अतिरिक्त धन कमाने के लिये मंत्री महोदय यहां बजट रखते हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध और मांग करती हूं कि इसी समय नीति निर्णय किया जाये कि सभी रेल कर्मचारियों को पुनः नौकरी दे दी जायेगी, बहाल करने में किसी प्रकार का चयन नहीं किया जायेगा और उनकी सेवा में कोई व्यवधान नहीं होगा।

रेलवे के कार्यकरण तथा अलाभकर रेल लाइनों के बारे में एक समिति नियुक्त की जाये जो इस प्रश्न की जांच करे। यदि यह समिति नियुक्त की गई तो लाइसेंस घोटाले की तरह दूसरा घोटाला सामने आयेगा जो वैगनों के लिये दिये गये आर्डरों से सम्बद्ध होगा।

रेल मंत्री को अपने प्रशासन के प्रति चौकस रहना चाहिये और इस बड़े उद्योग को लूटने वालों के विरुद्ध ध्यान देना चाहिये।

Shri Rambahadur Singh (Sidhi): A survey was conducted to construct new railway lines in 7 districts of North-Eastern Madhya Pradesh but the facts of the survey do not help the Ministry in laying new lines there on financial grounds.

Khajuraho is there and unparallel lime stone reserves are also there. When I go to may constituency, should I tell my constituents that no railway line is going to be laid? By what time the railway lines will be constructed in my constituency?

In view of the fact that there are lime stone deposits and that Ban Sagar dam in being constructed there I request that the Government should provide Rail service to the people of the area as soon as possib'e. I also suggest that the people should not be forced to disturb law and order in support of there demand to have a Railway line in the area.

I would also like to draw the attention of the hon. Minister to the New Katni-Morba line. On this line only goods trains carrying coal are operated. I suggest that a composite bogie should be attached with the goods train on this line so that people can make use of this line because in the absence of road transport people have to face great difficulties specially in the rainy season.

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी (जालौर) : मैं रेलवे की अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। वास्तव में मैं इसे रेलवे का दूसरा बजट ही मानता हूं क्योंकि इसके द्वारा रेलवे की आय में 140 करोड़ रुपये की वृद्धि की व्यवस्था की है।

अत्यंत खेद का विषय है कि रेलवे विभाग राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर सका। वर्ष 1973–74 में रेलवे ने केवल 1850 लाख टन माल ढोया है जबकि इससे 1920 लाख टन माल ढोने की अपेक्षा थी।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
Mr. Deputy Speaker in the Chair.]

इसी प्रकार गत तीन महीनों में रेल यात्रियों की संख्या में भी भारी कमी हुई। लगभग 1500 लाख यात्रियों की संख्या कम हुई है। पता नहीं इस प्रकार के काल्पनिक लक्ष्य कौन निर्धारित करता है। मेरा सुझाव है कि लक्ष्य वास्तविकता तथा व्यवहार्यता को ध्यान में रख कर निर्धारित किये जाने चाहिएं। मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि सामान्य जनता पर भाड़े की दरों में वृद्धि किये जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि खाद्यान्न और दूध आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं के भाड़े में कोई वृद्धि नहीं की गई। किन्तु प्रश्न यह है कि क्या आम व्यक्ति को इस सम्बन्ध में कोई राहत पहुंचाई गई है। मेरे विचार से उसे कोई राहत नहीं मिली।

मंत्री महोदय ने किराये और भाड़े की दरों में वृद्धि की घोषणा के साथ-साथ इस बारे में कुछ नहीं कहा कि रेलवे की कार्यकुशलता में सुधार किये जाने के लिए अमुक प्रयत्न किये जायेंगे। रेलवे की कार्य-चालन लागत में भारी वृद्धि हुई है तथा इस बात का उल्लेख लोक लेखा समिति के 79वें प्रतिवेदन में भी किया है। सरकार को इस लागत में कमी करने के उपाय करने चाहिये थे।

रेलवे के वातानुकूलित यानों के भाड़े में भारी वृद्धि की गई है। मेरे विचार से सरकार को इस श्रेणी को समाप्त ही कर देना चाहिये था क्योंकि जब सरकार सामान्य जनता के लिये रेलगाड़ियों में पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराने में असमर्थ है तो उस श्रेणी को रखने की आवश्यकता ही क्या है वास्तव में इस बीच रेलवे की कार्यकुशलता निम्नतम स्तर पर आ गई है।

लोक लेखा समिति के 79वें प्रतिवेदन के अनुसार 29.57 करोड़ रुपयों के मूल्य का कोयला चोरी गया। उसमें यह भी कहा गया है कि रेलवे विभाग को वर्ष 1970-71 के दौरान कोयले से भरे मालडिब्बों के लापता होने के कारण 90.11 लाख रुपयों का मुआवजा देना पड़ा। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

जहां तक कोयले की किस्म का सम्बन्ध है उसमें प्रति वर्ष गिरावट आ रही है। नियमानुसार कोयला खानों से लदान के समय 5 प्रतिशत कोयले की जांच पड़ताल की जानी चाहिये किन्तु रेल विभाग द्वारा केवल 2 प्रतिशत माल डिब्बों की ही जांच की जाती है।

अन्त में मैं माल डिब्बों को भरने तथा उन्हें खाली किये जाने में लगने वाले समय का उल्लेख करना चाहूंगा। सरकार ने अभी तक इस सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं की। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में महंगे उपकरणों को किराये पर लिये जाने का भी उल्लेख किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे बताया गया है कि रेलवे की मांगों तथा विनियोग विधेयक के पश्चात् 2 बजकर 30 मिनट पर श्री वाजपेयी के प्रस्ताव पर विचार किया जाना है। संसदीय कार्य मंत्री ने 40 सदस्यों के नामों की से सूची भेजी है तथा विपक्ष की ओर भी आठ सदस्य बोलना चाहते हैं। अतः मेरे समक्ष यह समस्या है कि इस कार्य को किस प्रकार निष्पादित किया जाये।

एक माननीय सदस्य : सभा की बैठक एक दिन के लिये और बढ़ा दी जाये।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : जी नहीं । हम इसे आज ही समाप्त करेंगे।

श्री प्रसन्न भाई मेहता (भावनगर) : वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि के लिये रेलवे विभाग का बहुत हाथ रहा है। किन्तु पहले मैं भावनगर-तारापुर रेलले लाइन का उल्लेख करना चाहूंगा। गुजरात राज्य की अब तक की सभी सरकारों ने यह मांग की है कि इस रेलवे लाइन का निर्माण तुरंत आरम्भ किया जाये किन्तु केन्द्रीय सरकार ने अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। महाराष्ट्र में सूखा की स्थिति के दौरान स्वयं प्रधान मंत्री ने सरकार की इस नीति की घोषणा की थी वहां राहत कार्यों के लिये चार रेलवे लाइनों का निर्माण आरम्भ किया जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि गुजरात के बारे में ऐसी घोषणा क्यों नहीं की गई। भावनगर-तारापुर बड़ी लाइन के निर्माण से वहां की जनता को रोजगार भी मिलेगा तथा गुजरात के पिछड़े क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। गुजरात राज्य ने यह भी आश्वासन दिया है कि यदि उक्त रेलवे लाइन को घाटा हुआ तो राज्य उसकी पूर्ति करेगा। राज्य सरकार भूमि देने को भी तैयार है। अतः इस परियोजना को तुरन्त आरम्भ किया जाये।

महोदय रेलवे के तीसरे दर्जे के किराये में भारी वृद्धि की गई है। मैंने हाल में तीसरे दर्जे के डिब्बे में यात्रा की है जिसमें न कोई पंखा था और न पानी और न प्रकाश की कोई व्यवस्था। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हुआ हूं और कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा। माननीय सदस्य कार्यवाही में व्यर्थ व्यवधान उपस्थित करते हैं। इस प्रकार कैसे चलेगा ।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। जैसे ही दिल्ली से अहमदाबाद के लिए जनता गाड़ी चलती है सैंकड़ों पासधारी व्यक्ति आरक्षित स्थानों पर आकर बैठ जाते हैं तथा कण्डक्टरों की उनसे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं होती । अतः मेरा अनुरोध है कि इस स्थित में सुधार किया जाये।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए

उपाध्यक्ष महोदय : यह मेरे लिये असम्भव है। मैं सूची में अंकित नामों के अनुसार माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दूंगा तथा प्रत्येक सदस्य को पांच मिनट से अधिक समय नहीं दिया जा सकता।

Shri Swami Brahmanandji (Hamirpur):It is a matter of great concern that our Railways have been incurring heavy losses. If the Government are unable to run the Railways on profit it would be better to transter this service to the big industrialists on contracts.

The main reasons for heavy losses caused to the Railways are the large cases of pilferage, false claims and ticketless travel. It has been observed that the general public and officers of the Department engaged in their antinational activities are not brought to books. Political parties should be for the country and not the country for the political parties.

There are countries where Ministers resign just on the allegations of dishonesty but on the other hand we people do not understand our responsibilities and wish to cling on to the chain. What are the reasons for deficit? Why do the station Masters play mischief ? Why is pilferage there at the Railways? Let Shri L N. Mishra quit if he is not able to manager affairs properly. I donot like flatry. It knows our Congress only and none else, can rectify the things but I donot consider the opposition also as our enemies. All parties are meant to serve the nation and among them all my Congress party is the strongest and the Party can administer the Goods. But in case I find that this party has turned into a group of corrupt people there I wont tolerate even if I left alone. I very much dislike corruption in the name of Gandhiji.

Shri Ram Kanwar (Tonk): I oppose the Supplementary demands for grants regarding Railways.

Both the sides in this House have criticised the Government for inefficiency, corruption and sufferings to the travelling public. The hon. Minister himself appears very dissatisfied with the working in Railways. But may I know whether he has found any way out ? All of the small gauge lines upto 100kms. run late by 5 to 6 hours. They run on very low speed. Udaipur to Tonk line in my constituency takes 7 hours. This causes deficit to railways because people do not waste to wait 7 hours for only 100 kms. long journey. Therefore the speed on such trains should be increased.

Secondly, almost every corner of Rajasthan has remained undeveloped because the railway administration has not cared to lay lines. Different natural calamities hit Rajasthan and the centre also do not care for this State. No provision for new railway lines is made for Rajasthan. I therefore with that a Member from Rajasthan be allowed to become the Railway Minister and then there would be some development.

The work on Kotah to Ajmer via Devali Kekra line should be taken up. It would give work and also an opportunity to the people to travel by railway. Widening of Ahmedabad railway line has also not since been started.

Adequate quota for Scheduled castes and Scheduled Tribes should be reserved when allotment of railway canteens. This, should also be adhered in the services for class I, II and III posts. They need encouragement and incentives.

Shri Chandrika Prasad (Balia): Laying of new railway lines would not only help in the development of backward areas but also it would give more opportunities for employment besides diminishing the deficit in railways. I appreciate the steps taken by railways in this regard and would like to complain that the speed of the work is very slow. I have one suggestion to make. Let all the railway lines suggested by the hon. Members from backward areas be surveyed, a master plan prepared and the work started. Let there be a survey for new railway lines in the backward areas of U.P., Bihar, Madhya Pradesh Rajasthan etc. and prepare a Master Plan. This would help in alround development of the nation.

Now I would enumerate certain new lines for which there have been persisting demands. Madhapur to Dumka, via Basukinath would be quite econonic and will connecting Samastipur to Banepur (Asansol) rail service would benefit a number of important towns of North Bihar, Assam and Northern Bengal. An Express service from Asansol to Howrah should be started to link mainly Asansol, Raniganj, Durgapur, Khamka, Bardvan and Howrah. The existing service should be extended to coal fields. A new Express service should be started from Samastipur to Madras via Asansol. The existing services for the Southern part are only from Howrah which results in convenience to the lakhs of people of Bihar, U. P., Assam and North Bengal as also Orissa. An express service should be added to the existing Asansol-Puri railway line. The new Samastipur-Madras Express would augment the earnings of the Railways.

Asansol should be declared sub-urban area and more such-urban trains run from Burdwan to Asansol.

A new express train is also required from Asansol to Lucknow benefitting Durgapur, Raniganj as well as areas of Northern U.P. and Bihar. A new express train should be started between Sonepur and Banaras directly to link Bihar and U.P. Masuwadi-Bhatni meter gauge line should be converted into Broad gauge line on proiority basis. This is the only way to develop these backward areas. Banaras Chhapra line should also be widened. A new line from Belthra to Balia is also very much needed.

A bridge on Ganga between Kanpur and Patna is being demanded for long. It should be constructed between. Ujiarghat and Bauxer connected with Balia by a broad-gauge line.

Second class fares should not be increased. Railway passengers should be insured and only one rupee from a second class passenger and Rs. 10/- from a Ist Class passenger should be charged as in the case of air Service. Whereas the passgnger in second class are not getting enough room to sit on. You propose to enhance the fares. This is not Justified. On the other hand wasteful expenses in Railways should be checked. You are spending Rs. 3 lakhs on painting the Sikanderabad Plateform whereas there are many places which do not have a plateform at all.

Departmental catering should be replaced by private catering so as to avoid heavy losses and to earn profits. In the former system there is much scope of corruption in the staff.

Essential commodities should be spend from rise in freight. Also I would suggest that all the participants in the last-strike, excepting who were found guilty of violence, sabotage etc. should be reinstated immediately otherwise we are going to have set back to our prolabour policy.

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सबसे अधिक दुःख उस समय होता है जब मुझे किसी सदस्य के विचार सुनने नहीं दिये जाते अर्थात् उस समय व्यवधान पैदा किया जाता है। मैं प्रत्येक सदस्य के विचारों की कद्र करता हूं। फिर मुझे मजबूर होकर किसी सदस्य को डाटना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि अब मैं सदन में अध्यक्ष पीठ पर बैठा हूं तो कृपया व्यवधान मत डाला करें।

अब श्री रामदेव सिंह।

Shri Ram Dev Singh (Maharajganj): I oppose those demands for grants. The economic condition of the railways have gone very much down. I do not oppose laying of new lines but certainly I would urge for the proper maintenance of the existing services first. We had noticed some progress during Shri Hanumanthia's period but the present situation in our railways deserve alround condemnation.

The Railways themselves went on strike suspend many train services prior to their employees going on strike. Now they propose to enhance fares. But they never try to check the regular loot by the Railway Protecton force itself. On Paharganj station in Gaya the officers have been looting away public money for long but there is none to transfer them from that place.

This so called socialistic Government have dealt with their railway employees so tyranically that we do not find any instance to compare. In Dhanbad and Samastipur divsions the innocent clildren and wives and other relatives of the striking employees were mercilessly dragged out of their houses and cruelly man handled. Civic amenities like electricity and water supply to the residences of striking employees were disconnected. Is it morality?

The Government also donot believe in Judiciary. They are now preparing to knock at the door of Supreme Court against the verdict of Calcutta High Court which has held void the break in service of the railway employees under Article 311.

Many people make away with false railway claims. The entire matter should be investigated either by the C.B.I. or a Parliamentary Committee.

Some unauthorised persons have taken up the possession of land on Siwal Station and built beautiful houses. I have written letter and spoken in this House also but nothing has so far been done.

I once again urge for proper maintenance of the fast deteriorating service however I donot mean to oppose the laying of new lines. If the hon.Minister is not able to manage the affairs properly, let him follow the example of Shri Lal Bahadur Shastri and quit.

*श्री आर० एन० बर्मन (बलूरघाट) : मैं रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक रेल बजट का समर्थन करता हूं जिसका उद्देश्य 140.07 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करना है जिसमें से 41.55 करोड़ रुपये यात्रियों से तथा 98.52 करोड़ रुपये माल भाड़े द्वारा प्राप्त करने का प्रस्ताव है। यह राशि इसी फरवरी में नियमित बजट से उपलब्ध की जाने वाली राशि से कहीं अधिक है जबकि दिसम्बर में एक बार फिर एक अनुपूरक बजट पेश होने की संभावना है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को अप्रैल, 1973 में मंहगाई भत्ते की कई किश्ते देने के कारण बढ़े हुए खर्चे को पूरा करना होगा।

इन अनुपूरक बजटों को पेश करने के तीन कारण है। पहला तो यह कि रेलवे के कार्यकरण पर अब अधिक खर्च होता है। दूसरे हड़ताल के कारण रेलवे को भारी क्षति हुई है और तीसरे यात्री तथा माल यातायात में कमी हो गई है। हड़ताल के बारे में तो यहां काफी चर्चा हो चुकी है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि इस बढ़ती हुई महंगाई में क्या लोगों को अधिक सुविधाएं देने के उद्देश्य से रेल सेवा को अधिक सुविधापूर्ण बनाने के लिए यह जरूरी हो गया है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ रेलवे पर भी निर्भर करती है जहां करोड़ों रुपयों का घाटा हो रहा है।

एक प्रश्न है कि रेल कर्मचारियों की हड़तालके कारण हुई हानि का भार सामान्य जनता पर क्यों डाला जाये ? उन पर इसके लिये कर क्यों लगाया जाये ? हमें इस बात की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये।

*बंगला भाषा में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version Based on English translation of the speech delivered in Bengali.

व्यवस्थित श्रमिक वर्ग आज अपनी मांगों को अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से पेश कर सकता है तथा अधिकाधिक मांगें पेश करता है। वे भूल जाते हैं कि उनके इस दबाव से देश के अन्य लोगों पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। उद्योगों में तथा कृषि उत्पादन यहां तक कि देश के सभी क्षेत्रों में हड़ताल आदि का प्रभाव कितना भीषण रूप लेकर गिरता है। उन्हें तो बस अपनी मांगों से मतलब होता है। मेरा यह मतलब नहीं है कि कर्मचारी अपनी मांगें पेश न करें, सरकार भी यह नहीं कहती है। मैं तो यह चाहता हूं कि रेलवे में सभी मजदूर संगठनों के साथ बातचीत द्वारा फैसले हों और आगामी तीन वर्ष तक तो कोई हड़ताल रेलवे में नहीं हो। साथ ही कार्यकुशलता में वृद्धि की जाये। आप यह जानकर हैरान होंगे कि हड़ताल के दिनों में गैर-हड़तालो कर्मचारियों के सहयोग से लदान और उतराई के कार्य में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। इसका अर्थ यह है कि यदि सभी का सहयोग मिले तो रेलवे में असाधारण कार्यकुशलता आ सकती है। अतः रेलवे के सभी श्रमिक संगठनों से मेरा अनुरोध है कि वे अपनी मांगों के साथ अपने कर्त्तव्यों की ओर भी उचित ध्यान दें तथा रेलवे की कार्यकुशलता को बढ़ायें। मैं जानना चाहूंगा कि सरकार ने रेलवे में कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिये क्या क्या नई योजनायें बनाई हैं।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान 22–8–74 को फाइनानशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रेलवे प्रवक्ता की इस टिप्पणी की ओर दिलाना चाहुंगा कि रेलवे द्वारा माल भाड़े में भारी वृद्धि के बावजूद थोक विक्रय मूल्य सूचकांक में 1.5 से 2 प्रतिशत की तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में एक प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं होगी।

इसका अर्थ है कि वर्तमान बजट के फलस्वरूप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में केवल एक प्रतिशत की वृद्धि होगी। रेलवे बोर्ड ने यह निष्कर्ष किस आधार पर निकाला है? यदि यह निष्कर्श सही है तो फिर गत छः मास में इतनी भयंकर मुद्रा-स्फीति कैसे हुई? मेरे विचार से रेलवे बोर्ड के उक्त अधिकारी का यह निष्कर्ष सही नहीं है। गत एक वर्ष में माल भाड़े में 34 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और यात्री किराये में 20 से 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। माल भाड़े में वृद्धि के फलस्वरूप कोयले तथा इस्पात के मूल्य बढ़ जायेंगे। नियंत्रित कपड़े के मूल्य बढ़ाने पड़ेंगे। तथा साथ ही अनेक अन्य वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे। एक वर्ष में चार बजट पेश होने से तो मूल्य अवश्य ही बढ़ेंगे। फिर आंकड़ों की जादूगरी दिखाने की बजाय वास्तविकता को स्वीकार क्यों नहीं किया जाता? इसके विपरीत रेलवे बोर्ड को बिना टिकट यात्रा माल की चोरी, कोयले की चोरी आदि को रोकने की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए था। एक तरफ तो रेलवे आय में कमी का ढोल पीटा जा रहा है क्योंकि यातायात में कमी हो गई है दूसरी ओर उद्योगपतियों को वैगन नहीं मिल रहे हैं और माल परिवहन नहीं हो रहा है। प्राक्कलन समिति ने सुझाव दिया है कि रेलवे फ्री पास बन्द कर दिए जायें। हम यह सुझाव क्यों नहीं स्वीकार कर लें? फिर केन्द्रीय सचिवालय के कर्मचारियों तथा रेलवे बोर्ड के कर्मचारियों के बीच फ्री पास देने संबंधी भेद भाव क्यों है। यहां तक कि अन्य विभागों को स्थायी रूप से गये भूतपूर्व रेलवे अधिकारी अब भी फ्री पास प्राप्त कर रहे हैं। अतः मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वह इस तरह की चोरी को रोक कर तथा मितव्ययता से कार्य करके तीसरे बजट की संभावना को टालें। मेरा यह भी सुझाव है कि एक सामान्य राजस्व में रेलवे के योगदान का पुनरीक्षण किया जाये तथा इस संबंध में रेलवे मंत्रणा समिति विचार करे।

मैं गत तीन वर्ष से मांग करता आ रहा हूं कि पालदा तथा बलूरघाट को एक बड़ी लाइन में जोड़ा जाये। काफी दिन पूर्व इसका यातायात सर्वेक्षण हो चुका है तथा उक्त प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है। इसके पहले की रिपोर्ट पर लगभग ढाई वर्ष तक विचार होता रहा और फिर लगता है उसे

त्याग दिया गया था। खैर अब इस नये प्रतिवेदन पर तुरन्त विचार कर लिया जाना चाहिये ताकि शीघ्र ही निर्माण कार्य आरम्भ हो सके । 16 अप्रैल, 1974 को एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि यह 90 कि० मी० लंबी 3 लाखी मालदा (नई बड़ी लाइन) पर 10.35 करोड़ रुपया खर्च होगा जबकि इससे लाभ कुछ भी नहीं होगा। मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक होगा तथा कब तक काम शुरू हो जायेगा ? यह क्षेत्र गत 27 वर्षों से पिछड़ा हुआ पड़ा है गत सभी रेलवे मंत्रियों के सभी आश्वासन निष्फल सिद्ध हुए हैं।

यह क्षेत्र हमेशा कांग्रेसी उम्मीदवारों को चुनता रहा है परन्तु अब वहां हवा कुछ बदलने लगी है। मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करें कि नई बलूरघाट से मालदा तक रेलवे लाइन को पांचवीं योनजा में शामिल किया जाये।

अन्त में मैं कहूंगा कि रेलवे यात्रियों को सुविधायें तो दी नहीं जा रही हैं परन्तु भाड़े में वृद्धि की जा रही है, यह ठीक नहीं है एक अनुरोध यह भी है कि नई दिल्ली से गोहाटी वाया फरक्का सेवा को सप्ताह में प्रतिदिन या तीन दिन चलाया जाये ।

भाड़ की इस वृद्धि का पश्चिम बंगाल की सरसों के तेल की मिलों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा । मंत्री महोदय सरसों तथा सरसों के तेल के भाड़े में असमानता को समाप्त करें ।

Shri Ram Helaoo (Ramtek): Corruption is rampant everywhere now a days but the railways are badly affected in this matter. Due to irregularities in Railway Administration I was deprived of even my right of vote in Presidential election.

It is being said on the once hand that there is shortage of wagons but on the other hand lakhs of wagons are under repair. In regard to thefts it was stated yesterday and day before.**

Shri R. P. Yadav (Sita Marhi).**

Shri Ram Helaoo: When the king himself is a thief services also indulge in stealing.

Railway Protection Force itself indulges in thefts for which mal-administration in Railway is responsible.

The representatives of 20 lakh Railway employees be associated in the management of Railways. Reversion of Railway employees is taking place in Nagpur which should be stopped.

The decision was taken to construct railway line from Wani to Chaneple but the work was stopped at Vidharbea. The survey was duly completed. I demand that this work may be undertaken.

Suggestions for construction of lines from Adilabad to Rajdwara and on broadgase from Jabbalpore to Gondia were also made.

Shri Nagender Prasad Yadav: He has used unparliamentary language.

Shri Shanker Dev (Bider) : I want your decision whether the word 'Chor' (thief) is Parliamentary or un Parliamentary.

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई ऐसी बात कही गई है जो असंसदीय अथवा अशिष्ट हो तो मैं उस पर विचार कर सकता हूं।

Shri Shanker Dev: Till that is decided can the 'Chor' be cotinued to be used.

**उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

** Exchange as ordered by Deputy Speaker.

उपाध्यक्ष महोदय: मेरे कहने का आशय था कि इस शोर शराबे में ठीक से सुन नहीं सका कि क्या कहा गया था और क्या नहीं कहा गया था।

Shri R. P. Yadav: (Madho Pura): I support the Demands for grants for Railways. It is correct that the history of Railway for the last two years were era of strikes, work to rule etc.

I did work among Railway employees so I can say that Mr. George had put the Railway movement ten years back. There has been 60% increase in wage bill of Railway men. Dearness allowance has been enhanced from 1st January, 1st Feb. and 1st April 74. Rupees 4 crores were spent merely on management of strike.

In regard to wasteful expenditure I have to say that two lakh rupees are spent on G.M.'s special every day. They have employed a number of technical experts who are expected to say 'no.'

Many of my friends call R.P.F. pilfrage fonce. If this force is abolished thefts in Railway would be reduced by 50%

In the end I would like to say how saving can be effected in Railways. There is one Officer, Director, R.D.S.O., Shri Puri.

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अधिक राज्यों का व्यक्तिगत नाम न लीजिए।

Shri R.P. Yadav: He had submitted a plan as how savings worth 450 crores can be effected. That was agreed to by Railway Board and was sent to Science & Technology Ministry. I request the hon.Minister to go through that report.

Shri Shiv Kumar Shastri (Aligarh): I also feel that there is a difficulty about lights, fans and water in the trains.

By increasing 2nd class Railway fare you have added cruelity to the poor people from whom you charge the fare but do not provide space. The Government should not, therefore, have increased fare for 2nd class.

Sometimes reservation counter refuses for reservation of seats but persons standing there offer alternative ways. It seems that there is some manuplation some where.

Every day we hear that passenger trains are looted at some place or the other. No doubt the primary responsibility of security is that of state Governments but the centre is equally affected by it. The Government should give due attention towards it.

The students do not purchase tickets and travel by 1st class and if anybody asks them anything they manhandled such persons.

The eatable being sold at Railway stations are such that the people, in fact, being illness.

In Aligarh there is a university and a business centre as well, but there is no reservation quota for that city.

उपाध्यक्ष महोदय: विरोधी सदस्य बोल चुके हैं। कांग्रेस के 37 और वक्ता अभी बाकी हैं। यदि यह वक्ता अपना अधिकार छोड़ दें तो मंत्री महोदय को बुलाया जा सकता है।

संसदीय कार्य मंत्री मुझे इस बारे में सहयोग दें।

संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): मैं मानता हूं कि वक्ताओं की लम्बी सूची है और अध्यक्ष महोदय का निदेश है कि श्री वाजपेयी के संकल्प को 2.30 बजे लिया जाये।

Shri Atal Bihari Vajpayee: (Gwalior): Since there is a long list of speakers, you may withhold this and take up my motion at 2-30.

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सभी कांग्रेसी सदस्य अपना अधिकार छोड़ दें तो भी मंत्री महोदय कम से कम आधा घन्टा तो लेंगे ही। इससे भी समय 2.30 से ऊपर हो जायेगा। इसके बाद बोनस विधेयक है जिसे पास करना आवश्यक है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : आप कोई भी उचित समय नियत करके गिलोटीन का उपयोग करें।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं गिलोटीन करके मंत्री महोदय को बुलाता हूं।

रेल मंत्री (श्री ललित नारायण मिश्र) : मैं वाद-विवाद में भाग लेने वाले सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। मैं केवल वित्त, कार्यकरण तथा औद्योगिक सम्बन्धों को लेता हूं।

श्री आजाद का यह कथन है कि यदि हम लोको कर्मचारियों से वर्गानुसार सौदेबाजी न करते तो हड़ताल टल जाती। परन्तु यदि हमने लोको कर्मचारियों से समझौता न किया होता तो वह हड़ताल के दिनों में हमारा साथ न देते।

गोहाटी मेल अत्यन्त लोकप्रिय सिद्ध हुई है। मैं इसके सुझाव देने के लिए श्री आजाद को धन्यवाद देता हूं।

मध्य-प्रदेश में रेलवे लाइनों की समस्याओं का मुझे पता है। सर्वेक्षण के आदेश दिये जा चुके हैं। आर्थिक दृष्टि से माना जाता है कि यह हानिकर होंगे परन्तु मैं केवल आर्थिक पहलू को ही महत्व नहीं देता। जो आज लाभदायक नहीं है वह कल लाभदायक हो सकता है।

मैं इस सिद्धांत में विश्वास करता हूँ कि विद्युत तथा परिवहन की अपनी मांगें हैं। जैसे ही हम बिजली और परिवहन की व्यवस्था करते हैं उस क्षेत्र का विकास प्रारम्भ हो जाता है और कुछ समय में ही यह लाभदायक सिद्ध हो जाती है।

किरायों में वृद्धि करने का जोरदार विरोध किया गया है। मैं यह मानता हूँ कि पहली बार अनुपूरक बजट में इतने अधिक किराये बढ़ाये जा रहे हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए हम विवश हो गये थे। रेलों से यात्रा करने वाले लगभग 72 प्रतिशत लोग इस वृद्धि से अप्रभावित रहेंगे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि 29 प्रतिशत लोगों को अधिक किराया देना पड़ेगा।

माननीय सदस्य रेलवे की वित्तीय स्थिति से चिंतित हैं। वस्तुतः रेलवे वित्त व्यवस्था संकट में है। इस संकट के आसार 1964-65 से देखे जा सकते हैं जब रेलवे अपने विकास कार्यों के लिये पर्याप्त धन एकत्र नहीं कर सकी। 1966-67 से स्थिति और खराब हो गई तथा रेलवे सार्वजनिक राजकोष में अपना वार्षिक भाग न दे सकी। 1972-73 के अन्त तक रेलवे पर सामान्य राजस्व का 110.68 करोड़ रुपये का ऋण था तथा 1973-74 के अन्त तक यह बढ़ कर 200 करोड़ रुपया हो जायेगा।

रेलवे के वित्तीय कार्यकलापों पर सामान्य आर्थिक प्रगति का नहीं अपितु मूल्यों के बढ़ने, विशेषकर एक और किराये और भाड़े की वृद्धि में अन्तर और दूसरी ओर मंजूरी और रेलवे के लिये आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि का बड़ा प्रभाव पड़ा है।

विभिन्न भत्तों में वृद्धि और तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के परिणामस्वरूप रेलवे में कर्मचारियों पर होने वाला व्यय बढ़ गया है। इसके परिणामस्वरूप, कर्मचारियों संबंधी व्यय, जो मार्च, 1973 में 518.8 करोड़ रुपये था, मार्च, 1974 में 627.4 करोड़ रुपये हो गया है और मार्च, 1975 के अन्त तक अप्रैल, 1974 के बाद मंजूर किये गये महंगाई भत्तों को न जोड़ते हुए, इस व्यय के 841 करोड़ रुपये हो जाने की आशा है। इसके परिणामस्वरूप, रेलवे के व्यय में वेतन और मजूरी का भाग दो वर्ष में 60 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक बढ़ गया है।

1961-62 की तुलना में रेलवे का खर्च 370.3 प्रतिशत बढ़ गया है। दूसरी ओर इस वृद्धि के बाद भी किरायों और भाड़ों में इस अवधि में क्रमशः 182.7 और 181.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

मेरे सामने यही विकल्प था कि या तो सारा भार सामान्य राजकोष पर डाला जाए, जिसका मुनतान बढ़े हुए कर के रूप में सब करें, या यह भार रेलों का उपयोग करने वाले ही उठायें। काफी विचार करने के बाद मैंने बीच का रास्ता अपनाया। यह वृद्धि करते समय मैंने समावादी रुख अपनाया है तथा जन साधारण के हित को ध्यान में रखा है।

वर्तमान संकट की स्थिति में हमें न केवल व्यय में मितव्ययिता के लिये सादगी का वातावरण उत्पन्न करना है बल्कि अपनी आस्तियों को अधिकाधिक लाभ, अधिक उत्पादिकता और अच्छी सेवा से यातायात में भी उच्च स्तर प्राप्त करना है। नई चेतना उत्पन्न करने के लिये रेलवे के उच्च प्रबंधकों को बता दिया गया है कि प्रत्येक अधिकारी का कार्य उसको सौंपे गये कार्य की वास्तविक प्रगति के आधार पर जांचा जायेगा। प्रत्येक गलती तथा असफलता के लिये मैंने व्यक्तिगत जिम्मेदारी नियत करने का निर्णय किया है। गलती करने वाले अधिकारियों को परिणाम भुगतने होंगे।

यह आरोप लगाया गया है कि उत्तर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिक रेल लाइनें बिछायी जा रही हैं। उत्तर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक निर्धन भाग हैं, जहां शायद प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। परन्तु इन क्षेत्रों की भूमि उपजाऊ है और वहां पर नकदी फसलें, जैसे जूट, चीनी, तम्बाकू और धान तथा गेहूँ की खेती हो सकती है। इन क्षेत्रों में कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास की बहुत गुंजाइश है। इसलिये इन क्षेत्रों को पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ प्राथमिकता दी गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे लाइनें बिछाने की दृष्टि से नंगल–तलवाड़ा लाइन के काम को इस वर्ष आरम्भ किया जायेगा। नई लाइने बिछाने के बारे में बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ देश के अन्य भागों की तुलना में कोई विशेष व्यवहार नहीं किया गया है, हालांकि इन क्षेत्रों के लोगों द्वारा पहले बर्दाश्त की गई कठिनाइयों को देखते हुए, इनके साथ सहानुभूति की जानी चाहिये।

यह कहा गया है कि हमारे सवारी डिब्बों, माल डिब्बों तथा रेल इंजनों के रख रखाव का स्तर विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। जो सही नहीं है। रेलवे ने रोलिंग स्टाक के रख रखाव में सुधार करने का एक जोरदार कार्यक्रम आरम्भ किया है। कल-पुर्जों को मंगाने के लिये भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं। इसके फलस्वरूप, यातायातो की आवश्यकता की पूर्ति के लिये डीजल रेल इंजनों की उपलब्धता में बहुत सुधार हुआ है।

सवारी डिब्बों की स्थिति में सुधार करने के लिये एक बड़ा अभियान आरम्भ किया गया है। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों तथा संबंधित जोनों के अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त चोरी को रोकने के लिये भी प्रभावी सुरक्षात्मक कदम उठाये गये हैं।

यह कहा गया है कि हमारे रेल इंजनों, सवारी डिब्बों, और माल डिब्बों का उपयोग केवल 60 प्रतिशत है। यह सही नहीं है। औसतन यह 85 प्रतिशत है और विश्व के किसी भी देश की तुलना में यह बहुत अच्छा है।

कोयले के लदान की औसत मई, 1974 में समाप्त होने वाले छः महीनों में प्रति दिन 7300 वैगन थी। इसमें बहुत सुधार हुआ है और अगस्त के महीने में प्रतिदिन लदान की औसत 8200 वैगन बनती है। मध्य भारत के कोयला क्षेत्रों में अगस्त में प्रतिदिन 1200 वैगन कोयले का लदान हुआ है। रेलवे ने ले जाने वाले पूरे कोयले का लदान किया है।

इस्पात कारखानों को ले जाने वाले कोकिंग कोल और साफ कोयले की ढुलाई भी संतोषजनक ढंग से हुई है। रेलवे ने जून और अगस्त, 1974 के बीच 16.4 लाख टन तैयार इस्पात को भी ढोया है। इस्पात कारखानों के वर्तमान उत्पादन को ही नहीं बल्कि 1.2 लाख टन और माल को भी ढोया गया है। यह माल हड़ताल के पहले से जमा पड़ा हुआ था।

आयातित तथा देशी खाद्यान्नों तथा उर्वरकों की ढुलाई संबंधी सभी मांगों को हाल में पूरा किया जा रहा है। अन्य आम माल की ढुलाई संबंधी मांगों को पूरा करने की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है। गत वर्ष इसी अवधि की तुलना में पिछले तीन महीनों में रेलवे द्वारा 30 लाख टन अतिरिक्त माल ढोया गया है।

रेलवे वैगनों द्वारा माल मंगाने वालों को यह ईमानदारी से सोचना चाहिये कि रेलवे वैगन शीघ्रता से खाली किये जाने चाहिये तथा इनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इस विलम्ब तथा दुरुपयोग से रेलवे की यातायात क्षमता कम हो जाती है। खेद की बात है कि रेलवे द्वारा लगाये गये विलम्ब शुल्क का अधिक प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

दिसम्बर, 1972 से विलम्ब शुल्क की दरों को बढ़ाकर तत्सम्बन्धी नियमों को अधिक कड़ा कर दिया गया है। इस वृद्धि के फलस्वरूप एकत्र किये गये शुल्क 1972-73 में 17.91 करोड़ रुपये और 1971-72 में 15.3 करोड़ रुपये की तुलना में 1973-74 में यह 22.4 करोड़ रुपये हो गये हैं।

यह प्रश्न किया जा सकता है कि इन प्रभारों को और क्यों नहीं बढ़ाया जाता है क्योंकि माल शेड़ में खड़े वैगनों का माल उठाया नहीं जाता। परन्तु इस प्रकार की दण्डात्मक कार्यवाही से व्यापारी की अपेक्षा उपभोक्ता पर अधिक बोझ पड़ेगा क्योंकि वस्तु के मूल्य में वृद्धि कर दी जायेगी। इसलिये, हम भारतीय रेलवे अधिनियम और अन्य नियमों में संशोधन करने पर विचार कर रहे हैं, ताकि रेलवे वैगनों में पड़े माल या रेलवे के मालगोदाम में पड़े माल को, जिसे उठाया न गया हो, राज्य सरकार या अन्य एजेन्सियों के सुपुर्द कर दिया जाये जो इसका निपटान कर दें।

हड़ताल के आरम्भ में ही पता लगा कि 14 लाख रेल कर्मचारियों में से लगभग 8.5 लाख कर्मचारी अपने काम पर लगे रहे तथा कुछ ही कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया और वह भी धमकी और हिंसा की कार्यवाहियों के डर से।

हड़ताल के शुरू होने पर समस्त भारतीय रेलवे में अनेक तोड़-फोड़ के मामले हुए। रेल सम्पत्ती की सुरक्षा, तोड़-फोड़ को रोकने तथा यात्रियों को सुरक्षा तथा काम पर आने के इच्छुक कर्मचारियों की जानों को सुरक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल, राज्य सरकार पुलिस, रेलवे सुरक्षा दल, होम गार्ड तथा अन्य दलों को तैनात करने से इसे दमनात्मक कार्यवाही नहीं कहा जा सकता। जब राष्ट्र की अर्थव्यवस्था और जन जीवन खतरे में पड़ गया तो सरकार को अनिवार्यतः उपयुक्त कार्यवाही करनी पड़ी।

सरकार को उपचारात्मक कार्यवाही के रूप में गिरफ्तारियां करनी पड़ीं तथा अनेक कर्मचारियों को हड़ताल से पूर्व और उसके बाद उनकी हिंसात्मक गतिविधियों के लिये सेवा से बरखास्त करना पड़ा। 19883 गिरफ्तारियां की गई थीं जिनमें से 25 कर्मचारियों को छोड़कर बाकी सब को रिहा कर दिया गया है। 16749 कर्मचारियों को नौकरी से बरखास्त किया गया है अथवा नौकरी से निकाल दिया गया है। इनमें से अब तक 8,090 कर्मचारियों को नौकरी पर बहाल कर दिया गया है। शेष कर्मचारियों की अपील सुनी जायेगी और तब उन्हें बहाल किया जायेगा । अवैध हड़ताल में भाग लेने के परिणाम-स्वरूप 5.91 लाख रेल कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान आ गया है। इनमें से लगभग 2 लाख कर्मचारियों की सेवा अवधि में व्यवधान को माफ़ कर दिया गया है।

कर्मचारियों की वैयक्तिक अपीलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है और अब तक बहुत से कर्मचारियों को नौकरी पर बहाल कर दिया गया है अथवा इनकी सेवा अवधि में व्यवधान की सजा माफ कर दी गई है। यह निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और रेलवे प्रशासन इस संबंध में हर सम्भव कार्यवाही कर रहा है।

व्यक्तिगत अपीलों पर विचार करके हमने 50 प्रतिशत कर्मचारियों को पहले ही सेवा में वापस ले लिया है। मैंने रेलवे प्रशासन को यह निदेश भी दिया है कि वे व्यक्तिगत अपीलों पर सहानुभूतिपूर्वक और शीघ्रता से विचार करें। मैंने अब उनको यह निदेश दे दिया है कि ऐसी अपीलों की प्राप्ति के 6 सप्ताह के भीतर इन पर विचार कर लिया जाये और कर्मचारी को इसका निर्णय दे दिया जाये।

विपक्ष के कुछ सदस्यों ने कुछ कर्मचारियों के मामले में, जिन्होंने रिट याचिकाएं दायर की थीं, कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया है। एक मामले में रेलवे प्रशासन द्वारा रेलवे कर्मचारी अनुशासन और अपील नियम 1968 के नियम 14(*ii*) के अन्तर्गत की गई कार्यवाही को उच्च न्यायालय ने वैध घोषित कर दिया है। फिर भी, इन कर्मचारियों के विशिष्ट मामले में न्यायाधीश ने बरखास्तगी आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया है कि दिए गए कारण पर्याप्त नहीं हैं। न्यायालय के इस निर्णय पर अध्ययन हो रहा है और सरकार कानूनी सलाह के आधार पर कार्यवाही करेगी।

रेलवे में अनुशासन पुनः स्थापित हो गया है और कोयला, इस्पात तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के लदान कार्य में निरन्तर सुधार हो रहा है। गाड़ियों के समय पर चलने की स्थिति में भी निरन्तर सुधार हो रहा है।

दक्षिण-मध्य रेलवे के मामले में, बड़ी रेल लाइनों और मीटर गेज लाइनों के लिए आंकड़े क्रमशः 97.3 प्रतिशत और 95.4 प्रतिशत हैं। दक्षिण-पूर्व रेलवे में आंकड़े 40.05 प्रतिशत हैं; पश्चिम रेलवे में बड़ी लाईन और मीटर गेज लाइनों के आंकड़े क्रमशः 89.2 और 82.6 प्रतिशत हैं।

मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि नैमित्तिक श्रमिकों और हड़ताली कर्मचारयिों के मामलों पर यथासम्भव सहानुभूति के साथ विचार किया जायेगा, परन्तु उन निष्ठावान कर्मचारियों और अधिकारियों की कीमत पर नहीं, जिन्होंने संकट के समय हमारा साथ दिया था। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखिए। मेरी समझ में नहीं आता कि दोनों ओर के सदस्य क्यों उत्तेजित हैं.....

श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान (किशनगंज) : हम भी कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में सदस्यों को एक दो प्रश्न पूछने की अनुमति देना बेहतर होगा। लेकिन उन्हें भाषण नहीं देने चाहिएं।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) : मैं रेल मंत्री से रेलवे की वित्तीय स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण चाहती हूं। इसके सुधार के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है? (व्यवधान)

कर्मचारियों को परेशान किये जाने के बारे में भी मैं स्पष्टीकरण चाहती हूं। छः सप्ताह की सीमा रखी गई है। इसकी कब से शुरुआत मानी जायेगी? छः सप्ताह से ज्यादा समय से पहले ही अपीलें पड़ी हुई हैं। उन्हें 24 घण्टे या 72 घंटे के अन्दर क्यों नहीं निपटा दिया जाता?

मन्त्री महोदय ने इस्पात के बारे में कार्यचालन क्षमता की चर्चा की। इस्पात मन्त्रालय के अनुसार 1 जून, 1974 को 5,50,000 टन इस्पात का भण्डार जमा हो गया था वैगनों की कमी की भी गम्भीर समस्या है। उस बारे में भी स्थिति स्पष्ट करें।

Shri Md. Jamilrrahman: The dedicated and loyal workers, who stood by the Government, were very much harassed and their children were tortured. I would like to know about the number of cases instituted and at what stage such-cases stand as also about the help extended by the Ministry of Railway.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : दो सप्ताह पूर्व इसी सदन में प्रधान मंत्री की उपस्थिति में श्री सोमनाथ चटर्जी ने एक ऐसे मामले का उल्लेख किया था जिसमें एक कर्मचारी को आन्तरिक सुरक्षा कानून के अन्तर्गत दो साल तक जेल में रखा गया। उस पर यह आरोप था कि उसने कर्मचारियों को हड़ताल में भाग लेने के लिए भड़काया। उस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

रेलवे बोर्ड ने पश्चिम बंगाल की जनता को यह आश्वासन दिया था कि हावड़ा-आमता रेलवे लाइन बड़ी लाइन होगी। प्रधान मंत्री ने उसकी आधार शिला रखी थी। उस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

बिहार की अराह-सासाराम लाइट रेलवे के बारे में मैंने रेल मंत्री को अभ्यावेदन दिया था। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि वह मामले की जाँच करेंगे। इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

Shri N.P. Yadav (Sitamarhi): I would like to know whether there is any proposal to introduce an Express train in the near future between Narkatiaganj to Pahlejaghat *via* Darbhanga and Sitamarhi; if so, when ? (*Interruptions*) Whether there is any proposal to have a broad gauge line between Darbhanga to Narkatiaganj *via* Sitamarhi; if not, what are the reasons therefor?

उपाध्यक्ष महोदय : मावलंकर जी, आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री पी० जी मावलंकर (अहमदाबाद) : जिन सदस्यों ने भाषण नहीं दिए हैं, वे भी स्पष्टीकरण पूछ रहे हैं।

उपाध्यक्ष : अगर हम परम्पराओं का सख्ती से पालन करें, तो जिन सदस्यों ने भाषण दिए हैं उन्हें तो प्रश्न पूछने ही नहीं चाहिए।

श्री आर० वी० बड़े (खारगोन) : 15 कर्मचारियों को बर्खास्त किया जा रहा है, 17 व्यक्तियों को निलम्बित किया जा रहा है, पचास व्यक्तियों की सेवायें समाप्त की जा रही हैं। 2000 मामलों में सेवा भंग को समाप्त नहीं किया जा रहा है। 350 मामले न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े हैं। मध्य प्रदेश में रेल कर्मचारियों पर व्यवसाय-कर लगाया जाता है, परन्तु गुजरात में व्यवसाय-कर नहीं लगाया जाता।

Shri Shanker Dayal Singh (Chatra): The broad gauge railway line between Gaya to Barkakana, *via* Chatra and Hazaribagh has been pending for a long time. A survey was under taken in 1945-46. I would like to urge that a fresh survey should be undertaken and this railway line should be sanctioned.

श्री० मधु दण्डवते (राजापुर) : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि रेल कर्मचारियों की सेवा संविधान के अनुच्छेद 311 का उल्लघंन करके समाप्त की गई है, अतः यह कार्य गैर-कानूनी है। इसलिए इन कर्मचारियों को नौकरी पर बहाल किया जाना चाहिए।

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : अगर भावनगर को शीघ्र कोयला नहीं भेजा गया तो 2500 कर्मचारी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगें।

श्री एल० एन० मिश्र : श्रीमती पार्वती कृष्णन ने रेलवे की वित्तीय स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण पूछा है। मैं उनसे सहमत हूं कि रेलवे की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए कुछ नये तरीके निकालने पड़ेंगे। छः सप्ताह की अवधि अपील प्राप्त होने की तारीख से गिनी जाएगी। जिन लोगों ने पहले अपील की, है, उनके मामलों में भी छः सप्ताह की अवधि आज से गिनी जायगी। ये मामले लाखों की तादाद में हैं। इस्पात की स्थिति के बारे में मैं पहले ही वक्तव्य दे चुका हूं ।

श्री जमीलुर्रेहमान ने निष्ठावान कर्मचारियों के कष्टों के बारे में कहा। उन्हें कुछ सुविधायें दी गई हैं और अगर कुछ और सहायता देने की आवश्यकता होगी, तो हम वह देने में हिचकिचायेंगे नहीं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य ने आन्तरिक सुरक्षा कानून के अधीन गिरफ्तार कर्मचारियों के बारे में उल्लेख किया। मैं पहले कह चुका हूं कि उनके बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है। अगर वह चाहे, तो में उन्हें, कल पत्र लिखूंगा। श्री शंकर दयाल सिंह ने चतरा–हजारीबाग रेल-लाइन का प्रश्न उठाया। अगर नया सर्वेक्षण वह कराने के इच्छुक हैं, तो सर्वेक्षण करा दिया जायेगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय का हम अध्ययन कर रहे हैं और इस बारे में कानूनी राय ले रहे हैं।

Shri N.P. Yadav : My question has not been replied to.

Shri L.N. Mishra : So far as railway line from Darbhanga to Narkatiaganj is concerned it could not be doubled. I would beexamining the question of introducing an Express train.

उपाध्यक्ष महोदय : अनेक कटौती प्रस्ताव मेरे सामने हैं।

श्री एस०एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरे कटौती प्रस्ताव सं० 90 और 91 को अलग से मतदान के लिए रखा जाए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अगर कोई सदस्य चाहता है कि उसके कटौती प्रस्ताव को अलग से मतदान के लिए रखा जाये, तो उसे अलग से मतदान के लिए रखा जायेगा। अन्य सभी कटौती प्रस्ताव एक साथ मतदान के लिए रखे जायेंगे।

श्री एम० कतापुतु (नागापट्टिनम) मेरे कटौती प्रस्ताव सं० 151, 152 और 208 को अलग से मतदान के लिए रखा जाए।

श्री पी० एम० मेहता : मेरे कटौती प्रस्ताव सं० 95 को अलग से मतदान के लिए रखा जाए।

श्री आर० वी० बड़े : मेरे कटौती प्रस्ताव सं० 66 और 67 को अलग से मतदान के लिए रखा जाये।

श्री पी० जी० मावलंकर : मेरे कटौती प्रस्ताव सं० 47 को अलग से मतदान के लिए रखा जाय और कटौती प्रस्ताव सं० 51 और 63 को एक साथ रखा जाय।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव सं० 47 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The cut motion No 47 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव सं० 51 और 63 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए

The cut motion Nos. 51 and 63 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव सं० 66 और 67 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The cut motion Nos. 66 and 67 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं कटौती प्रस्ताव सं० 90 मतदान के लिए रखता हूँ

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 90 मतदान के लिए रखा गया।लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The cut motion No. 90 was put .

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 54 Ayes 54·

विपक्ष में 61 Noes 161.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The cut motion was negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 91 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

The cut motion No. 91 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव सं० 95 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

The cut motion No. 95 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव सं० 151, 152 और 208 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए

The cut motion Nos. 151, 152 and 208 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा शेष सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए

All the other cut motions were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्नलिखित अनुपूरक अनुदानों की मांगे मतदान के लिए रखी गई और स्वीकृत हुई।

The following demands for Supplementary grants for the year ending march, 1975 were put and adopted.

मांग सं०	शीर्षक	राशि रु०
1	2	3
4.	संचालन व्यय—प्रशासन	8,81,62,000
5.	संचालन व्यय—मरम्मत और अनुरक्षण	23,20,00,000
6.	संचालन व्यय—परिचालन कर्मचारी	20,16,47,000
8.	संचालन व्यय—परिचालन (कर्मचारी और ईन्धन को छोड़कर)	1,34,25,000
10.	संचालन व्यय—कर्मचारी कल्याण	2,91,66,000

विनियोग (रेल) संख्या 4 विधेयक 1974
APPROPRIATION (RAILWAYS) NO. 4 BILL, 1974

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1974–75 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1974–75 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

श्री एल० एन० मिश्र : मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1974–75 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में कतिपय और राशियो के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ विधेयक वर्ष 1974–75 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मंत्री महोदय ने जो आश्वासन दिया है उसे मैंने सुना है। इस मामले में मंत्री महोदय को और विलम्ब नहीं करना चाहिये। आज भी मंत्री महोदय के आंकड़ों के अनुसार 10,000 स्थायी कर्मचारी तथा हजारों 5 से 10 वर्ष की सेवा कर लेने वाले कर्मचारी बेकार घूम रहे हैं। केवल कानपुरमें ही 506 कर्मचारियों में से 172 को ही सेवा में वापस लिया गया है

इलाहाबाद डिवीजन संघ का कोई भी कर्मचारी सेवा में वापस नहीं लिया गया है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि मेरा सुझाव स्वीकार किया जाये। स्थाई अस्थाई, वैमितिक सभी प्रकार के कर्मचारियों को तुरन्त सेवा में वापस ले लिया जाना चाहिये। जिन कर्मचारियों के विरुद्ध तोड़ फोड़ अथवा हिंसा के आरोप हैं उन्हें सेवा से निलम्बित किया जाना चाहिये निकाला नहीं जाना चाहिये।

भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोपों पर भी हम उन लोगों को सेवा से निकालने की मांग नहीं करते हैं। सभा में या हमने श्री तुलमोहन राम को सभा से निकालने की मांग नहीं की है यद्यपि उनके विरुद्ध पैसा लेने के आरोप हैं। हिंसा तथा डराने धमकाने के मामलों का निर्णय न्यायालय में होना चाहिये।

दूसरे, रेल कर्मचारियों रक्षा कर्मचारियों तथा डाक-तार कर्मचारियों को बोनस दिया जाना चाहिये। अब तो बोनस समिति का प्रतिवेदन भी आ चुका है।

तीसरे, स्थायी रूप से यह निर्धारित कर दिया जाना चाहिये कि रेलवे एक उद्योग है उपज नहीं इस सम्बन्ध में न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उस पर भी विचार किया जाना चाहिये।

रेलवे बोर्ड में या तो कर्मचारियों के प्रतिनिधि लिये जाने चाहियें अन्यथा रेलवे बोर्ड को समाप्त कर दिया जाना चाहिये। रेल हड़ताल में भाग लेने के कारण जिन कर्मचारियों को सेवा से निकाल दिया गया है उन्हें सेवा में वापस लिया जाना चाहिये।

Shri Ramavatar Shastri (Patna): First of all, I would like to request that all those employees against whom action has been taken for participating in railway strike should be taken back in Service. In Danapur division of Eastern Railway, only a very low employee have been taken back on duty. Out of the fifty five Office bearers and the members of executieve only two employees have been taken back on duty. If things go on like this, there will be no contentment and harmoning relation's between the employees and the administration.

Secondly, I would like to request that the corruption prevailing these days should not go unchecked. We should also be very careful about the expenditures. Wasteful expenditures should not be allowed at any cost. I can quote instances where huge amount is involved in wasteful expenditure D.S. Danapur is Charging two or three thousand rupees for reinstating an employee dismissed or suspended for participating in Railway Strike. Railway Board as well as the Railway Minister are aware of such corrupt practices. I think, things will not improved so long as the present Chairman of Railway Board and the present Railway Minister continue in Office.

Shri Madhu Limaye (Banka) : A Steam Locomotive driver has been arrested on the charge of setting a tanker on fire. This is a false allegation. The said driver did not participate in the railway strike. Even then he is being punished . This is a reward Government is giving to loyal workers.

Secondly, there is no question of any sort of violence or sabotage by those workers who were arrested on 1st May. All such workers should be taken back immediately. The Chairman of the Railway Board and the Divisional Superintendent are asking these workers and Union leaders to remove Shri George Fernandes from railway union and from the post of the President of All India Railwaymen's Federation. I would like the Hom Minister to clarify the matter.

Thirdly, in Jasidi region, several passenger trains have been cancelled. These train should be restored.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : बिहार तथा पश्चिम बंगाल में लाइट रेलवे के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। मैं रेलवे में सामान्य स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं। मंत्री महोदय कुछ नहीं बता रहे हैं। सामान्य स्थिति तब तक नहीं लायी जा सकती जब तक मुअत्तिल तथा सेवा से निकाले गये कर्मचारियों को वापस नहीं लिया जाता। कर्मचारियों के सन्तुष्ट होने पर ही सामान्य स्थिति लाई जा सकती है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सेवा से निकालने के आदेश अवैध घोषित कर दिये हैं। रेल मंत्री को कलकत्ता भूमिगत रेल परियोजना की प्रगति के बारे में भी कुछ बताना चाहिये था।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मंत्री महोदय को समूचे रेल अधिनियम को तुरन्त संशोधित करना चाहिये।

आज रेल मंत्री तथा उनके साथियों पर रेलवे बोर्ड के अधिकारियों का इतना अधिक भार है कि यदि रेलवे अधिनियम को संशोधित भी कर दिया जाये तो भी पता नहीं इससे रेलवे बोर्ड के कार्यकरण पर कोई प्रभाव पड़ेगा अथवा नहीं?

मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि यदि सरकार रेल कर्मचारियों से देश सेवा की अपेक्षा करती है तो इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिये कि रेल कर्मचारियों में कटु विचारधारा न रहे। जो कर्मचारी हिंसा तथा तोड़ फोड़ की घटनाओं में अन्तर्ग्रस्त नहीं हैं उन्हें, तुरन्त सेवा में वापस लिया जाना चाहिये।

गुजरात में अभी तक बहुत सी यात्री गाड़ी रद्द हैं। इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। इन गाड़ियों को शीघ्र ही फिर से चालू किया जाना चाहिये।

वैगनों की सप्लाई बहुत कम होने के कारण सौराष्ट्र तथा कच्छ के क्षेत्रों से नमक बहुत कम उठाया जा रहा है। वैगनों की सप्लाई में वृद्धि की जानी चाहिये। नमक उद्योग को यदि 'सी' से 'ई' श्रेणी में ले आया जाये तो सौराष्ट्र तथा कच्छ के क्षेत्रों को बड़ी राहत मिलेगी।

साबरमती रेलवे कालोनी के 9000 निवासियों को स्वच्छ पेय जल प्राप्त नहीं होता है। इस बारे में मंत्री महोदय को स्थिति का स्पष्टीकरण करना चाहिये, उन्हें इस ओर ध्यान देना चाहिये। साबरमती रेलवे कालोनी के लड़के लड़कियों के लिये शिक्षा सुविधाओं की भी व्यवस्था की जानी चाहिये।

श्री एल० एन० मिश्र : जहां तक वेगन –सप्लाई की बात है, नमक के लिये वैगनों का आवंटन राज्य सरकार की सिफारिश पर नमक आयुक्त द्वारा किया जाता है। रेल मंत्रालय का कार्य केवल नमक आयुक्त की सिफारिशों को पूरा करना है। नमक के लिये रेल मंत्रालय अपनी ओर से ही वैगन आवंटित तो नहीं कर सकता है।

केवल अहमदाबाद क्षेत्र में ही सवारी गाड़ियां रद्द नहीं की गई हैं आपितु कोयला उपलब्ध न होने के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सी सवारी गाड़ियां रद्द पड़ी है। इस समस्या का शीघ्र ही समाधान निकालने के प्रयास किये जा रहे हैं।

जहां तक रेलवे अधिनियम में संशोधन का प्रश्न है मैं भी इस बात का समर्थक हूं कि इस शताब्दी पुराने–अधिनियम में संशोधन होना चाहिये।

श्री भट्टाचार्य ने लाइट रेलवे के बारे में पूछा है। बिहार में अर्श—ससाराम लाइट रेलवे को अपने हाथ में लेना संभव नहीं है। जहां तक हाबड़ा लाइट रेलवे का प्रश्न है, इस पर कार्य आरम्भ हो चुका है और यह प्राथमिकता—सूची में है। भूमिगत रेलवे का कार्य भी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है परन्तु यह कार्य सोवियत संघ के सहयोग से किया जा रहा है।

As regards the Question of arrest raised by Shri Madhu Limaye I can only say that the information is not available with me but I will definitely explain the position on receipt information.

As regards employees arrested on 1st May, I had said that the general amnesty can not be granted but the employees against whom there are no charges of violence and sabotage will be taken back.

The Chairman of Railway Board has got nothing to do with the trade union leadership of Shri George Fernandes. But we can not be silent spectators if the workers are mislead.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1974–75 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

Shri Ramavatar Shastri : On a point of order Sir.

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप मेरी बात सुनिये। मैं खड़ा हूं यदि आपका इस विषय पर ही व्यवस्था का प्रश्न है तो आप प्रश्न रख सकते हैं।

प्रश्न यह है।

"कि खण्ड 2, 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियम, सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये जायें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2, 3, अनुसूची खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 2,3, the schedule, clause 1, the Enacting of formula and the Title were added to the Bill.

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक

Payment of Bonus (Amendment) Bill

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक सरल सा विधेयक है जिसके अन्तर्गत सरकार द्वारा कर्मचारियों को वर्ष 1973–74 के लिये बोनस दिये जाने की व्यवस्था है। मेरे विचार से इस विधेयक पर किसी भी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि बोनस संदाय अधिनियम, 1965 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किये रूप में, विचार किया जाये।"

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): बोनस सब कर्मचारियों को दिया जाना चाहिये।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं यह चाहता हूं कि बोनस की सुविधा सरकारी कर्मचारियों, रेलवे तथा उन अन्य कर्मचारियों को भी उपलब्ध होनी चाहिये जिन्हें इस समय बोनस प्राप्त नहीं हो रहा है।

श्री प्रसन्न भाई मेहता (भावनगर) : इससे सरकार की सीमित श्रमिक नीति का पता चलता है इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों तथा सहकारी वाणिज्यिक उपक्रमों के सभी कर्मचारी शामिल किये जाने चाहिये।

श्री एस० एम० बनर्जी : मंत्री महोदय को इस बात का आश्वासन देना चाहिये कि बोनस आयोग द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और वाणिज्यिक उपक्रमों और निगमों के सब कर्मचारियों को बोनस देने के बारे में सरकार विचार करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आशा है मंत्री महोदय इन सब प्रश्नों पर विचार करेंगे।

प्रश्न यह है:—

"कि बोनस संदाय अधिनियम, 1965 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:—

"कि खण्ड 2 और 3, खंड 1, अधिनियमन, सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खंड 2 और 3, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 and 3, clause 1, the Enacting Formula and the title were added to the Bill.

श्री बाल गोविन्द वर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुग्रा।

The Motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ महत्वपूर्ण पत्र सभा-पटल पर रखने के लिए मंत्रियों ने ग्रनुमति मांगी है। ग्रब वे ऐसा कर सकते हैं।

सेन्ट्रल प्राविन्सिज मैंगनीज ग्रौर कम्पनी लि० के शेयर के प्रस्तावित ग्रन्तरण के बारे में वक्तव्य

Statement Re. Proposed transfer of Share of Central Provinces Manganese Ore Company Ltd.

इस्पात ग्रौर खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : मैं सेन्ट्रल प्रोविन्सिज मैंगनीज ग्रौर कम्पनी लिमिटेड के शेयर के प्रस्तावित ग्रन्तरण के बारे में श्री वसन्त साठे द्वारा 21 ग्रगस्त्, 1974 को सभा में नियम 377 के ग्रधीन उठाये गये मामले के ग्रनुसरण में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

21 ग्रगस्त् 1974 को सेन्ट्रल प्रोविन्सिज मैंगनीज ग्रौर कम्पनी लि० (सी० पी० एम० ग्रो०) के शेयर प्राप्त करने के बारे में श्री ग्रार० एन० कपूर की गतिविधियों के सम्बन्ध में श्री वसन्त साठे द्वारा रखे गए प्रस्ताव पर मैंने एक वक्तव्य देने का ग्राश्वासन दिया था।

सेन्ट्रल प्रोविन्सिज मैंगनीज ग्रौर कम्पनी लि० एक स्टर्लिंग कम्पनी है जो ग्रेट-ब्रिटेन में निगमित है। यह कम्पनी सन् 1901 से वर्तमान मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के कुछ जिलों में कारोबार कर रही थी। सन 1961 में इस कम्पनी द्वारा लिए गये कुछ पट्टों के नवीकरण का प्रश्न ग्राया। उस समय ग्रापसी समझौते से यह फैसला किया गया कि सी०पी०एम०ग्रो० के पास 19 पट्टों में से 18 पट्टों के काम के लिए एक नई कम्पनी बनाई जाय। इस तरह मैंगनीज ग्रौर इंडिया लि० का गठन हुग्रा जिसमें 49% शेयर सी०पी०एम०ग्रो० के थे ग्रौर शेष 51% शेयरों में भारत सरकार, मध्य प्रदेश ग्रौर महाराष्ट्र की सरकारें बराबर की भागीदार थीं।

एक पट्टा ग्रर्थात् बालापुर हमेशा सी०पी०एम०ग्रो० के पास था जिसका नवीकरण सन् 1971 में होना था। सरकार ने इसका नवीकरण करने से इन्कार कर दिया। कम्पनी ने महाराष्ट्र उच्च न्यायालय की नागपुर न्यायापीठ में मुकदमा दायर कर दिया ग्रौर रोधनादेश प्राप्त कर लिया जिससे उनको इस सम्पत्ति को ग्रपने कब्जे में रखने की ग्रनुमति मिल गई। यह रोधनादेश ग्रभी भी लागू है।

इस मुकदमे को लड़ने के लिए कदम उठाए गए। ग्रगस्त, 1972 में सी०पी०एम०ग्रो० ने न्यायालय के बाहर इस मुकदमे का फैसला करने के लिए लन्दन से ग्रपने प्रतिनिधि भेजे। उन्होने यह पेशकश की कि वह इस खनन पट्टे के सम्बन्ध में ग्रपने ग्रधिकारी छोड़ने को तैयार हैं बशर्ते कि भारत सरकार मैंगनीज ग्रौर इंडिया लि० में सी०पी०एम०ग्रो० के 49% शेयर बातचीत द्वारा तय किए गए मूल्यों पर ले ले।

फरवरी, 1973 में सी०पी०एम०ग्रो० के तत्कालीन प्रबन्धकों के प्रतिनिधियों से बातचीत की गई। जबकि यह मामला ग्रभी विचाराधीन ही था तो सरकार को यह मालूम हुग्रा कि सी०पी०एम०ग्रो० के मालिक बदल गए हैं ग्रौर सी०पी०एम०ग्रो० में मैजोरिटी इन्ट्रेस्ट भारतीय मूल के नए लोगों ने प्राप्त

कर लिया है। पूछताछ करने पर यह पता चला कि श्री राम नारायण कपूर नामक व्यक्ति इस कम्पनी का अध्यक्ष बन गया है और उसका बेटा श्री राम नाथ कपूर निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया गया है। जब मैंगनीज और इंडिया लि० में सी०पी०एम०ओ० के 49% शेयर प्राप्त करने के लिए बातचीत आरम्भ की गई थी उसके बाद मैंगनीज और इंडिया लि० की वित्तीय स्थिति बिगड़ गई थी। इस बात को तथा सी०पी०एम०ओ० के प्रबन्धकों के बदल जाने की बात को देखते हुए मैंगनीज और इंडिया लि० में सी०पी०एम०ओ० के शेयर प्राप्त करने के पहिले प्रस्ताव पर पुनः विचार करना आवश्यक हो गया। यह फैसला किया गया है कि सी०पी०एम०ओ० के तत्कालीन प्रबन्धकों के साथ पहिले की गई बातचीत खत्म कर दी जाये।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973, के अधीन ऐसी विदेशी कम्पनियों के लिए जो भारत में कारोबार कर रही हैं अथवा जिनके भारतीय कम्पनियों में शेयर हैं भारत में कारोबार जारी रखने के लिए अथवा ऐसे हिस्से अपने पास रखने के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। सी०पी०एम०ओ० से ऐसे आवेदन प्राप्त हुए हैं और रिजर्व बैंक आफ इंडिया उन पर विचार कर रहा है।

कुछ समाचार-पत्रों में सी०पी०एम०ओ० तथा श्री आर०एन० कपूर की गतिविधियों के बारे में समाचार प्रकाशित हुए हैं। इन समाचारों में इन दोनों के द्वारा कई कम्पनियों के शेयर प्राप्त करने संबंधी सौदों का उल्लेख किया गया है। अभी तक हमारे पास इसके बारे में पूरे तथ्य नहीं हैं। पूरे तथ्यों का पता लग जाने के पश्चात् ही यह फैसला किया जायेगा कि क्या सी०पी०एम०ओ० के वर्तमान प्रबन्धकों अथवा श्री आर० एन० कपूर की कथित गतिविधियों के लिए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। मैं सदन को यह आश्वासन देता हूं कि कोई भी निर्णय लेने से पूर्व सरकार इस मामले के सभी पहलुओं पर पूरी तरह विचार करेगी।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अरब की सराय, नई दिल्ली में 5 सितम्बर, 1974 को हुई घटना के बारे में वक्तव्य

Statement Re. Incident on 5-9-74 at Industrial Training Institute, Arab Ki Sarai, New Delhi

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): मैं औद्योगिक प्रक्षिण संस्थान, अरब की सराय, निजामुददीन नई दिल्ली में 5 सितम्बर, 1974 को हुई घटना के सम्बन्ध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं

वक्तव्य

5 सितम्बर, 1974 को लगभग 12.20 बजे म० प० निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन पर जानकारी मिली कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अरब की सराय, निजामुद्दीन के छात्र बसों को रोक रहे हैं। इस सूचना के मिलते ही निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन की एक छोटी सी पुलिस की टकड़ी संस्थान के गेट पर जा पहुंची और उनके हस्तक्षेप करने पर बसों को चलने दिया गया। छात्रों ने कुछ बसों पर पथराव करने की कोशिश की किन्तु कोई हानि नहीं हुई। छात्रों ने बसों के चलने पर रोष प्रकट किया और पुलिस पर ईटें फेंकनी शुरु कर दीं। पथराव कुछ अधिक किया जाने लगा जिसके फलस्वरुप अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। मथुरा रोड पर यातायात में परिवर्तन करना पड़ा। छात्रों की संख्या बढ़कर 400 हो गई और पुलिस अधीक्षक तथा सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट भी वहां पहुंच गए। पुलिस फिर भी बड़े संयम से स्थिति का सामना करती रही।

लगभग 2 बजे म० प० स्थिति अधिक खराब हो गई जबकि इस बात की आशंका हुई कि कुछ कांस्टेबलों को संस्थान की इमारत के अन्दर खींचकर ले जाया गया है। इस बात पर पुलिस को गुम कांस्टेबलों की खोज के लिए इमारत के अन्दर प्रवेश करना पड़ा। छात्रों ने इसका कड़ा विरोध किया जिसके कारण पुलिस को छात्रों को तितर बितर करने के लिए 8 बार अश्रु गैस गोले फेंकने पड़े। तत्पश्चात् छात्र इमारत के विभिन्न भागों में गए और उन्होंने पुलिस पर ईन्टें फेंकी और विभिन्न स्थानों से पुलिस वालों को घायल किया।

जब गुम कांस्टेबलों की कर्मशाला में खोज की जा रही थी तो छात्र निरन्तर इसका कड़ा विरोध कर रहे थे उस समय संस्थान के प्रिंसिपल ने पुलिस दल को सूचित किया कि एक घायल कांस्टेबल संस्थान में औषधालय में पड़ा हुआ है जो कि संस्थान की मुख्य इमारत के बीच में स्थित है। जब पुलिस की एक टुकड़ी को औषधालय की ओर भेजा गया तो छात्रों ने रोकने का भरसक प्रयास किया। कभी-कभी पुलिस को लाठी का भी प्रयोग करना पड़ा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इमारत के अन्दर और कोई कांस्टेबल नहीं रोका हुआ है। इसके लिए इमारत के शेष भागों की भी खोज करनी पड़ी। इसमें संस्थान के स्टाफ वालों ने भी उन्हें सहयोग दिया। इमारत के अन्दर कोई अन्य कांस्टबल नहीं मिला। 2.30 बजे म० प० तक स्थिति पर नियंत्रण कर लिया था।

पचास छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। उनमें से नौ को साधारण चोटें आई है। सभी छात्रों को जमानत पर छोड़ने के आदेश दे दिये गये हैं। इस घटना में सब डिविजनल मिजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारी जिनमें पुलिस अधीक्षक तथा सब-डिविजनल पुलिस अधिकारी भी सम्मिलित हैं; घायल हुए हैं। तीन घायल कांस्टेबल अभी भी अस्पताल में हैं। गिरफ्तार छात्रों के विरूद्ध निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/148/149/186/353/332/341/342 के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

बिहार के कुर्था नगर में 5 सितम्बर, 1974 को पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के बारे में वक्तव्य

Statement Re. Police Firing at Kurtha town in Bihar on 5-9-1974

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं बिहार के कुर्था नगर में 5 सितम्बर, 1974 को पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं

वक्तव्य

बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार शोषित दल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 और भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 69(1) के अधीन जारी निषेधादेशों के उल्लघंन में कुर्था के खण्ड कार्यालय में प्रदर्शन और घेराव आयोजित किया। दिन के लगभग 12 बजे लगभग 1000 लोगों की भीड़ ने पुलिस का घेरा तोड़ डाला और ईंटों की वर्षा की। उन्होंने खण्ड कार्यालय के बरामदे में घुसने का प्रयास किया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठी चलाई। इस बीच भीड़ में और लोग भी शामिल हो गए तथा उसने उग्र और हिंसक रूप धारण कर लिया। इस बात का पता चला कि भीड़ वाले लोगों में से कुछ लोगों के पास तीर कमान, बन्दूकें, बर्छे, गन्डासे और लाठियां थीं भीड़ द्वारा पथराव किये जाने के परिणामस्वरूप एक पुलिस उपाध्यक्ष समेत 65 अधिकारियों को चोटें आयीं। भीड़ तोड़ फोड़ कर रही थी और पुलिस का लाठी चार्ज नाकामयाब साबित हुआ। भीड़ के नेताओं ने उसे हिंसा का सहारा लेने, खण्ड कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों पर हमला करने तथा

कार्यालय पर अधिकार कर लेने के लिए उकसाया । भीड़ की ओर से कुछ गोलियां भी चलाई गई जिसके कारण खण्ड कर्मचारियों के परिवारों की तीन महिलाओं को छर्रे लगे । चूंकि स्थिति काबू से बाहर हो रही थी। धन और सम्पत्ति को खतरा पैदा हो गया था और पुलिस का लाठी चार्ज निष्प्रभावी सिद्ध हो चुका था इसलिए जहानाबाद के एस० डी० एम० ने गोली चलाने का आदेश दिया। कुल मिलाकर 5 गोलियां चलाई गयीं। इसके फलस्वरुप शोषित दल के नेता और भूतपूर्व मंत्री मारे गए तथा तीन अन्य व्यक्ति घायल हुए। जख्मी लोगों को पटना मेडिकल कालेज अस्पताल में भेजा गया। खण्ड कार्यालय के कर्मचारियों के परिवारों की तीन महिलाओं को भी उक्त हस्पताल में भेजा गया।

बिहार सरकार ने जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत इस घटना की जांच के लिए एक आयोग गठित किया है। आयोग में राजस्व बोर्ड के अपर सदस्य श्री एस० सी० राय होंगे। राज्य सरकार ने मृतक के परिवार के लिए 20,000 रुपये का अनुग्रह पूर्ण अनुदान भी मंजूर किया है।

स्थिति पर अब नियंत्रण है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय ने यह घोषणा की थी कि सरकार को भूख से हुई मौतों और अभाव की स्थिति के बारे में अनिवार्य रूप से वक्तव्य देना होगा। यद्यपि एक सप्ताह व्यतीत हो गया है फिर भी अभी तक इस बारे में कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है.।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : कुर्था में गोली चलाये जाने से एक भूतपूर्व मंत्री की मृत्यु हुई थी। इससे वहां तनाव बना हुआ है । चूंकि यह एक छोटा वक्तव्य है, क्या इसे पढ़ा नहीं जा सकता ?

उपाध्यक्ष महोदय : वक्तव्य सभा पटल पर रख दिया गया है ।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : It has been brought to the notice of the Government that an agency of C.I.A. is working in Meghalaya. The Minister of Home Affairs had to make a statement on the subject, but he has not made any statement so far in this matter. It is one of our most important States and, moreover, it is a border State. We want to know what Steps Government proposes to take to stop the activities of C.I.A. in the State ?

उपाध्यक्ष महोदय : आशा है कि माननीय मंत्री इस ओर ध्यान देंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह बहुत गंभीर मामला है। इस विषय पर चर्चा की जानी चाहिये और फिर इस मामले में एक वक्तव्य दिया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय को माननीय सदस्य द्वारा कही गई बातों को नोट करना चाहिये। अब हम श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रस्ताव को चर्चा के लिये लेते हैं ।

लाइसेन्स देने के बारे में वाणिज्य मंत्रालय को दिये गये अभ्यावेदन पर लोक सभा के 21 सदस्यों के कथित हस्ताक्षरों से सम्बद्ध मामले की जांच करने के लिए संसदीय समिति गठित करने के बारे में प्रस्ताव

Motion re. constitution of Parliamentary Committee to examine matter relating to alleged signatures of 21 Members of Lok Sabha on a representation to the Ministry of Commerce about grant of Licences.

Shri Shankar Dev (Bider) : Sir, on a point of order. A similar motion was movee three days back, when a lot of disorder was created. I want an as surance from you that such disorder would not be created again.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि हमें सदन की गरिमा बनाये रखनी चाहिये। उक्त मामले को अब फिर से नहीं उठाना चाहिये हमें सभा की कार्यवाही जारी रखनी चाहिये ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जबकि सभा श्री वाजपेयी और श्री ज्योतिर्मय बसु के प्रस्ताव पर चर्चा करने वाली है और आज मानसून सत्र का आखिरी दिन है मैं यह जानना चाहता हूं कि सदन के नेता सरकार की ओर से किस समय बोलेंगे और इस संबन्ध में उत्तर देंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री ने एक पत्र लिख कर मुझे सूचित किया है कि वह दिल्ली से बाहर जा रही हैं और वह 9 सितम्बर को सभा की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकेंगी। जहां तक चर्चा का संबन्ध है, सरकार की ओर से कोई भी मंत्री उत्तर दे सकता है । माननीय सदस्यों को सदन की कार्यवाही में व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाने चाहियें ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I beg to move:

> "That this House resolves that with a view to ensure high standard of conduct in public life by Members of Parliament,a Parliamentary Committee comprising of 11 Members nominated by the Speaker, be constituted to examine the entire matter relating to the representation made to the Ministry of Commerce over the alleged signatures of 21 Members of Lok Sabha , the revelation made by the Minister that most of these signatures are forged and the actual allotment of licences to parties mentioned in the representation and to make necessary recommendations in that regard."

Mr. Speaker in the Chair

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

The Governments bow down about discussion on this motion has been described as opposition's victory by Newspapers. I feel it is a victory of Indian democracy.

In my view this Licence Scandal is a watergate of India. We saw the degradation of Democracy in the watergate but we also witnessed how conscious Democracy can force the highest executive to quit office. The licence scandal has brought out the weaknesses of Indian Democracy but its power has not yet come to light.

There was a news item in a Bombay weekly. In reply to a question in the Rajya Sabha the Commerce Minister admitted that a memorandum allegedly signed by 21 Members of Lok Sabha was received by the Ministry on 23rd November, 1972; that 6 firms of Yaman and Pondicherry were given Import Licences worth Rs. 30 lakhs as a result of that Memorandum; that the matter was enquired into by C.B.I. He also stated that the Firms were allowed to import Brandy, Gin and Whisky along with other varied things, and all this was done accordingly to normes, rules and regulations.

If it is a fact that all this was done according to rules and regulations that the firms are established importers, that their names were not black-listed, and the previous decision with regard to the firms was not fair and that position has now been rectified —if all this is a fact then why non of these 21 members is coming forward to say that injustice had been done to those firms?

You will agree that whenever any injustice, it may be of individual nature or collective nature, is pointed out to us, we write to the Minister . But in this matter, no Member has come forward to say that he wrote to the Minister. On the contrary, the fact is that 20 out of those 21 members have refused having signed the said Memorandum. They have also alleged that their signatures had been forged. Shri Tulmohan Ram ji is the only Member who has not said anything. He is alleged to have forged the signatures of others. He is also alleged to have made money. He is also said to have confessed his guilt before. C.B.I. **(Interruptions)**. Why is he not coming here and explaining his position ? His silence speaks of his guilt.

Shri Tulmohan Ram represents Bihar. How Pondichery, Yaman and Mahe firms contacted him for recommendation. He is not so well-know a Member. These firms have some contacts with men in Delhi. They had contacts with Shri Tulmohan. I can give their names. If a Parliamentary Committee is appointed out for investigation, I am prepared to produce a lot of evidence before it. Sir, mere conctacts with Shri Tulmohan Ram are not adequate for getting a licence. It is not possible unless he has contacts with a Minister. He can not get any licence issued. He had contacts with Shri Lalit Narain Mishra, who was foreign Trade Minister at that time. It is a fact that Shri Lalit Narain Mishra and Shri Tulmohan Ram have closed contacts. Shri Tulmohan Ram is constructing a School after the name of Pt. Ravinder Nath Mishra, father of Shri Lalit Narain Mishra. He has collected donation for the same.

Shri Mishra has confessed of having received a memorandum but he has said that the firms were not issued licences during his tenure. But he has not stated how that was received. According to my information, the memorandum was prepared under directions from Shri L.N. Mishra.

Sir, before leaving the Ministry he made arrangements to issue licences to the firms. The relations between the two did not change even after the Change of Ministry of Shri L.N. Mishra. Shri Tulmohan Ram has now entered the field of allotment of Railway Wagons. Shri Tulmohan Ram has taken a bribe of Rs. 21,000 from M/s. Vishwakarma Salt Industries of Phalodi, Rajasthan on 13th Februatry, 1974 . This amount was accepted through a cheque in the name of Shri Surinder Kumar Singh. This man lives in the servant quarter attached to Shri Tulmohan's residence. Shri Surender Kumar Singh is known to Shri Tulmohan , though during investigations it was stated by Mrs. Tulmohan that they did not know him and he did not live there.

The cheque was to be encashed on 28th February, 1974. The party had assured that they would pay the amount in cash and collect back the cheque. But Shri Tulmohan did not wait and received the amount from the Bank on 26 th February, 1974. When it came to the notice of the Bank that the cheque bore the date of 28th February, 1974, they went to the residence of Shri Tulmohan. They were told that Shri Surender Kumar Singh did not live there. The bank contacted the party at Jaipur, who had issued the cheque and were told to contact two employees of Railway Board who had also been paid some amount. On the Holiday, an amount of Rs. 16,000 was returned by Shri Tulmohan Ram. The Bank has

forwarded all its papers to its headquarters. I will prove this in Parliamentary Committee. Shri Tulmohan has taken an amount of Rs. 5400 from a trader of Narela for getting him Dalda Agency. Shri Tulmohan Ram has also cheated Shri Chota Ram of Khera Kalan in disposing of his land.

This scandal is being discussed in this country as well as in foreign countries. There is a controvercy about the agency to undertake investigations. As it relates to the conduct of Members of Parliament, there is a demand that investigations should be carried out by a Parliamentary Committee. But the Government has taken the stand that investigations should be carried out by C.B.I. in the first of this instance. We are not in favour of this C.B.I. is a Governmental agency. We can not hope to get justice from a Governmental agency in such a case. The file relating to these licences has been tampered with.

Members of Parliament belonging to Congress as well as Members of Cabinet are involved in this case. But the Prime Minister has not spoken anything about the case in the House. But, while speaking at Ambala, she criticised the opposition for raising the bogey of corruption against Shri Mishra and others. When the Prime Minister has expressed such views, how can we hope to get justice from C.B.I. Shri Mishra is shielded by the Prime Minister.

We all know the way Shri T. Sen, Director, C.B.I. was appointed. He has acted as a tool in the hands of certain persons. As he has been a convenient tool, he is being granted extension.

During the last session, I had raised the matter of C.B.I. enquiries against two Officers of C.C.I.E. Office. The Minister had promised to find out the facts. But he has not so far divulged the facts before the House.

A Cine Laboratory of Bombay was issued an import licence worth Rs. 40,000. Later on, the amount was raised to Rs. 2,92,000 C.B.I. inquiry into the matter revealed that a Member of Parliament was connected with that case, one Mr. Aiyyar had given a Radio Transister, a Room Cooler, a Record Player and some cash amount to that Member of Parliament. When it was proved, C.B.I. wanted permission to search the residence of the concerned Member of Parliament. But the then Home Secretary was also interested in the case. So, the permission was not granted. The matter has since been hushed up. We believe that C.B.I. can not investigate this matter also with independence.

The demand for Parliamentary probe has been raised by some congress Members as well. It has been reported in the Press that 50 Members have submitted a Memorandum to the Prime Minister requesting that matter should be referred to a Parliamentary committee. Public openion is also in favour of a probe by a Parliamentary Committee. Newspapers have also expressed the view that whole facts relating to this scandel can come out only in a Parliamentary Committee probe.

In the present context, we are reminded of the famous Mudgil Case. He was also a Congress Member of Parliament. In order to avoid Prliamentary probe, he wanted a probe by Congress Party about his conduct. But the then Prime Minister refused to agree to that request on the ground that as the whole House was concerned with the matter, such a probe was neither feasible nor desirable.

At that time when Shri Mudgil pointed out that enquiry may lead to some unforeseen repercussions, Pandit Nehru had said "I do not understand your reference to 'unforeseen repercussions' in the existing atmosphere in the country". Not only that, Pandit Nehru himself brought a motion against that. A Parliamentary Committee was constituted which was given the status of 'Court of Honour'. This Committee was not bound by any technical rules and its object was ascertainment of truth, fairplay and justice to all concerned. But today, neither our Government nor the Prime Minister is prepared to accept the demand of an enquiry by Parliamentary Committee. This enquiry is being demanded even by the Congress Party. Why should Government be

affraid of it ? Who signed the Memorandum ? Whether signatures of the memorandum were genuine or not ? All these aspects which exclusively relate to Members of Parliament can only be properely enquired into by a Parliamentary Committee. In accordance with article nine of Bill of Rights, whatever is said in the House becomes the property of Parliament and that cannot be looked into by any outside agency.

The other reason is that the process of investigation by C.B.I. is very slow and many a time it is influenced by Government. Today our country is not only confronted with the problems of material values of life but it is also confronted with the problem of moral values. The dignity of the entire House is at stake. A bad name is being given to the entire Parliament and its Members. To put honesty, high standard of conduct and purity of Members of Parliament to test, I have moved this motion so that public confidence in the highest institution of democracy is not shaken. If the demand for a probe by a Parliamentary Committee is accepted, it will add to the dignity of Members of Parliament. But if it is turned down by the brute majority of the ruling party, Government must bear in mind that public will not tolerate it and may go against the Government.

अध्यक्ष महोदय : आप सबको यह मालूम होना चाहिए कि इस प्रस्ताव से सम्बद्ध लगभग 16 संशोधन मुझे प्राप्त हुए हैं इनमें से एक एक संशोधन सर्व श्री मधुलिमये, समर गुह बनर्जी, वी०वी० नायक, जनेश्वर मिश्र, शिनाय, मावलंकर आदि के नाम से है, यह सभी संशोधन प्रस्तुत किये जायें।

श्री मधु लिमये (बांका) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

1. कि प्रस्ताव में, —

"कि इस बात को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि संसद सदस्य सार्वजनिक जीवन में आचरण का उच्च स्तर बनाये रखें, अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट 11 सदस्यों की एक समिति गठित की जाये जो लोक सभा के 21 सदस्यों के कथित हस्ताक्षरों में वाणिज्य मंत्रालय को दिये गये अभ्यावेदन, मंत्री द्वारा किये गये इस रहस्योद्घाटन कि उनमें से अधिकांश हस्ताक्षर जाली हैं और अभ्यावेदन में उल्लिखित फर्मों को वास्तव में अलाट किये गये लाइसेंसों से संबद्ध समूचे मामले की जांच करें और उस संबन्ध में आवश्यक सिफारिशें करें।"

के स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया जाये–

"कि 17 सदस्यों की एक समिति जिसमें सभापति सहित विपक्ष से 8 और सत्ताधारी दल से 9 सदस्यों हों, निम्नलिखित बातों की छानबीन के लिये गठित की जाये :

(क) क्या कुछ पार्टियों को लाइसेंस देने की सिफारिश करने वाले अभ्यावेदन पर लोक सभा के 21 सदस्यों के कथित हस्ताक्षर जाली हैं अथवा क्या उनमें से कोई असली भी है ;

(ख) क्या इससे पूर्व लाइसेंस के लिये उन पार्टियों के प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किये जा चुके थे ;

(ग) क्या पार्टियों के लाभ के लिये संघ राज्यक्षेत्र पांडिचेरी के कुछ भागों को सम्मिलित करने के उद्देश्य से अधिसूचना में संशोधन करने में विदेश व्यापार वाणिज्य मंत्रालय ने कोई अनियमितता की थी;

(घ) क्या संसद् सदस्यों के इस ज्ञापन पर उस समय कोई कार्यवाही की गई थी जब श्री एल० एन० मिश्र विदेश व्यापार मंत्री थे और क्या लाइसेंस देने के लिये सिद्धान्त रूप में कोई निर्णय उनके कार्यकाल के दौरान लिया गया था ;

(ङ) लाइसेंस जारी करने के मामले में वाणिज्य मंत्री प्रो० चट्टोपाध्याय का उत्तरदायित्व ;

(च) क्या हस्ताक्षर करने वाले कथित सदस्यों में से किसी ने अपने हस्ताक्षरों के असली होने से इंकार करके झूठ बोला, कोई घूस स्वीकार की अथवा अन्य कोई अनियमितता या अपराध किया ;

(छ) इस संबन्ध में वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी भी अन्य अधिकारी की जिम्मेवारी ;

(ज) क्या जिन पार्टियों को लाइसेंस जारी किये गये थे, उन्हें "काली सूची" में रखा गया था तथा सरकारी अभिकरणों ने पहले ही उनकी संदेहास्पद कार्यवाहियां की सूचना दी थी ;

(झ) क्या ये पार्टियां लाइसेंसों की सौदेबाजी करती रही है तथा उन्होंने प्राधिकार पत्र और अन्य नियमों से संबद्ध शर्तों का अल्लंघन किया है ;

(ण) क्या घूस देने और लेने में विदेश व्यापार मंत्रालय तथा लोक सभा के/का कोई सदस्य, कोई अधिकारी, लाइसेंसधारी तथा अन्य नागरिक शामिल थे ;

तथा अन्य ऐसे मामले जो अध्यक्ष अथवा सभापति की राय में संगत हों।

सभा यह भी संकल्प करती है कि समिति लोक सभा के शरद्कालीन सत्र में एक प्राथमिक प्रतिवेदन दे।"

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताल में, —

"11 सदस्यों" के स्थान पर "15 सदस्यों" **प्रतिस्थापित किया जाये।**

कि प्रस्ताव के अन्त में यह **जोड़ा जाये—**

"**और** समूचे मामले की उपयुक्त तथा पर्याप्त जांच के लिये इस संबन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रारम्भिक प्रतिवेदन तथा इस मामले से संबन्धित ऐसे सभी दस्तावेज जो केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा वाणिज्य मंत्रालय के पास हैं कब्जे में ले लिये जायें एवं अध्यक्ष की अभिरक्षा में रखे जायें और दण्ड संहिता के विभिन्न उपबन्धों के अधीन पंजीकृत मामलों की सयस्त जांच तथा तत्संबन्धी अन्य कार्यवाही तुरन्त निलम्बित की जाये।"

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव में, —

"कि इस बात को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि संसद् सदस्य सार्वजनिक जीवन में आचरण का उच्च स्तर बनाये रखें, अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट 11 सदस्यों की एक समिति गठित की जाये जो लोक सभा के 21 सदस्यों क कथित हस्ताक्षरों में वाणिज्य मंत्रालय को दिये गये अभ्यावेदन, मंत्री द्वारा किये गये इस रहस्योद्घाटन कि उनमें से अधिकांश हस्ताक्षर जाली है और अभ्यावेदन में उल्लिखित फर्मों को वास्तव में अलाट किये गये लाइसेंसों से संबद्ध समूचे मामले की जांच करें और उस संबंध में आवश्यक सिफारिशें करें।" **के स्थान पर** यह **प्रतिस्थापित किया जाये—**

"अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट 15 सदस्यों की सभा की एक समिति गठित की जाये जो इस बात की जांच करें कि राज्य सभा में 27 अगस्त, 1974 को तारांकित प्रश्न संख्या 730 के उत्तर में निर्दिष्ट पार्टियों को लाइसेंस देने की सिफारिश करने वाले पत्र के साथ लोक सभा के कुछ सदस्यों के नाम जोड़े जाने के फलस्वरूप किन व्यक्तियों, परिस्थितियों तथा कारणों से समूची लोक सभा की प्रतिष्ठा कम हुई है और समिति अपना अन्तरिम प्रतिवेदन शीतकालीन सत्र के प्रथम दिन प्रस्तुत करे।"

श्री बी० वी० नायक (कनारा) मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाय, —

"और समिति में नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले 11 सदस्य एसे हों जिन्होंने जीवन भर ईमानदारी के साथ जीवन-यापन किया है एवम् जो संसदीय जांच से पूर्व, उसके दौरान तथा उसके पश्चात् अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में विवरण प्रस्तुत करेंगे।"

श्री जनेश्वर मिश्र (इलाहाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, —

"और आगे संकल्प करती है कि समिति अपना पहला प्रतिवेदन लोक सभा के अगले सत्र के आरम्भ होने से पूर्व प्रस्तुत करे और समिति द्वारा की जाने वाली जांच संबन्धी कार्यवाही खुली जांच (प्रैस और जनता के लिये खुली) के रूप में हो।"

श्री पी० आर० शिनाय : (उदीपी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव में "समूचे मामले" **के पश्चात्** यह **अन्तःस्थापित किया जाये, —**

"और साथ ही भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों में लाइसेंसों के ऐसे सभी मामलों जिनमें 5वीं लोक सभा के किसी सदस्य या सदस्यों द्वारा किसी मंत्री अथवा सरकारी अधिकारी से कोई सिफारिश की गई हो, या उन्हें कोई अभ्यावेदन दिया गया हो अथवा ऐसा किया जाने का संदेह हो।"

श्री मधु लिमये : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव में,—

"अभ्यावेदन में उल्लिखित फर्मों को वास्तव में अलाट किये गये लाइसेंसों से संबन्ध समूचे मामले की जांच करे और उस संबन्ध में आवश्यक सिफारिशें करें।" **के स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया जाये, —**

"फर्मों को दिये गये लाइसेंसों का ब्यौरा इन लाइसेंसों में अवैध सौदेबाजी के आरोपों, हस्ताक्षरकर्ताओं को रिश्वत के प्रश्न, इन मांगों का औचित्य, यदि कोई हो, कि जांच के दौरान संबधित मंत्री को पद से हटाया जाये और संबन्धित अधिकारियों को निलम्बित किया जाये से संबन्ध समूचे मामले की जांच कर और भविष्य में मार्गदर्शन हेतु उस सम्बन्ध में आवश्यक सिफारिशें करें।"

श्री समर गुह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये—

"और समूचे मामले की उपयुक्त तथा पर्याप्त जांच के लिये इस संबन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रारम्भिक प्रतिवेदन तथा इस मामले से संबन्धित ऐसे सभी दस्तावेज जो केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा वाणिज्य मंत्रालय के पास हैं कब्जे में ले लिये जायें एवम् अध्यक्ष मी अभिरक्षा में रखे जायें और दण्ड संहिता के विभिन्न उपबन्धों के अधीन पंजीकृत मामलों की समस्त जांच तथा तत्संबन्धी अन्य कार्यवाही तुरन्त निलम्बित की जाये तथा संसदीय समिति के निर्देश पदों में निम्नलिखित विषयों की जांच शामिल की जाये,—(क) संयुक्त हस्ताक्षरों का मूल पाठ तथा तिथि और उन अधिकारियों के नाम जिन्हें 21 संसद् सदस्यों की सिफारिश प्राप्त हुई थी, (ख) उस पर भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी, (ग) क्या लाइसेंस जारी करने से पूर्व हस्ताक्षरों की जांच की गई थी, (घ) लाइसेंस मंजूर करने वाले अधिकारी अथवा अधिकारियों के नाम, (ङ) क्या सम्बन्धित मंत्री से परामर्श किया गया था तथा क्या उन्होंने लाइसेंसों के प्रार्थना पत्रों पर कोई टिप्पणी की थी, (च) लाइसेंसधारियों के नाम तथा प्रत्येक मामले में लाइसेंस की राशि, (छ) क्या इन लाइसेंसधारियों का नाम उससे पहले काली सूची में रखा गया था और यदि हां तो, उन्हें लाइसेंस जारी करने के कारण, (ज) क्या लाइसेंस बेचे गये थे, और यदि हां, तो किन को और किन शर्तों पर और क्या इन लाइसेंसों के अन्तरण में बिचौलिया ऐजन्सियों का हाथ था और इन लाइसेंस को आयात हेतु कब उपयोग किया गया, (झ) संसद् सदस्यों के हस्ताक्षरों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच का आदेश क्यों और कब दिया गया और क्या 'ब्लिटज' के सम्पादक से सम्पर्क किया गया था और यदि हां, तो उक्त सम्पादक से की गई पूछ-ताछ संबन्धी रिपोर्ट का पाठ, (ज) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने प्रारम्भिक प्रतिवेदन कब दिया तथा क्या संबन्धित मंत्रालय को कोई अन्तरिम प्रतिवेदन भी भेजा गया था, (ट) क्या प्रधान मंत्री और विदेश व्यापार मंत्री को इस मामले के

बारे में सूचित किया गया था और, यदि हां, तो उसके बारे में उनकी प्रतिक्रिया, (ठ) हस्ताक्षरकर्ताओं तथा संसद् को केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के बारे में पहले सूचना क्यों नहीं दी गयी, (ड) संबन्धित पत्र क्या-क्या हैं तथा ये किसके पास हैं, (ढ) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो को संयुक्त सिफारिश के साथ सदस्यों के मूल हस्ताक्षर दिये गये थे अथवा उनकी फोटोस्टेट प्रतियां दी गई थीं, (ण) केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रारम्भिक प्रतिवेदन कब प्राप्त हुआ और उसकी जांच किसने की, (त) केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रारम्भिक प्रतिवेदन का पाठ, (थ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो को पूर्ण जांच का आदेश कब दिया गया था और लाइसेंसधारियों के विरुद्ध मामले कब दर्ज किए गये, (द) मामले की पूर्ण जांच के लिये जारी किए गए, आदेश का पाठ और जांच के निर्देश पद तथा अन्य संगत मामले जिनके बारे में संसदीय समिति निर्णय करे।"

श्री निम्बालकर (कोल्हापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव में,—

"11 सदस्यों" **के पश्चात् यह अन्तःस्थापित किया जाये—**

"जो उनके विचारानुसार पूर्णतया निष्पक्ष और न्यायशील हों,"

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद): मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव में,—

"11 सदस्यों" के **स्थान पर** "15 सदस्यों" **प्रतिस्थापित किया जायें।**

कि प्रस्ताव में ,—

"समिति " **के पश्चात्** यह **अन्तःस्थापित किया जाये**—

"जो सभा में विभिन्न दलों और विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करती हों,"

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये—

"और इस बात को भी सुनिश्चित करने के लिये कि उक्त संसदीय समिति की समूची जांच स्वतन्त्र और निष्पक्ष हों, केन्द्रीय जांच ब्यूरो की तथा अन्य समस्त जांच-पड़ताल सीधे समिति की देख-रेख और नियंत्रण में की जाये तथा इस प्रयोजनार्थ सभी आवश्यक और संगत पत्र तथा दस्तावेज तुरन्त अध्यक्ष को सौंप दिये जायें ताकि इस समूचे मामले की वास्तविकता की निष्पक्ष और निर्भीक जांच द्वारा समस्त वातावरण पूर्णतया तथा प्रभावी ढंग से स्वच्छ हो सके।"

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्तव करता हूं :

कि प्रस्ताव में,—

पंक्ति 7 में "उस बारे में" **के पश्चात् यह अन्तःस्थापित किया जाये :—**

"केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इस समय की जा रही जांच के परिणामों के घोषित किये जाने और सभा द्वारा उनके संबन्ध में अपनी राय दिये जाने के पश्चात्"

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में जोड़ा जाये—

कि यह सभा संकल्प करती है :--

"कि यह सभा और आगे संकल्प करती है कि जहां तक श्री तुलमोहन राम, इस अभ्यावेदन पर तथाकथित हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक का संबन्ध है, इस लाइसेंस कांड के पता लगने के समय से, उनका व्यवहार प्रत्यक्ष रूप से अपराध स्वीकार करने के तुल्य ठहरता है और इसीलिये जांच कार्यवाही पूरी होने तक श्री तुलमोहन राम को सभा की सेवा से निलम्बित किया जाये ।"

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में जोड़ा जाये—

"और कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो, सभी उपलब्ध दस्तावेजों तथा साक्ष्य सहित इस मामले के संबन्ध में की गई जांच पड़ताल की रिपोर्ट 30 सितम्बर, 1974 तक समिति को प्रस्तुत कर देगा और समिति द्वारा अपेक्षित अन्य सहायता भी देगा ।"

Shri Chandrajit Yadav (Azamgarh) : Mr, Speaker, Sir, Shri Vajpayee, while revealing certain facts in his speech, has accepted that the Mahe and Yaman firms were the registere firm for imports. **(interruptions)**

Shri Atal Bihari Vajpayee : No, I have rather asked whether these firms were registered for imports ?

Shri Chandrajit Yadav : It is true that these were importing firms and they were not blacklisted. It is also correct that justice was not done with these firms during the last 14 years while issuing import licences. I think Government should take a note of the undue delay which the granting of licence took in this case and the procedure and by-laws should be amended accordingly.

Quite a number of surprising facts have been revealed by Shri Vajpayee about Shri Tulmohan Ram. It is really a serious matter and when it is said by a senior and serious Member of this House, naturally it must have some solid background. But at the same time I strongly feel that Shri Tulmohan Ram, who is also an hon. Member of this House, he too should be given an opportunity to explain his position before this House. I do accept that the conduct of the Members of Parliament must be of high standard and it should in no way undermine dignity of the House. Their conduct must be in accordance with the high traditions of Parliamentary democracy. There cannot be two opinions about it, but then the question is why this issue took such a serious turn ? Whether any unfair means were adopted while issuing licences to these firms ? I hope that the hon. Minister will place all the facts before the House and explain whether import licences were simply given on the recommendation of 21 Members, whether merits of the case were examined by the Ministry according to relevant rules or not ?

The other question raised is why this issue was referred to C.B.I. ? Hon. Members are aware of that fact that 20 Members have denied that their signatures were there on the memorandum. In these circumstances verifications was considered to be necessary and that is why the issue was referred to the C.B.I. The bogus signatures are being verified and examined by that agency.

The other question is whether a Parliamentary Committee should be formed straight way or any other mode should be adopted for the purpose ? The other point is that according to the F.I.R. it has been said to be a case of for gery and cheating..... **(interruption)**

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir, I have a point of order. You will recollect that it was stated in the Business Advisory Committee that the F.I.R. will be filed. The paper relating to F.I.R. has been seen by hon. Member but it has neither been circulated to Shri Vajpayee nor to us.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Hon. Law Minister spoke twice but he has not stated what are the contents of F.I.R. ?

Shri Madhu Limaye : The documents must be made available to us.

Shri Atal Bihari Vajpayee : It is a serious issue and the Law Minister is concealing facts from the House. He has filed the F.I.R. but its contents have not been revealed. Even this has not been stated that F.I.R. has been filed.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । विधि मंत्री से कई बार पूछा गया कि मामले का विषय क्या था और वह कहां और कब दर्ज किया गया था। मंत्री महोदय ने उसके बारे में जानकारी देने से इन्कार कर दिया है । क्या ऐसा उचित है ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री : (श्री एच० आर० गोखले) : मैंने कुछ भी छिपाया नहीं है । मैंने बताया था कि यह मामला न्यायालय में नहीं है और इसीलिए यह न्यायाधीन नहीं है । (**व्यवधान**) अपराध संबन्धी मामला दर्ज किया गया है और जांच चल रही है । हमें निष्कर्ष की प्रतीक्षा करनी होगी ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या मंत्री महोदय का कर्त्तव्य यह बताना नहीं है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में क्या लिखा था ? सरकार छिपाना क्यों चाहती है ?

अध्यक्ष महोदय : नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यह नियम संसदीय ग्रंथालय में रखे जाने वाले कागजात के बारे में है बाहर के दस्तावेजों के बारे में नहीं । मंत्री महोदय यह बताना क्यों नहीं चाहते कि मामला कब दर्ज किया गया ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : '(डायमंड हार्बर) : विधि मंत्री 'दर्ज' शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, प्रथम सूचना रिपोर्ट शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते ?

Shri Chandrajit Yadav (Azamgarh) : It has been alleged that besides forgery and cheating, illegal gratification is also involved. But these are criminal offences . House has got no right under Law of the Land to take cognizence of such offences. It can take notice of cases in which breach of privileges has been committed. C.B.I. is the only proper authority to probe the matter. Shri Vajpayee has demanded that Parliamentary Committee should be set up to go into the matter. But it would be impossible for the Committee to establish whether signatures are forged or genuine.

Reference has been made to the Mudgal case. But that was a case of different nature. No criminal case was involved only personal conduct of a Member was involved. Therefore, in the present case Parliamentary Committee cannot be set up. Certain Members have said that they have no confidence in C.B.I. My submission is that the only work left with the opposition is to cast aspersion on others. I want that investigation should be made without delay and report be submitted before commencement of next session. Shri Vajpayee has levelled charges against Sh. Tul Mohan Ram. But we should not forget the proverb 'Haste makes waste'. A chance must be given to the concerned Member to contest the allegations. In case, C.B.I. comes to the conclusion that a case of breach of privilege is involved, then Parliamentary Committee can be set up.

Shri Vajpayee has stated that democracy has serious lapses. But he should not forget that system of Parliamentary democracy has its merits also. It is considered as one of the best system of Government in the world and it is our duty to express our confidence in Parliamentary democracy. With these words I submit that this motion should not be accepted.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gawalior) : It would be necessary to place on the table of the House the copy of F.I.R. only then, the discussion on the matter will be meaningful.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : सभा-पटल पर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति रखी जानी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई गोपनीय कागजात नहीं है । जब भी कोई मामला न्यायालय में जाता है तो प्रथम सूचना रिर्पोट को देखा जा सकता है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : हमें इतना भी नहीं बताया गया कि रिर्पोट कब और कहां दर्ज की गई।

श्री सैंझियन (कुम्बकोणम) : मैंने पूछा था कि रिर्पोट कब दर्ज की गई । मंत्री महोदय ने कहा 'कुछ दिन पूर्व' । केवल इतना बताना पर्याप्त नहीं है ।

श्री एच० आर० गोखले : उस समय तक मुझे तिथि की जानकारी नहीं थी । अब मैं बताना चाहता हूं कि रिर्पोट दो तारीख को दर्ज की गई थी।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : जब तक यह न बताया जाए कि मामला किस न्यायालय में है हम सूचना की प्रति कैसे प्राप्त कर सकते हैं । हमें न्यायालय का नाम भी बताया जाना चाहिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि विधि मंत्री ने अधिकांश सदस्यों को कानून की जानकारी न होने का अनुचित लाभ उठाने का प्रयत्न किया है । उन्होंने जानबूझकर 'प्रथम सूचना रिर्पोट' की बजाय 'मामला दर्ज किया गया है' शब्द प्रयोग कर हमारी आंखों में धूल झौंकनी चाही। अगर मंत्री महोदय की जगह मैं होता तो संसदीय जांच के आदेश तुरन्त दे देता ।

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या मामला दर्ज करने के समय जालसाजी धोखाधड़ी आदि बातों का उल्लेख किया गया है ? क्या उन्होंने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को अगले सत्र के आरम्भ होने से पहले अपना अन्तरिम प्रतिवेदन पेश करने के लिए कहा है ?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ब्लिटज में यह समाचार पढ़कर मैंने आपका और सरकार का ध्यान इस मामले की ओर दिलाया । उसके बाद भी अध्यक्ष को तथ्यों से अवगत नहीं कराया गया। मेरे विशेषाधिकार प्रश्न के प्रस्ताव के पेश किए जाने के बाद ही प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज की गई । यह कितने शर्म की बात है कि अध्यक्ष को तब भी कोई सूचना नहीं दी गई ?

ये लाइसेंस 30 लाख रुपये की कीमत के हैं तथा प्रीमियम सहित इसका बाजार मूल्य एक करोड़ से भी अधिक है । श्री एल०एन० मिश्र ने अपना विदेश व्यापार मंत्री पद छोड़ने से दो दिन पूर्व इस फाइल पर हस्ताक्षर किए थे।.....(व्यवधान) श्री चट्टोपाध्याय ने कहा कि 17 पार्टियों को लाइसेंसों को पुनः नवीकरण के लिए कहा गया है । जांच करने पर पता चला कि 6 मामले रद्द कर दिए गए थे। उन्हें आयात करने की जो अनुमति दी गई थी वह पूरी नहीं अपितु 50 प्रतिशत थी ।

मंत्री महोदय ने बताया कि छोटी-सी गल्ती के कारण इन उद्योग पतियों को सम्मिलित नहीं किया गया । क्या यह सच नहीं कि उद्योगपतियों ने वर्ष 1955-56 में सरकार से लाइसेंस प्राप्त करने का अनुरोध किया था किन्तु सरकार ने लाइसेंस देने से इंकार कर दिया था । इसके बाद अचानक ही आवेदन पत्र लिए गए और लाइसेंस जारी कर दिए गए । लाइसेंस जारी करने में कौन-सा मान्य तथ्य ध्यान में रखा गया ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इन फर्मों के मालिक वास्तव में लाइसेंस प्राप्त पार्टियां हीं हैं और क्या इन लाइसेंसों को बेच दिया गया और आयात-कर्त्ताओं ने स्वयं कुछ भी आयात नहीं किया? इन्हीं फर्मों को कितने अधिक लाइसेंस जारी किए गए? बाद में आवेदन-पत्र स्वीकार करने के क्या आधार हैं ? क्या अपने दल के लिए चंदा इकट्ठा करने हेतु लाइसेंस दिए गए ?

"हिन्दुस्तान टाइम्स" में स्पष्ट कहा गया है कि कम से कम सात या आठ हस्ताक्षर वास्तविक हैं । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने हस्तलेख विशेषज्ञों को जांच हेतु हस्ताक्षर भेजे थे ? मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं किया गया । देश में आये दिन इस प्रकार के घोटाले होने लगे हैं।

अधिकांश सदस्यों ने संसदीय जांच की मांग की थी परन्तु प्रधानमंत्री के दबाव में आकर उन्होंने अपनी मांग वापिस ले ली । अगर आप "नेशनल हेराल्ड" "हिन्दुस्तान टाइम्स" और समाचार "भाग–II" को देखें तो आप आश्वस्त हो जाऐंगे । मुझे यह सूचना मिली है कि सारा काम मंत्री महोदय के अकबर रोड स्थित निवास-स्थान पर सम्पन्न हुआ ।

एक मामले में दस्तावेज हस्ताक्षर करवाने के लिए नर्सिंग होम में ले जाया गया और श्री एल०एन० मिश्र के एक नजदीकी कांग्रेस सदस्य ने पहले ही सवा लाख रुपया ले लिया है ।

मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं कि राज्य सभा में यह मामला 27 अगस्त को उठाया गया था और आज 9 सितम्बर है। 13 दिन बीत चुके हैं परन्तु श्री तुल मोहन राम तथा श्री रघुममैया कहां हैं ? सरकार श्री तुल मोहन राम को 28 अगस्त को यहां उपस्थित करने के लिये जिम्मेदार थी। उन्हें तो सरकार का संरक्षण प्राप्त है ।

मुझे बताया गया है कि इस व्यक्ति ने यह स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने डेढ़ लाख रुपया लिया है । "ब्लिटज़" ने मुख्य रूप से यह प्रकाशित किया है कि एक संसद सदस्य ने लाइसेंस बेच कर धन लिया है ।

श्री तुल मोहन राम श्री ललित नारायण मिश्र जैसे शक्तिशाली लोगों की छत्रछाया में आनन्द कर रहे हैं । इस प्रकार 'गरीबी हटाओ' नारे को अमल में लाया जा रहा है । क्या यह सच है कि श्री तुल मोहन राम का संबध उस कार से है जिसे तस्करी के मामले में पकड़ा गया है । क्या यह भी सच है कि यह कार एक व्यक्ति को श्री तुल मोहन राम की प्रार्थना पर बेची गयी या दी गयी थी और क्या श्री तुल मोहन राम ने एक फर्म को कुछ वचन देकर 24000 रुपया वसूल किया है ?

अध्यक्ष महोदय : आपको केवल इस प्रस्ताव से संबंधित बात करनी चाहिये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि श्री तुल मोहन राम श्री ललित नारायण मिश्र जैसे शक्तिशाली व्यक्तियों के संरक्षण में फल-फूल रहे हैं । श्री छागला के प्रतिवेदन के अनुसार श्री ललित नारायण मिश्र अपनी जिम्मदारियों से नहीं बच सकते । अतः इस मामले की जांच एक संसदीय समिति द्वारा करायी जानी चाहिये । केन्द्रीय जांच ब्यूरो ऐसा करने के लिये पूर्णतयः अक्षम है (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रस्ताव लाइसेंस मामले के बारे में है । इस तरह तो वास्तविक विषय की बात रह जायगी । मेरा विचार यह है कि मैं आप को एक दिन अनुमति दे दूंगा कि आप जो भी कहना चाहें कह सकते हैं ।

श्री ज्योतिर्मयबसु : वह दिन कब आयेगा ?

अध्यक्ष महोदय : किसी भी समय यह अनुमति दी जा सकती है, ताकि आप अपनी इच्छा पूरी कर सकें ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (कलकत्ता-दक्षिण) : मेरा विश्वास है कि कोई भी सरकार केवल कानूनी तथा सांविधानिक प्राधिकार से ही किसी देश पर शासन नहीं कर सकती । इसके लिय नैतिक प्राधिकार की भी आवश्यकता है । इस नैतिकता के बारे में निर्णय कौन करेगा ? नैतिकता के बारे में निर्णय देश पर शासन करने वाले दल के पिछले और इस समय के व्यवहार को देख कर ही किया जा सकता है और उससे ही यह जाना जा सकता है कि भविष्य में वह क्या कुछ करेगी ? कुछ मामलों में एकाधिकारी प्रैस के प्रचार और संदेह के कारण निहित स्वार्थों द्वारा एक दल विशेष या किसी व्यक्ति विशेष के विरूद्ध चरित्र-हनन का प्रयास किया जाता हैं । ऐसे मामलों में नैतिकता का पता स्वयं ही लग जाता है न कि लोगों के कहने से ?

कांग्रेस दल की परम्परा ऐसी रही है कि इसमें कुछ त्रुटियां तथा इसकी असफलताओं के बावजूद भी इसने जनता को यह सिद्ध करके दिखाया है कि इसने किसी भी चुनौती का सामना करने से इंकार नहीं किया है और अपनी विचारधारा, नियमों और सिद्धांतों के आधार पर सच्चाई का सामना किया है, परिणाम कुछ भी निकले हों । यद्यपि श्री प्रताप सिंह कैरों ने देश की प्रगति के लिये इतना कुछ किया, तथापि उन्हें भी जांच का समना करना पड़ा। इसी प्रकार श्री बीजू पटनायक को भी जांच का सामना करना पड़ा । राज्यों में इस प्रकार के कई उदाहरण मिलते हैं । जहां कहीं विरोधी पक्ष ने कांग्रेस दल के विरूद्ध गंभीर आरोप लगाये, इस दल ने उन चुनौतियों का साहस के साथ सामना किया और वह सच्चाई पेश करने में सफल रहा है । पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में वांचू आयोग की नियुक्ति की है और इसी प्रकार वहां की सरकार द्वारा दिये गये आदेश के अनुसार उसके अपने ही मंत्रियों को अपने विरूद्ध लगाये गये आरोपों की जांच का सामना करना पड़ रहा है ।

आज जब देश गंभीर आर्थिक स्थिति का सामना कर रहा है न केवल हम सभा के सदस्यों, प्रत्युत इस से भी बाहर के लोगों के मन में संदह उत्पन्न हो गया है । मेरा निवेदन है कि सच्चाई को जानने का इस संसद को संविधान द्वारा प्राधिकार मिला हुआ है तथा इस देश के लोगों को भी हम सच्चाई को जानने का अधिकार प्राप्त है । किन्तु इसके साथ ही हमें संसद अथवा इसके सदस्यों को ऐसी स्थिति में नहीं डालना चाहिये जिसमें जनता संसद सदस्यों के आचरण और संसद के अस्तित्व पर ही संदेह करने लगे ।

मुझे खेद है कि गत एक सप्ताह से विरोधी पक्ष के सदस्यगण लाइसेंस के मामले से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर तर्क प्रस्तुत करते चले आ रहे हैं । आरोप यह लगाया गया है कि एक अभ्यावेदन में 21 सदस्यों के हस्ताक्षरों का पता चला है और उन हस्ताक्षरों को जाली बताया गया है । क्या यह स्पष्ट रूप से आपराधिक मामला नहीं है । आपराधिक मामले में सरकार की कई एजन्सियां हैं जो विभिन्न मामलों को निपटाती हैं । केवल इसी आधार पर कि इस मामले में कुछ संसद सदस्य अन्तर्ग्रस्त हैं आपराधिक मामलों की जांच करना संसद का काम नहीं है ।

संसद प्रशासन के विभिन्न पहलुओं को निपटाने के अपने कानूनों के अन्तर्गत विभिन्न एजेंसियों को स्थापित करती है । जिनमें एक केन्द्रीय जांच ब्यूरो है । यदि सारे काम को संसद ने ही निपटाना है, तो हमें केन्द्रीय जांच ब्यूरो, सतर्कता आयोग, आयकर विभाग आदि को भंग कर देना चाहिये और एक समिति के माध्यम से संसद को ही हर काम करना चाहिये ।

मुझे यह बात विदित नहीं है कि लाइसेंस के इस मामले के साथ कौन संबंधित है । सच्चाई निश्चित रूप से सामने आ जायेगी । मैं तो यह जानता हूं कि यह कांग्रेस दल का ही चरित्र है कि चाहे कोई भी हो और चाहे कोई कितना ही शक्तिशाली क्यों न हों, कांग्रेस तो जनता की इच्छा के अनुसार ही कार्य करेगी न कि प्रति-राजनीतिक षड़यंत्र अथवा कुछ शरारत पूर्ण राजनीतिक चालों के दबावों में आ कर ?

यदि मैं यह कहूं कि मुझे यह बताया गया है कि विरोधी पक्ष के तीन या चार सदस्य नेशनल एंड ग्रिंडलेज बैंक को लूट लेने की घटना से संबंधित हैं, तो क्या इसे सिद्ध किया जा सकता है ? मैं लोगों की निन्दा करने के लिये 'मुझे बताया गया है' का लाभ उठा सकता हूं (**व्यवधान**) । आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ? आप 'इंडियन ओबजरवर' के विरूद्ध मुकदमा दायर कर दीजिय । . . . (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसमें आप श्री ललित नारायण मिश्र का चित्र देखिये ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : यदि श्री ज्योतिमर्य बसु इंडियन ओबजरवर जैसे अशिष्ट वर्ग से संबंधित हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । यदि वह उस वर्ग से संबंधित नहीं हैं, तो मुझे प्रसन्नता है . . . (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री दुलर्भ सिंह और हरबंस सिंह को कांग्रेस दल द्वारा हमारी निन्दा करने के लिये धन दिया गया है . . . (**व्यवधान**) उन पर कितनी बार मुकदमा चलाया गया है ? . . . (**व्यवधान**) आप श्री ललित नारायण मिश्र का चित्र देख रहे हैं । आप 'ओबजरवर' का उदाहरण दे रहे हैं ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं श्री श्यामनन्दन मिश्र, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री ज्योतिर्मय बसु का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने हमारे दल के सदस्यों के प्रति सहानुभूति पूर्ण शब्द कहें है . . .

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मेरी उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : आपका मन कहीं और था, क्योंकि उड़ीसा में स्वतन्त्र दल की सरकार पर केन्द्र जांच आयोग पर करोड़ों रुपये के घपले का आरोप लगाया गया था जिसमें श्री पीलू मोदी का काफी अधिक हिस्सा था । श्री बसु मैंने आपके विरूद्ध कुछ नहीं कहा है ? आप मेरी बात में व्यवधान क्यों डाल रहे हैं ? (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु: आपके दल के श्री रामगोपाल रेड्डी प्रातः कुछ कह रहे थे और शाम को दूसरी बात कह रहे हैं। यह शर्मनाक बात है . . . . **(व्यवधान)**

श्री प्रिय रंजन दाव मुंशी : क्या मुझे अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतन्त्रता नहीं है?

श्री ज्योतिर्मय बसु : बेईमान लोगों का एक ग्रुप . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिये . . . . . **(व्यवधान)**।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : श्री पीलू मोदी राष्ट्रीय विकल्प के नेता हैं। इस राष्ट्रीय विकल्प को यह जान लेना चाहिये कि केन्दू पत्ते संबंधी जांच आयोग ने सच्चाई व्यक्त कर दी है। उन्हें पहले प्रतिवेदन को पढ़ लेना चाहिये।

श्री मनोरंजन हाजरा (आराम बाग) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : यह आपका दल नहीं है यह उनका दल है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : माननीय सदस्य ने कहा है . . . . . **(व्यवधान)**

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं आपके दल की निन्दा नहीं कर रहा हूं। आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं . . . . . **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिमय बसु : कृपा करके मेरी बात में रुकावट न डालिये मैं सारी बात प्रकट कर दूंगा।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : पहला प्रश्न यह है कि पूरे तथ्य अभी प्राप्त नहीं हुये हैं . . **(व्यवधान)**। सभी तथ्य प्राप्त हो चुके हैं। सब कुछ पता लग चुका है।

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या संसदीय जांच हो अथवा केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करायी जाये।

मैं इस बात से सहमत हूं कि चूंकि हमें सरकारी एजेंसी में विश्वास है, अतः यह काम सरकारी एजेंसी द्वारा ही कराया जाना चाहिये। मामले की जांच रिपोर्ट को सभा के समक्ष रखा जायेगा और यदि सदस्यों को यह लगेगा कि इसमें कोई कमी है या सरकार ने जानबूझ कर किसी बात को छिपाया है, तो फिर से इस मामले को उठाया जा सकता है। विरोधी पक्ष अथवा कांग्रेस दल के किसी सदस्य की बुराई करना ठीक नहीं है। आज श्री तुल मोहन राम कांग्रेस दल के सदस्य हो सकते हैं परन्तु भविष्य में वह विरोधी पक्ष से संबंधित हो सकते हैं। **(व्यवधान)** आप हंस क्यों रहे हैं। कभी वह समाजवादी दल के सदस्य थे। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमें सच्चाई के बारे में अवश्य ही पता लगाना चाहिये और इसे छिपाना नहीं चाहिये।

यदि हम ने जांच प्रतिवेदन आने के पश्चात् यह पाया कि किसी सदस्य के द्वारा चाहे वह कितना शक्तिशाली क्यों न हो, कोई अपराध किया गया है, तो कांग्रेस दल उसी प्रकार कार्यवाही करेगा जैसा कि पहले करता रहा है। विरोधी पक्ष ने सोचा है कि चरित्र हनन के द्वारा कांग्रेस को बदनाम किया जा सकता है। उन्होंने 1969 में प्रधान मंत्री का चरित्र हनन करना आरम्भ किया था। क्या ग्रेट ब्रिटेन, पोलैंड,

सोवियत संघ तथा पश्चिमी जर्मनी में कभी ऐसा देखा गया है कि प्रधान मंत्री का चरित्र हनन किया गया हो ? आपका राष्ट्रीय विकल्प क्या है। क्या श्री मोदी उस राष्ट्रीय विकल्प के बारे में आश्वस्त हैं (**व्यवधान**)। क्या उन्होंने राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लिया था ? अथवा क्या श्री बसु ने ब्रिटिश शासन के दौरान इस आन्दोलन में भाग लिया था ? श्री श्यामनन्दन मिश्र ने काफी समय तक कांग्रेस में रह कर भी हमें नहीं समझा है।

यदि आप कांग्रेस दल की निन्दा करते रहे जिसकी मुझे कोई चिन्ता नहीं है तो हम जानते हैं कि इसका सामना कैसे करना है। विरोधी पक्ष के सदस्य विशेषकर कि साम्यवादी मार्क्सवादी और जन-संघ के सदस्य यह कहते रहते हैं कि प्रधान मंत्री और श्री ललित नारायण मिश्र ने धन लिया है। वे यह भी कहते हैं कि कांग्रेस के सदस्य धन आदि प्राप्त कर रहे हैं। मैं आपकी एक बात से सहमत हूं कि हम आपसे कम नहीं हैं । आज प्रश्न यह पूछा गया है कि मंत्री और सदस्य के विरुद्ध लगाये गये आरोप का राजनीतिक ढंग से सामना किया जाना चाहिये अथवा हम आरोपों का सामना ऐसे ढंग से करें जिससे हम पर देश का पुनः विश्वास स्थापित हो सके। आज 21 सदस्यों के विरुद्ध आरोप लगाया गया है जिन्होंने यह कहा है कि उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किये हैं और समाचार पत्रों में छपे समाचार अपमानजनक हैं। जब मैं बम्बई गया तो उन लड़कियों के साथ मेरी बात-चीत हुई जिन्होंने गाड़ी में यात्रा की थी, तो लड़कियों ने मुझे बताया कि समाचार पत्रों में छपे समाचार गलत हैं और ऐसी कोई घटना नहीं घटी और उन्हें यह भी आश्चर्य हुआ कि बिना किसी अधिकारी के एकाधिकारी समाचार पत्रों की ओर से स्त्रित्व का अपमान किया जा रहा है। इस क्षति को कैसे पूरा किया जा सकता है ?

1969 के चुनावों के पश्चात् से ही सत्तारूढ़ दल की निन्दा की जा रही है। मैं इस बात से सहमत हूं कि जहां कहीं भी कोई त्रुटि हो उसे दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिये।

ह्विस्की के लाइसेंस के बारे में हम यह स्वीकार करते हैं कि इसे एक दुकान पर बेचा गया और इसके लिये लाइसेंस किसी अधिकारी के द्वारा दिया जाना था। प्रश्न यह है कि क्या यह लाइसेंस स्थायी सिद्धातों के अनुसार अथवा सामान्य कानून के खिलाफ दिया गया था। इस बात पर इस दृष्टि से विचार करना चाहिये कि क्या संसद सदस्यों ने धन लेकर अथवा इसके बिना इस मामले की सिफारिश की थी। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि इस मामले को जांच करने के लिए मंत्रालय के पास भेज दिया गया था।

यदि आप राष्ट्र के सामने संसद के स्तर को उठाना चाहते हैं तो केवल सदस्यों के मामले को ही नहीं लिया जाना चाहिये, अपितु सभी संसद सदस्यों को अपने व्यक्तिगत आचरण और जीवन के बारे में सभी दृष्टिकोणों से विचार करना चाहिये। मैंने इस सभा में यह कहा है . . . (**व्यवधान**) हमें समूची संसद के स्तर में सुधार करना चाहिये।

सरकार ने यह दृष्टिकोण अपनाया है कि यदि इस जांच के पश्चात् इस आरोप को गलत पाया जाता है तो संसद सदस्य इस संबंध में अपने विचार रख सकते हैं।

आज प्रतिपक्ष के सदस्यों के पास इस दल और सरकार को बदनाम करने का और कोई ढंग नहीं है और वे चरित्र हनन के मार्ग को अपना रहे हैं। उनका लक्ष्य कांग्रेस नहीं है, अपितु, श्रीमती

इन्दिरा गांधी है, क्योंकि वह शासक दल में हैं। वे तो सभी दिशाओं में उस प्रतिष्ठा को बिना किसी संसदीय अधिकार एवं औचित्य का ध्यान किये नष्ट कर देना चाहते हैं। वे तो देश में गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी इस प्रस्ताव को वापस ले लें।

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : Nobody can deny this fact that ther is corruption in the country in every field.

[**श्री इसहाक सम्भली पीठासीन हुए**
Shri Ishaque Sambhali in the Chair]

Ruling party is supposed to take the country to the right direction and for giving good administration because people have given them majority. Many scandals have come to light from the time of Pratap Singh Kairon uptill now. In every state incidences of corruption have occurred. In Orissa it was alleged against the Ministers of Swatantra Farty that they have misused their power. In Uttar Pradesh Maize scandal, in Madhya Pradesh 'Gulabi Chana' scandal and in Orissa 'Kendu leaves' scandal has taken place. For all these scandal ruling party *viz* congress is responsible. As long as capitalist economy will remain in the country. the corruption can not be eliminated. Therefore it is necessary to change the present system completely.

Allegations are made against the members daily. 'Pratipaksh' weekly has written that Parliament is a den of thieves and members of parliament are not better than touts and thieves. Wrong notion is being made against the members of parliament and we all must take it seriously and find a solution.

The persons responsible for the issue of licence should be punished. We should find that whether these licences were issued during the time of Shri Mishra or Shri Chattopadhya. We should find the officer who has recommended this matter. It is wrong to hold Mr. Tulmohan Ram responsible for all this.

It has been demanded by the opposition parties to appoint a Parliamentary Committee to probe this matter thoroughly. There is nothing to fear in appointing this committee as truth will come out and it will be known that who is responsible for this and to what extent.

Much has been said about the inquiry conducted by the Central Bureau of Investigation. Some members have said that extension of service for one year has been given to the present director of CBI not for this reason that he has worked independently and honestly but he has served the Government favourably. This Government has taken the side of agency which is increasing corruption. We are not sure whether Central Bureau of Investigation will be able to conduct impartial inquiry.

News are daily published about the right in the Congress party. Capitalists and big businessmen are taking advantage of this situation. Mr. Ganesh is saying that we will do 'Satyagrah' to fight corruption and smuggling but this will not serve the purpose as long as Capitalism remains. Capitalist economy is the root cause of corruption.

Ex-Minister of Home, Shri Nanda has admitted once in the working Committee of Congress that about 200 Members of Parliament are getting support of Shri Birla and all their expenditure is met by Birla. It was also published in the newspaper. The present Congress Party is not the same which fought with the Britishers and which was functioning at the time of Gandhi ji. Such persons have come in the Congress Party who are opportunist and corrupt and their aim is to make money.

The Government should not hesitate to take action against corrupt persons. It should not fear in removing corrupt ministers.

The Government should accept the amendment presented by Shri Banerjee. It is stated in it that the Speaker should have the right to nominate the Committee and the members should have the right to look into all the matters and the speaker will nominate eleven members of his own choice.

The persons responsible for issuing licences should be punished. We should try to enquire whether these licences were issued at the time of Shri Mishra or Shri Chattopadhyaya. We should also try to find out the persons who has recommended this matter. It is not proper to fix all responsibility in tnis matter on Shri Tul Mohan Ram. Signatures of all the members should be verified. The officers and Ministers responsible in this matter should be punished. A Parliamentary Committee should be appointed to make necesarsy investigation in this matter. An enquiry by C.B.I. will not serve the purpose. It will rather lower our prestige.

The Government should stop raising the slogan of socialism inorder to give clean administration to the country. The Government should first punish the corrupt capitalists and the Ministers if it wants to give the slogan of socialism (*interruptions*).

I fully support this motion and hope that the Government would rise above politics by accepting this motion. The Government should place all the facts in this matter before the people and then alone it can gave their confidence.

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : मुझे भी अन्य सदस्यों की भांति सदन की गरिमा और उनके सदस्यों की प्रतिष्ठा की चिन्ता है। यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब हमें सदन और इसके सदस्यों की गरिमा की इतनी चिन्ता है तो हम संसदीय जांच का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? एक स्थिति वह थी जब हममें से बहुत से सदस्यों का विचार था की संसदीय जांच की जानी चाहिये। लेकिन अन्तिम सात दिन के वाद-विवाद को सुनने के बाद मैं इस ठोस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संसदीय जांच से इस मामले में कोई हल निकलने वाला नहीं है।

इसमें सन्देह नहीं कि संसदीय जांच की जाने पर श्री वाजपेयी के दल के कुछ सदस्य जांच समिति में होंगे। अब श्री वाजपेयी ने सदन को सूचित किया है कि वह श्री तुल मोहन राम को दोषी सिद्ध करने के लिए सब सामग्री प्रस्तुत करेंगे। श्री वाजपेयी का कथन है कि सदस्य का दोष सिद्ध करने के लिये मेरे पास पूर्ण साक्ष्य हैं। जैसे ही आप यह कहते हैं कि आप के पास अपराध सिद्ध करने के लिये सारे साक्ष्य हैं वैसे ही आपका जांच करने वाली समिति के सदस्य के रूप में काम करने का अधिकार समाप्त हो जाता है . . . .

आप लोगों ने श्री ललित नारायण मिश्र के विरुद्ध आरोप लगाये हैं। मैं यहां उनका पक्ष लेने के लिये नहीं हूं। लेकिन क्या श्री ललित नारायण मिश्र को यह शंका नहीं होगी कि यदि आपको उनके मामले की जांच करने के लिये नियुक्त किया गया तो उनके साथ उचित न्याय नहीं होगा।

सरकार ने इस मामले के संबंध में पूर्व निर्णय ले लिया था और वह इससे राजनीतिक लाभ उठाना चाहती थी। इसीलिए मेरे विचार में संसद् को इस मामले की जांच करने का कोई नैतिक तथा कानूनी अधिकार नहीं है। जब भी यह मामला न्यायालय में जाएगा और किसी संसद सदस्य अथवा मंत्री को दोषी पाया जाएगा तो मैं उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का पक्ष लूंगा। अपराधी

को दंड मिलना ही चाहिए चाहे वह सदन में हो अथवा सदन से बाहर । विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन में स्पष्ट कहा गया है कि संसद सदस्यों सहित सभी नागरिकों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा । कानून की नजर में सब बराबर हैं । हमें साधारण नागरिक से अधिक अधिकारों का दावा करने का कोई हक नहीं है ।

माननीय सदस्यों ने मुदगल केस का हवाला दिया है । लेकिन वर्तमान मामले के तथ्य इससे भिन्न हैं । एक दांडिक अपराध का मामला है तो दूसरा विशेषाधिकार हनन का । दांडिक अपराध का मामला सदन के क्षेत्राधिकार में नहीं आता । हां, यदि न्यायालय किसी मामले में इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इस मामले में दांडिक अपराध नहीं हुआ, केवल संसद सदस्य के विशेषाधिकार का हनन हुआ है तो सदन में इस पर चर्चा की जा सकती है और दोषी सदस्य को सजा दी जा सकती है ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने कहा है कि उनको केन्द्रीय जांच ब्यूरो में कोई विश्वास नहीं है । और न ही न्यायालयों में ही उनको विश्वास है । यदि ऐसी बात है तो उन्हें किसी मामले की न्यायालय द्वारा जांच करवाने की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है । संसदीय जांच करवाने की भी मांग की गई है । मैं चाहता हूं कि कोई भी तथ्य छुपाया नहीं जाना चाहिए । 21 सदस्यों पर लगाए गए आरोपों का निराकरण किया जाना चाहिए और इस मामले में दोषी व्यक्तियों पर चाहे वे हमारे दल से संबंधित हों अथवा अन्य किसी दल से संबंधित हों, मुकदमा चलाया जाए और उन्हें दंड दिया जाए । प्रत्येक संसद सदस्य के लिए सदन में गरिमा और अनुशासन बनाए रखना आवश्यक हैं । हमें सदन की प्रतिष्ठा पर किसी बात की आंच नहीं आने देनी चाहिए ।

मैं अपील करता हूं कि इस मामले में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए । परन्तु मैं संसदीय जांच के पक्ष में नहीं हूं । इसलिए मैं प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री सेझियान (कुम्भकोणम) : आयात लाइसेंस घोटाले से सदन की प्रतिष्ठा को बट्टा लगा है और देश के संसदीय प्रजातंत्र के प्रति जनता के विश्वास को ठेस पहुंची है । मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस सदस्य इस प्रस्ताव का विरोध क्यों कर रहे हैं ? इस मामले में महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हस्ताक्षर जाली है अथवा असली । यह तो वाद का मामला है । प्रश्न एक या अधिक सदस्यों का नहीं बल्कि प्रश्न आज की प्रणाली तथा सरकार के दृष्टिकोण का है । सरकार मामले के विस्तार में नहीं जाना चाहती । सरकार जनता की आंखों में गिर गयी है । जब तक इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जाएगा इस देश में संसदीय लोकतन्त्र के कार्यक्रम में भी लोगों का विश्वास समाप्त हो जाएगा । सरकार का यह रवैया बन गया है कि विपक्ष द्वारा मांगे जाने वाले ब्यौरों को बताने से सरकार इंकार कर रही है । मंत्री महोदय यह बताने से कतरा क्यों रहे हैं कि मामला कब दर्ज किया गया 'कुछ दिन पूर्व' कहने से काम नहीं चलेगा । वस्तुतः सरकार के पास इतना साहस नहीं है कि वह अपने किए गए कार्यों की जांच करे ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि इस मामले की जांच करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो उपयुक्त संस्था है । उनको श्री अटल बिहारी बाजपेयी के प्रस्ताव में त्रुटि नजर आ रही है । परन्तु हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि कांग्रेस सदस्यों ने भी यह शंका व्यक्त की है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो उपयुक्त संस्था नहीं है और इस मामले में संसदीय जांच कराई जानी चाहिए ।

संसदीय जांच के विपक्षी सदस्यों ने चार मुख्य आपत्तियां उठाई हैं । सर्वप्रथम, संसदीय समिति नियुक्त करने से पूर्व जांच की जानी चाहिए । दूसरे, जब तक प्रत्यक्ष मामला सिद्ध नहीं होता, संसदीय समिति गठित नहीं की जानी चाहिए । तीसरे, चूंकि अन्य दल भी इसमें अन्तर्ग्रस्त हैं, इसीलिए संसदीय समिति स्थिति की संतोषजनक जांच नहीं कर सकती । चौथे, मुदगल के मामले से वर्तमान मामला बिल्कुल भिन्न है । यह दीवानी का मामला, दांडिक अपराध का नहीं ।

मैं इन आपत्तियों का एक एक करके उत्तर दूंगा । पहली बात तो यह है कि सरकार का रवैया बदल रहा है । जब संसद सदस्यों पर कुछ आरोप लगाए गए हों तो मुद्गल के मामले की तरह इस मामले में भी कोई कार्यवाही करने से पूर्व सरकार को अध्यक्ष की अनुमति लेनी चाहिए थी, किन्तु ऐसा नहीं किया गया ।

मैं कुछ आधारभूत प्रश्न उठाना चाहता हूं । विपक्ष को ठोस सामग्री नहीं दी गई । यहां तक नहीं बताया गया कि मामला कब दर्ज किया गया । हमें प्रथम सूचना रिपोर्ट तक नहीं दिखाई गई । सदन पूरे तथ्य जानने के लिए चिंतित है ।

मैं संक्षिप्त में इस मामले के तथ्य बताना चाहता हूं । वर्ष 1955 में माही और येनम को छोड़कर पांडिचेरी और कराईक्कल में अतिरिक्त कोटा परमिट दिए गए थे । वर्ष 1959 में एक समान नीति बनाई गई और कराईक्कल, माही या येनम सभी को एक पद्धति के अन्तर्गत रख दिया गया । संबंधित पार्टियां बारबार आवेदन-पत्र दे रही थीं । पार्टियों ने मद्रास के न्यायालयों में रिट याचिकाएं दायर कीं थी । वर्ष 1971 के अन्त में या वर्ष 1972 के आरम्भ में, जब मुकदमा चल रहा था, तो अचानक ही ये रिट याचिकाएं वापिस ले ली गई थीं । मैं पूछना चाहता हूं कि ये याचिकाए, वापिस क्यों ले ली गई ? दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि किन व्यक्तियों ने याचिकाएं दायर की थीं और याचिकाएं वापिस लेने वाले कितने व्यक्तियों को लाइसेंस दिए गए ?

मुझे यह भी बताया गया है कि वर्ष 1972 के अन्त में अथवा वर्ष 1973 के प्रारम्भ में आयात लाइसेंसों की स्वीकृति देने से संबंधित अधिकारी विशेष रूप से पांडिचेरी गया था और इन प्रार्थना पत्रों की जांच करके दिल्ली आते ही लाइसेंस दे दिए गए । इस विषय में श्री तुलमोहन राम ने पहले एक व्यक्तिगत पत्र लिखा था । तब उन्हें 20 सदस्यों से हस्ताक्षर लेकर एक ज्ञापन भेजने की क्या आवश्यकता थी ? अधिकारियों को यह सन्देह किस प्रकार हुआ कि हस्ताक्षर वास्तविक हैं अथवा जाली । यह रहस्य किसने दिया जिसके आधार पर यह मामला चला ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि रिट याचिका वापिस क्यों ली गई ? उन लोगों को बाद में लाइसेंस क्यों दिए गए जिन्होंने न्यायालय में इस मामले के संबंध में मुकदमा दायर किया था ? क्या सरकार के साथ उनका लिखित अथवा मौखिक समझौता हुआ था ? इन सब बातों की जांच संसदीय समिति ही कर सकती है । यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो पर नहीं छोड़ा जा सकता । यह ब्यूरो तो सरकार की ही एक एजेन्सी है । यदि सरकार चाहती है कि देश में संसदीय प्रजातन्त्र चलता रहे तो इस मामले में संसदीय जांच कर्रवाई जानी ही चाहिए । तभी जनता सरकार पर विश्वास कर सकती है ।

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मैंने विभिन्न दलों के सदस्यों से इस मामले के संबंध में विचार जान लिए हैं । मैं इस समय कुछ तथ्य प्रस्तुत करके स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं । फ्रांस के भूतपूर्व उपनिवेशों, अर्थात् पांडिचेरी, कराईक्कल, येमन और माहो का नवम्बर, 1974 में

भारतीय संघ में विलय के पश्चात् आयात-निर्यात नियंन्त्रण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियम उक्त क्षेत्रों पर भी लागू हो गए । इनमें से केवल पांडिचेरी और कराईक्कल ही दो महत्व-पूर्ण पत्तन हैं । सरकार ने फ्रांस के भूतपूर्व आधिपत्य वाले क्षेत्रों को लाइसेंस संबंधी अतिरिक्त सुविधाएं दी हैं और इस संबंध में पहली अधिसूचना 11 जून, 1955 को जारी की गई । इसमें येनम और माही का कोई उल्लेख नहीं था । केवल पांडिचेरी और कराईक्कल के प्रसिद्ध आयातकों को लाइसेंस देने का उल्लेख किया गया था । परन्तु फिर भी पांडिचेरी और कराईक्कल के आयातक अधिसूचना से संतुष्ट नहीं थे । परिणामस्वरूप 14 जुलाई, 1955 को एक और अधिसूचना जारी की गई जिसमें अतिरिक्त लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था थी । इस बार भी येनम और माही का उल्लेख नहीं किया गया । यह स्थिति 21 नवम्बर, 1955 में जारी की गई अधिसूचना में भी बनी रही । येनम और माहे के आयातक लाइसेंसों के विशेष कोटे के लिए अनुरोध करते रहे और सरकार ने 20 दिसम्बर, 1955 को जारी की गई सार्वजनिक सूचना में आदेश दिया कि उपरोक्त सुविधाएं येनम और माही के आयातकों को भी दी जाएं । येनम और माही के ऐसे आयातक, जिनके कार्यालय पांडिचेरी और कराईक्कल में हैं, इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं । किन्तु अन्य आयातक इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते क्योंकि इस सार्वजनिक सूचना में आवेदन-पत्र देने की अंतिम तिथि 30 दिसम्बर, 1955 निर्धारित की गई थी । बाद में वर्ष 1964 में यह निर्णय किया गया कि 1 और 31 जनवरी, 1956 के बीच प्राप्त आवेदन-पत्रों पर भी विचार किया जा सकता है । परन्तु येनम और माही के आयातक इस घोषणा का लाभ नहीं उठा सकते थे क्योंकि उन्हीं लोगों को दुबारा लाइसेंस दिए जा सकते थे जिन्होंने जनवरी–जून, 1955 तथा जुलाई–दिसम्बर, 1955 में लाइसेंस ले लिए थे । दुबारा लाइसेंस देने संबंधी नीति वर्ष 1959 तक चलती और उसके बाद विशेष तथा अतिरिक्त लाइसेंस देने की सुविधा समाप्त कर दी गई ।

येनम तथा माहे के जिन आयात कर्ताओं को छोड़ दिया गया था वे निरन्तर अभ्यावेदन पेश करते रहे और 1955 से 1959 तक की अवधि के लिये विशेष लाइसेंस मांगते रहे जबकि सरकार का यही दृष्टिकोण बना रहा कि ये लोग दुबारा लाइसेंस प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं । इसी धारणा के अन्तर्गत 1967 में एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया था कि येनम और माहे के आयात कर्ताओं के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है । फिर भी उनके अभ्यावेदन आते रहे तथा कुछ ने तो दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं भी दर्ज करा दी । इन याचिकाओं पर न्यायालय का निर्णय हुए बिना सरकार कोई निर्णय नहीं कर सकती थी । बाद में जब ये रिट याचिकाएं वापस ले ली गई तब सरकार ने इन अभ्यावेदनों पर पुनः विचार किया ।

इस बारे में वह ज्ञापन जो पिछले कुछ दिनों यहां चर्चा का विषय रहा, हमें 23 नवम्बर, 1972 को प्राप्त हुआ था । इससे पूर्व इसी विषय पर तीन अन्य अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए थे, मंत्रालय ने इन सभी पर गंभीरता पूर्वक विचार किया और यह निष्कर्ष निकाला कि येनम तथा माहे के आयात कर्ताओं के साथ कुछ अन्याय हुआ यद्यपि सरकार ऐसा करना नहीं चाहती थी । अतः मैंने सितम्बर, 1973 में निर्णय किया कि माहे तथा येनम के उन आयातकर्ताओं को कुछ राहत दी जाये जो नियमों के अधीन पात्र थे । फिर भी हमने इस संबंध में विशेष सावधानी तथा वित्तीय सीमाओं का पूरा ध्यान रखा । मैं यहां कहना चाहूंगा कि ये फर्में काली सूची वाली प्रतिबंधित अथवा जाली नहीं थी ।

लाइसेंस जारी किये जाने के बाद लोक सभा सचिवालय की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें कुछ सन्देह व्यक्त किया गया था । यह मामला तुरन्त केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया जिनके अधिकारियों ने माननीय ससद सदस्यों से संपर्क करके उनके बयान नोट किये और फिर बाद में मुझे पत्र द्वारा बताया गया कि वे हस्ताक्षर जाली थे । केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार केवल श्री तुलमोहन राम ने अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं । (व्यवधान) मुझे यह प्रतिवेदन 31 अगस्त, को मिला और मैंने 1 सितम्बर, 1974 को आदेश दे दिया कि सी० बी० आई० की प्रारंभिक जांच के आधार पर यह मामला दर्ज कराया जाये । वह संस्था इस मामले के सभी पहलुओं की जांच करेगी और यदि कोई कदाचार पाया गया तो उसमें आगे कार्यवाही होगी ।

27 अगस्त, 1974 को जो कुछ मैंने राज्य सभा में कहा उसका किसी भी रूप में यह अभिप्राय नहीं था कि मैं यहां इस सभा तथा यहां के माननीय सदस्यों के प्रति अप्रतिष्ठा प्रकट करना चाहता था । मैं स्वयं इस मामले की जड़ में जाने को उत्सुक हूं । मैं और हमारी सरकार संसदीय लोकतन्त्र को सर्वोच्य सम्मान देते रहने को कटिबद्ध हैं ।

Shri Madhu Limaya :(Banka) Who were the signatories of the earlier three representations and whether there were any Parliament Members amorg them ? Secondly is it not time that there firm had started selling away these licetices.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं अपना प्रश्न दोहराता हूं कि न्यायालय में यह मामला कितने दिन चला और इसे वापस लेने में पहल किसने की और इसके क्या कारण थे । श्री मिश्र से पूर्व तीन मंत्रियों ने लाइसेंस नहीं दिये फिर उन्होंने किस आधार पर दिये । केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच में क्या ये चार बातें भी शामिल होंगी ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (वडागरा) :क्या यह सच नहीं है कि इस सभा का एक भूतपूर्व सदस्य जोकि साम्यवादी मार्कसवादी दल का था, ने सबसे पहले उस अभ्यावेदन पर हस्ताक्षर किये थे तथा इसके लिये 1 $\frac{1}{2}$ लाख रुपये लिये थे ?

Shri Atal Bihari Bajpayee (Gwalior) : why did he name the 21 MPs before ascertaining their signatures ? And to day he says that he has to save the dignity of the hon. Members.

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी : इस विशिष्ट मामले में मंत्रालय ने लाइसेंस नियमों पर अधिक ध्यान दिया था 15 संसद सदस्यों के ज्ञापन पर ?

श्री पीलू मोदी : यह सुन्दर कहानी किसने गढ़ी ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : पहला अभ्यावेदन श्री तुलमोहन राम ने दिया था तथा अन्य दो स्वयं आयातकर्त्ताओं ने दिए थे। जहां तक लाइसेंस दिये जाने की बात है सो मैंने कहा है कि हम किसी भी कदाचार की जांच करेंगे।

Shri Madhu Limaye : was there no other Member other than Shri Tulmohan Ram.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मुझे इस विक्रय की कोई जानकारी नहीं मिली है अन्यथा मैं जांच कराता।

1962 या 1963 में यह मामला पंजाब उच्च न्यायालय की दिल्ली शाखा में निर्णयाधीन था फिर बाद में समझौता हो गया था। इसका आधार तो मुझे मालूम नहीं परन्तु उन लोगों ने मामला वापस ले लिया था और वहीं कहानी खत्म हो गई। फिर 1967 से 1971 के बीच दिल्ली उच्च न्यायालय में मामला निर्णयाधीन रहा और फिर वापस ले लिया गया। इसके बाद मंत्रालय ने इस मामले में पुनः विचार किया (**व्यवधान**) जैसा कि मैंने पहले कहा कि ज्योंही मैंने आदेश पास किये तो साथ ही वित्तीय सीमा संबंधी क्या अन्य कई शर्तें लगा दी थी। 1955 में पात्रता के केवल 50 प्रतिशत मूल्य की अनुमति दी गई थी तथा वह भी तदर्थ तथा कतिपय शर्तों के अधीन था। जहां तक आनुदानिक (एक्स ग्रोशिया) लाइसेंस का संबंध है वह सरकार न्याय तथा औचित्य एवं समानता की भावना के अन्तर्गत दे सकती है। संविधान भी इसकी अनुमति देता है। इस मामले में तीसरी लोक सभा के दौरान, एक संसद सदस्य श्री वी० पी० नायर ने भी अभ्यावेदन किया था। (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसू : मंत्री महोदय सभा को गुमराह कर रहे हैं। इस समय साम्यवादी मार्कसवादी दल नहीं था। सर्व अविभाजित साम्यवादी दल था। (**व्यवधान**)

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैंने तो केवल सदस्य का नाम लिया है और हर सदस्य को अभ्यावेदन देने का हक है। उन्होंने भी एक एडवोकेट के नाते आयातकर्त्ताओं की ओर से अभ्यावेदन किया था। श्री वाजपेयी के इस प्रश्न के उत्तर में कि राज्य सभा में संसद सदस्यों का नाम लेते समय क्या मेरे पास केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन था। मैं यह कहूंगा कि नहीं था। मुझे इस निष्कर्ष का कुछ मालूम नहीं था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री वी० पी० नायर हमारे दल में नहीं थे।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मंत्री महोदय ने इतने शब्दों में यह प्रकट किया है कि लाइसेंस के आवेदन कर्त्ता अच्छे आचरण के लोग हैं और सरकार उनके साथ गत 18 वर्ष से अन्याय करती रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया है कि उनके पूर्व वाणिज्य मंत्री श्री एल० एन० मिश्र, श्री बी० आर० भगत, श्री दिनेश सिंह तथा श्री मनुभाई शाह सभी बड़े निर्दय थे कि उन्हें लाइसेंस नहीं दिये।

प्रश्न यह है कि इन 7 फर्मों को लाइसेंस देने का चक्कर 18 वर्ष क्यों चलता रहा ? इसमें किसका दोष था ? उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की। यद्यपि श्री मिश्र तो अब उस विभाग में नहीं परन्तु अन्य अनेक भ्रष्ट अधिकारी तो अब भी विद्यमान हैं।

सत्तारूढ़ दल इस प्रस्ताव को अपनी संख्याशक्ति से गिराना चाहता है। हमारी शक्ति कमजोर सही परन्तु उसमें औचित्य तथा न्यायसंगति तो है। मेरा दावा है कि यदि इस प्रस्ताव पर गुप्त मतदान कराया जाये तो सत्तारूढ़ दल के अधिकांश लोग इस प्रस्ताव के समर्थन में मत देंगे। इस दल के अनेक सदस्य अपनी आत्मा की आवाज सुनेंगे जैसा कि उन्होंने 1969 में किया था। परन्तु सरकार तो किसी

भी तर्क या औचित्य को महत्व नहीं दे रही है। वह तो इस सभा को भी कोई महत्व नहीं दे रही है। उन्हें चाहिये कि वे विपक्ष को भी इस मामले में सन्तुष्ट करें जैसाकि यू० के० में होता है। परन्तु यहां तो सारा विपक्ष सन्देह मे भरा है कि सरकार किस प्रकार की कार्यवाही कर रही है। 51 संसद सदस्यों ने अभ्यावेदन किया है कि इस मामले की संसदीय जांच करायी जाय। परन्तु आपने तो उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष या स्वयं अपने ही दल के लोगों की परवाह नहीं की। सरकार के इस प्रकार का अनउत्तरदायित्व पूर्ण व्यवहार से सरकार तथा संसद दोनों की प्रतिष्ठा खतरे में पड़ी है। आज प्रत्येक संसद सदस्य पर तरह-तरह के काल्पनिक आरोप लग रहे हैं। यदि आप इस बारे में संसदीय जांच स्वीकार कर लेते तो ऐसे बेसिर पैर के आरोप न लगते। यह सब कुछ सरकार के गैरजिम्मेवाराना रवैये के कारण हुआ है। देश में यह भावना आम हो जायेगी कि इक्का दुक्का संसद सदस्य ही नहीं बल्कि संसद सदस्यों के गुट के गुट ऐसे काले कुकर्म कर रहे हैं और स्वयं को बेच रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या केवल केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच ही काफी है? यह जांच कभी भी उन सदस्यों का पर्दाफाश नहीं कर सकेगी जोकि दोषी होंगे। यह जांच तो आप केवल दिखावा मात्र है। और इस प्रकार आप समूचे संसदीय तंत्र की प्रतिष्ठा को धब्बा लगा रहे हैं।

अब प्रश्न यह है कि जनता का विश्वास तथा संसद की गरिमा को पुनः कैसे प्रतिष्ठित किया जाये। प्रोफ्यूमो के मामले में लार्ड डेनिंग्स ने यह कहा था कि इस बात का इतना महत्व नहीं है कि प्रोफ्यूमों एक लड़की के साथ सोया, प्रश्न यह है कि ऐसी विचारधारा बनी जिसमें प्रोफ्यूमों पर एक लड़की के साथ सोने का सन्देह किया गया.....(**व्यवधान**) अर्थात् एक सन्देह तथा दुर्भावना का वातावरण पैदा हुआ। इस मामले में स्वयं हमारी सरकार ने सन्देह तथा दुर्भावना के वातावरण की और अधिक गहन किया है हालांकि 18 या 19 सदस्यों ने विशिष्ट रूप से यह कहा है कि उक्त हस्ताक्षर उनके नहीं हैं। विधि मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के बाद यह सिद्ध हो गया है कि कुछ संसद-सदस्यों का इसमें हाथ अवश्य है और एक आधारभूत मामला बनता है।

एक माननीय सदस्य: नहीं। उसमें शुद्धि की गई है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र: मैं शुद्ध किया गया विवरण ही दे रहा हूं। जिसमें उन्होंने कहा था कि संभव है इस घोटाले में सभी संसद सदस्य अर्न्तग्रस्त नहीं कुछ बाहर के लोग भी हों सकते हैं। फिर भी संसद के अनेक सदस्यों का चरित्र सन्देहास्पद हो गया है।

जहां तक आधारभूत मामला बनने की बात है सो तो स्पष्ट है कि एक अपराध हुआ है और कुछ तत्वों ने किया है। क्या यह काफी नहीं है। अनेक सदस्यों ने कहा है कि उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किये हैं। इस प्रकार एक जालसाजी का आधारभूत मामला बनता है। तो सरकार इस बारे में क्या कर रही है? किसने यह जालसाजी आयोजित की यह साजिश किसने की। इनकी जांच होनी चाहिये। ऐसी साजिश मंत्रालय स्तर पर ही हो सकती है तथा प्रशासनिक स्तर पर भी हो सकती है। या फिर दल के स्तर पर भी हो सकती और अन्त में संसद सदस्यों के स्तर पर भी हो सकती है।

इन दो अपराधों के बारे में आधारभूत मामला बनता है और इसकी जांच होनी ही चाहिये।

श्री मुदगल के मामले में जब यहां चर्चा हो रही थी तब श्री फेंक आन्थनी ने यह तर्क पेश किया था कि कोर्ट संसदीय जांच समिति बनाने से पुर्व यह सिद्ध होना चाहिये कि कोई आधारभूत मामला है या नहीं। श्री नेहरू ने कहा था कि हमारे आंकड़ों के हिसाब से आधारभूत मामला बनता है, फिर सदन ने जो योजनार्थ संसदीय समिति गठित करने की अनुमति दे दी थी।

सरकार द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा ही जांच के किये इतना दबाव देने से स्वयं केन्द्रीय जांच ब्यूरो पर ही सन्देह पैदा होने लगा है। आखिर सरकार इसी पर इतना जोर क्यों दे रही है?. क्या यह केन्द्रीय जांच ब्यूरो को संसदीय समिति से अधिक शक्तिशाली समझती है ? सरकार अपनी अन्य संस्थाओं की सदस्यता इस संसदीय समिति को उपलब्ध करायें। परन्तु यह जांच केवल संसदीय समिति के तत्वावधान में ही होनी चाहिये। हमें सन्देह है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस मामले में निष्पक्ष होकर जांच नहीं कर सकेगा।

कहा गया है कि संसदीय जांच कराने पर यह मामला न्यायालय में नहीं जा सकेगा। ऐसा किसी ने नहीं कहा कि मुकदमा नहीं चलेगा। निक्सन के मामले में पहले जांच संसदीय स्तर पर ही हुई थी बाद में मामला न्यायालय में गया था।

Mr. Chairman : You have taken 23 minutes.

Shri Shyam Nandan Mishra : Don't worry about that.

Shri Shanker Dayal Singh : Four hours were allotted for this debate which started at 4-15 P.M. and now it is 8 P.M. How long would it continue ? Let the time be extended.

Mr. Chairman : It is all because of repeated interuptions.

श्री श्याम नन्दन मिश्र : ऐसा माना जाता है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो को इस मामले में आगे बढ़ने से रोका गया है। अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता कि पिछले पांच मास में केवल मात्र हस्ताक्षरों का सत्यापन ही किया जा सका हो। यह एक बहुत ही जटिल मामला है। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है? एक निश्चित आरोप लगाया गया है और माननीय मंत्री ने अपने हस्ताक्षर स्वीकार भी किए हैं परंतु आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इन परिस्थितियों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो पर किस प्रकार विश्वास किया जा सकता है? केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अध्यक्ष ने एक बैठक में श्री वाजपेयी की इस बात को स्वीकार किया था कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मंत्री के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

यह कहा जा रहा है कि यदि कोई आपराधिक मामला हो तो उसमें न्यायालय में कार्यवाही की जाती है। यह केवलमात्र आपराधिक मामला नहीं है। इसमें मन्त्रीमहोदय एवं सदस्य दोनों की ओर से गलती हुई है। मंत्री महोदय को सोचना चाहिये कि इन पार्टियों के मामलों की सिफारिश पांडिचेरी कर्नाटक, तामिलनाडु के संसद् सदस्यों ने न करके दूर-दूर की जगहों के संसद् सदस्यों ने की है। अतः इससे ऐसा लगता है कि मंत्री महोदय और संसद् सदस्य की आपसी मिली-भगत से सब कुछ हुआ है। इस प्रकार के मामले की जांच केवल संसदीय समिति द्वारा ही की जा सकती है।

मेरा यह भी अनुरोध है कि आप इस बात पर भी विचार करें कि क्या सरकार उचित कार्यवाही कर रही है या राजनीतिक दृष्टिकोण से इस पर विचार हो रहा है। यदि राजनैतिक दृष्टिकोण से विचार हो रहा है तो क्या इसका अर्थ यह नहीं कि सरकार संसदीय पद्धति की पवित्रता को नष्ट कर रही है। यह एक बहुत ही व्यापक प्रस्ताव है और यदि संसदीय समिति की नियुक्ति की जाये तो सबके साथ न्याय हो सकता है। अतः इस के गठन का किसी को विरोध नहीं करना चाहिये।

श्री बी० आर० भगत (शाहबाद) : श्री वाजपेयी तथा नीपक्ष के अन्य सदस्यों ने सरकार के विरुद्ध आरोपों का चिट्ठा तैयार करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया है। श्री वाजपेयी ने अपने भाषण में कहा है कि वे नैतिक मूल्यों में ह्रास से चिंतित हैं। श्री एस० एन० मिश्र ने कहा है कि संसदीय कार्यकरण का भविष्य इससे सलंग्न है। श्री हीरेन मुकर्जी ने कहा है कि संसदीय पद्धति का ह्रास हुआ है। मैं उनकी इन बातों से सहमत नहीं। राष्ट्रीय समस्याओं को ताक पर रख कर जब जनता के असन्तोष व छोटे-छोटे मामलों को इस प्रकार उठाया जाए तो स्पष्ट है कि यह सरकार की प्रतिष्ठा को गिराने के विचार से है और इन लोगों को स्वयं ही इस पद्धति में विश्वास नहीं है। संसदीय कार्यकरण तो जनता के विश्वास पर आधारित है। इस मामले की तुलना अमरीका के 'वाटरगेट' मामले से की गई है। वास्तव में अमरीका उच्चतम अधिकारी ने पद्धति को खराब करने का प्रयास किया विपक्ष के लोग असम्बद्ध मामलों को इस प्रकार उठा कर स्वयं संसदीय पद्धति का ह्रास ला रहे हैं।

1971 में चुनावों में कांग्रेस की जीत पर अनेक प्रकार की बातें की गईं परन्तु उस जीत का वास्तविक कारण था कमजोर वर्गों का कांग्रेस को समर्थन। उत्तर प्रदेश के चुनावों में क्या हुआ। कांग्रेस को 32% मत प्राप्त हुए परंतु फिर भी विपक्षी दल राष्ट्रीय विकल्प प्रस्तुत करने में असफल रहे। संसद् में भी वे असफल रहे हैं। संसद् के माध्यम से वे देश में जगारूकता नहीं ला सके हैं। इसका कारण केवल यह है कि वे केवल चरित्र हनन व छींटाकशी कार्य में ही लगे रहे हैं।

किसी भी मामले में जांच की बात हो, तो सदस्यों द्वारा कहा जाता है कि इसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा जाए। क्योंकि जांच के लिए यह सरकारी अधिकरण है यदि किसी सदस्य के पास कोई तथ्य हों तो सदन को बताये जाने चाहिये जिससे उन पर विचार हो सके। उनकी जांच के पश्चात् सरकार इस बात का निर्णय करेगी कि वह ठीक हैं अथवा नहीं। श्री बाजपेयी ने कहा कि उनके द्वारा लगाये गये आरोप सही है। वास्तविकता यह है कि जो कुछ कहा गया है उससे संसदीय जांच का औचित्य सिद्ध नहीं होता। मुदगल के जिस मामले का उल्लेख किया गया है। वह आपराधिक मामला नहीं था। यह मामला उस प्रकार का नहीं है। संसद सदस्यों द्वारा किसी मामले में अभ्यावेदन देने के बारे में कोई अनौचित्य नहीं है। इसके बारे में निर्धारित प्रक्रिया है। उस बारे में केवल इतना है कि सदस्य का आचरण गलत ना हो और उसमें उसे कोई व्यक्तिगत लाभ न होता हो। इस मामले में 20 सदस्यों ने कहा है कि उनके हस्ताक्षर जाली हैं। जब साप्ताहिक ने प्रथम बार यह मामला उठाया तो कांग्रेस सदस्यों ने इस मामले को दूसरी सभा में उठाया था। यह बहुत दुख की बात है कि विपक्ष के सदस्यों ने उसे राजनैतिक रूप दिया है। इस वातावरण में स्वतन्त्र निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। अब से पूर्व किसी भी मामले में संसदीय जांच नहीं कराई गई है।

ब्रिटेन ने भी संसदीय प्रणाली के अनुभव के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रवर समिति की जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। अतः यहां पर भी यदि संसदीय समिति नियुक्त की गई तो उसका भी यही हाल होगा। उस समिति में राजनैतिक दृष्टिकोण से विचार होगा। अमरीका में भी लोकतन्त्र है परन्तु वहां पर संसदीय पद्धति नहीं है। अतः वाटरगेट घोटाले की जांच से इसकी तुलना नहीं की जा सकती।

हमें आज के वातावरण में संसदीय संस्थाओं के लिए परम्पराएं स्थापित करने का प्रयास करना चाहिये जो चरित्र हनन के आधार पर न हो। इस सब के करने का तात्पर्य यह नहीं कि इस मामले में जांच की आवश्यकता नहीं है। जांच की आवश्यकता तो है परन्तु उसके लिए सरकार पर विश्वास किया जाये। यह कहना भी उचित नहीं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो किसी मंत्री के विरुद्ध जांच नहीं कर सकता। यदि किसी मंत्री अथवा संसद सदस्य ने कोई अनियमितता की है तो उसकी जांच का काम किसी अधिकारी को नहीं सौंपा जा सकता। उसका निर्णय तो राजनैतिक आधार पर ही हो सकता है। (अन्तर्बाधाएं) लोकतन्त्र एवं निरंकुश शासन में अन्तर है। प्रधान मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा मामले की जांच की जा रही है। रिपोर्ट के मिलने पर यदि यह पाया जाए कि विशेषाधिकार भंग हुआ है व किसी सदस्य ने गलत आचरण किया है तो उस समय सभा द्वारा सदन की गरिमा-प्रतिष्ठा के संरक्षण के लिए कोई भी निर्णय किया जा सकता है। इस अवस्था पर संसदीय जांच की मांग से संसदीय प्रणाली सुदृढ़ नहीं होने वाली।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : इस चर्चा में भाग लेते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। आज पहली बार सारी संसद की बदनामी हुई है। हममें से कोई भी चरित्र हनन नहीं करना चाहता परंतु हम देश में भ्रष्ट प्रणाली को स्वच्छ करना चाहते हैं। यदि सदस्यों के जाली हस्ताक्षरों और लाइसेंस का मामला उठाया गया है तो वह केवल नैतिक आधार पर ही नहीं अपितु इस कारण से भी है कि इस कुप्रथा के कारण एक ओर तो संसदीय लोकतंत्र को खोखला किया जा रहा है और दूसरी ओर यदि यह प्रथा चलती रहे और संसदीय जांच न कराई गई तो इसके गंभीर आर्थिक दुष्परिणाम निकल सकते हैं। इसी कारण हम ने यह मामला उठाया है।

इसमें तकनीकी रूप से केवल यह बात नहीं है कि हस्ताक्षर किस ने बनाए। परन्तु इस संदर्भ में हमने देश में चल रही कुप्रथाओं पर भी विचार करना है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER IN THE CHAIR.]

यह इस प्रकार का अकेला घोटाला नहीं है। यह तो अनेक घोटालों में से एक है। श्री मधु लिमये ने सदन में कुछ मामले उठाये थे। एक मामला पंजाब के एक इंजीनियरिंग यूनिट का था जिसने आयातित ऊन और पालिस्टर फाइबर प्राप्त किया। इसी प्रकार दो लघु उद्योगों का मामला था जिन्होंने बहुत अधिक मूल्य के लाइसेंस प्राप्त किए। एक निर्यात गृह ने बहुत अधिक मूल्य के लाइसेंस प्राप्त किए और स्टेनलैस इस्पात चादरें प्राप्त करने के लिए उनका उपयोग किया। एक अन्य मामले में एक निर्यातक ने निर्यात बीजकों में अधिक मूल्य दिखाया।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सामान्य लाइसेंस नीति के बारे में उल्लेख करते हुए श्री मधु दंडवते ने चार मामलों का उल्लेख करते हुए दस्तावेजों का उल्लेख किया है। उससे पूर्व भी एक बार श्री मधु लिमये ने उन्हीं दस्तावेजों का उल्लेख किया था।

मैं चाहता हूं कि आप श्री लिमये को निदेश दें कि वह उन दस्तावेजों को सभा-पटल पर रखें। नियम 388 के अन्तर्गत उन दस्तावेजों को सभा में उपलब्ध कराया जाना चाहिए क्योंकि माननीय सदस्य उनका उल्लेख कर रहे हैं और हमें यह पता नहीं है कि वे दस्तावेज हैं क्या।

अध्यक्ष महोदय : जब तक मैं उन्हें देख न लूं तब तक मैं इस पर सहमत नहीं हो सकता।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : विदेशों में हमारी समूची व्यवस्था बदनाम हो रही है। अनेक देश राज्य व्यापार निगम जैसी एजेंसियों को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। विभिन्न देशों ने खनिज तथा धातु व्यापार निगम के अधिकारियों को अवांछनीय व्यक्ति घोषित कर दिया है। दूतावास के कुछ कर्मचारियों पर तस्करी का संदेह है। इस लाइसेंस घोटाले के विस्तृत समाचार जब विदेशों में जायेंगे तो देश की प्रतिष्ठा गिर जायगी।

वाद-विवाद के दौरान यह स्पष्ट कर दिया गया है कि श्री तुल मोहन राम ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो के समक्ष यह बात मान ली है कि उन्होंने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये थे। मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय सदस्य ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो के समक्ष यह बात भी स्वीकार की है कि उन्होंने कुछ धनराशि भी ली है? यदि हां, तो किस विशेष साधन से ?

इतना ही नहीं, श्री तुल मोहन राम ने अन्य ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किये हैं। इससे यह प्रथम दृष्टि में मामला बनता है। अतः संसदीय समिति द्वारा इस मामले की जांच कराई जानी चाहिए।

एक माननीय सदस्य ने ब्रिटेन में संसदीय समिति द्वारा जांच न कराये जाने की प्रथा का उल्लेख किया परन्तु उन्होंने यह बात नहीं बताई कि ब्रिटेन में जब प्रथम दृष्टि में मामला बन जाता है तो वहां मंत्रियों से त्याग-पत्र मांगा नहीं जाता अपितु मंत्रिगण अपनी ओर से त्याग-पत्र दे देते हैं। संसदीय समितियों की निष्पक्षता के बारे में हमें इस बात का गर्व है कि हमारी संसदीय समितियां निष्पक्ष रूप से कार्य करती हैं।

अतः यदि संसदीय समिति द्वारा इस मामले की जांच की मांग अस्वीकार की गई तो मैं सभा को चेतावनी देता हूं कि उन्नीसवीं शताब्दी में ब्रिटेन में प्रचलित पुराने उपाय पुनः काम में लाये जाने लगेंगे। इतने गंभीर घोटाले की जांच संसदीय समिति द्वारा करवाने से इन्कार करके क्या हम संसद द्वारा महाभियोग जैसे पुराने तरीकों को लागू करेंगे ? बेहतर यही है कि यह मांग स्वीकार कर ली जाये।

फ्रांस तथा रूस तथा अन्य देशों की क्रान्तियां वहां के शासकों के अत्यधिक भ्रष्टाचार के कारण ही हुई हैं।

मैं माननीय सदस्यों की अन्तरात्मा से अपील करता हूं कि वह श्री वाजपेयी के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करें।

श्री रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस के लिये चार घंटे का समय दिया गया है। हमें इसे कब तक और जारी रखना है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री राम गोपाल रेड्डी, इस बात को आप अन्य ढंग से भी पूछ सकते थे "व्यवस्था का प्रश्न" शब्दों का प्रयोग करने का क्या प्रयोजन है।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : अनेक कठोर शब्दों और भावुकतापूर्ण उद्वेग से महत्वहीन मामला महत्वपूर्ण नहीं बन सकता है विरोधी पक्ष के सदस्य विषय से परे हट गए हैं। प्रो० मधु दंडवते, श्री श्यामनन्दन मिश्र या मेहनती व्यक्ति श्री लिमये ऐसा एक भी मामला नहीं बता सके जहां ब्रिटिश संसद ने किसी आपराधिक मामले की जांच संसदीय समिति से करवाई हो। श्री श्यामनन्दन मिश्र ने प्रोफ्यूमो काण्ड का उदाहरण दिया। क्या उस मामले में अपराध के होने का कोई सुझाव था ? नहीं बिल्कुल नहीं। अब वे कहते हैं कि इस मामले में षड्यन्त्र रचा गया है। विरोधी पक्ष के सदस्यों ने फौजदारी कानून की ओर ध्यान नहीं दिया है। वे आरोप लगाते हैं, उन्होंने अपने समर्थन में कोई प्रथम दृष्टि में साक्ष्य नहीं दिया है। उनका यह कहना विषयसंगत है कि 20 संसद सदस्यों ने कहा है कि उनके हस्ताक्षरों को किसी ने जालसाजी से बनाया है। श्री वाजपेयी ने फौजदारी कानून की अपनी पूर्ण अनभिज्ञता का परिचय दिया है। यदि किसी ने किसी के जाली हस्ताक्षर बना लिये हैं तो इसका निर्णय न्यायालय को करना है।

मान लीजिये संसदीय समिति गठित भी की जाये और वह कह दे कि अमुक व्यक्ति दोषी है और वह व्यक्ति न्यायालय में जाये और न्यायालय कह दे कि वह दोषी नहीं है। तब क्या होगा ?

हम विशेषाधिकार समिति में यही तो करते हैं। पहले हम तथ्यों का पता लगाते हैं। तथ्यों का पता लगाने के लिये हम पुलिस या केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सहायता लेते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता में यह स्पष्ट दिया हुआ है कि एक बार यदि मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है तो उसे न्यायालय ही दाखिल दफ्तर कर सकता है। न्यायालय की अनुमति से ही उस मुकद्दमे को वापिस लिया जा सकता है।

श्री वाजपेयी कहते हैं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो में उन्हें विश्वास नहीं है। इसी सभा में अनेक अवसरों पर विरोधी पक्ष के सदस्यों ने अनेक मामलों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कराये जाने की मांग की है।

दुःख की बात यह है कि कोई व्यक्ति अनभिज्ञता समझ सकता है परन्तु जहां अनभिज्ञता और द्वेष मिल जाते हैं तो मैं नहीं जानता कि मुझे उसे क्या कहना चाहिए।

श्री वाजपेयी ने इसे भारत का वाटरगेट बताया है। कोई कह रहा था कि देश का यह दुर्दिन है कि विरोधी पक्ष लोकतंत्र की रक्षा करने में सतर्क नहीं है। विरोधी पक्ष अपने अनुत्तरदायी वर्ताव से देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं की प्रतिभा नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री वाजपेयी ने एक विचित्र तर्क दिया कि इन 20 सदस्यों ने कह दिया है कि ये हस्ताक्षर उनके नहीं है, अतः इसमें कोई न कोई बात है। वे स्वयं अपने प्रस्ताव से अलग हो गये हैं और यह इस बात का परिचायक है कि यह प्रस्ताव बिना किसी पूर्वोदाहरण के है। इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए।

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad) : The Members of the ruling party have relied on the provisions of the Cr. P.C. and thus they have tried to camouflage the corruption rampant in public life. I do not want to intervene in the debate but I would like to know if any share of the Tulsiyaga company of Karnataka is involved in the Maruti Limited in one form or the other ? An article against 21 Members and the Minister of Railways was published in the 'Blitz' in the month of March. Now it is September. How is it that none of the 21 Members or our Minister has contradicted that so far ?

Several Parliament members of the Congress Party also wanted to have a Parliamentary probe but now they are withdrawing their demand. Can their bonafides be trusted ? The matter should be investigated honestly.

May I know why such charges are being levelled against Shri L. N. Mishra only. There are other Ministers, why such charges are not made against them ?

Shri Tulmohan Ram is involved in Licence scandal. We have been told that during the period of last six months he has purchased 56 acers of land at the rate of 5 thousand rupees per acre.

Mr. Speaker : The motion is regarding the grant of Licence to Pandichery firms, Shri Chhotu Ram does not come in the picture.

Shri Janeshwar Mishra : Shri Tulmohan Ram is prooving a mystery, a riddle for the entire country. We will have to enquire about his previous conduct. It has been said that Shri Tulmohan Ram is running a school in the name of the father of Shri L.N. Mishra. May, I know whether L.N. Mishra's father was a national leader or a scholar ? Why this school is run in his name ? (*Interruption*)

C.B.I.'s probe in this case is neither fair nor justified. Who is going to act against the wishes of the Prime Minister ? Nobody can dare arising against the wishes of the Prime Minister. There is a conspiracy to destroy all the papers concerned with the licence scandal. As regards conspiracy I would like to say that the efforts are being made to avoid discussion on this subject.

Sir, this Government have made licences and permits to play an important role in the finances of the country. Those who are running the Government should prove fair and impartial in this regard.

In the end I will request my friends belonging to Congress Party to accept this motion moved by Shri Vajpayee.

Shri Shanker Dev (Bihar) : The point at issue is whether the enquiry should be conducted by CBI or by a Committee of Parliament members ?

Shri Shanker Dayal Singh (Chatra) : Sir, we are discussing a serious subject but the opposition parties have rendered the discussion ridiculous.

Sir, there are two significant points in this matter. One is, whether the matter should be investigated by CBI or by a Committee of Parliament members. The other point is about the prestige of the Parliament and sympathy shown towards Parliament members. But to criticise members under the garb of sympathetic feeling is not human like.

Shri Vajpayee has moved a motion in which a request has been made to constitute a Committee of 11 members nominated by the Speaker. Now 20 members have said that their signatures are forged signatures. When Shri Vajpayee does not agree with the statements of these truly members, then what is the justification of constituting a Committee consisting of 11 members.

Sir, the opposition members, on all such occasions, have always demanded a CBI probe but now in this case they do not want a probe by CBI. This matter cannot be made a political game.

As regards granting of license whosoever is found guilty of violating the rules and the procedures should be punished. These twenty members have got nothing to do in this case. They have been dragged into it by forging their signatures. There should be a Government declarations that these members are not concerned with this case in any way.

As regards deterioration of moral values, I would like to ask as to who is attaching the dignity of the august body of Parliament. Opposition parties and their members are using filthy words for this august body. Is it a protection of moral values and the dignity of the sovereign body.

Let us first receive the report of CBI probe and after that this matter may be considered.

With these words, I oppose this motion and request that the Government should make efforts to see that the probe is completed soon and the report is placed on the table.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं दो वर्षों से इस सभा का सदस्य चला आ रहा हूं परन्तु जितना दुःख मुझे आज हुआ इतना पहले कभी नहीं हुआ। सतारूढ़ दल के सदस्यों ने मूल तर्कों को अपना वाद-विवाद प्रतिभा से काटने का प्रयत्न किया है। ऐसा करने के बजाय हमें आत्म विश्लेषक बनकर यह पता लगाना चाहिये कि हम से व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कहां गलती हुई है। और हम जनता के विश्वास को संसद् में फिर से किस प्रकार पैदा करें।

इस वाद-विवाद में बहुत से सदस्य अनुपस्थित हैं । संसद के कार्यों में व्यस्त होने से अधिक और महत्वपूर्ण कार्य कौन हो सकता है। प्रत्येक सदस्य को वहां अपनी उपस्थित को प्राथमिकता देनी चाहिये। आवश्यक समझें, तो बोलना भी चाहिये। सदन के नेता को यहां उपस्थित होना चाहिये था और जो प्रश्न उठाये जायें उनका उत्तर देना चाहिये था।

समूची संसद् की बदनामी की गई है। यह किसी एक व्यक्ति, संसद सदस्य अथवा राजनैतिक दल का चरित्र हनन नहीं है। फिर भी क्या हमें पक्ष प्राप्त पूर्ण रवैया अपनाना चाहिये। हम सभी जनता की दृष्टि में संदिग्ध हैं। क्या हम इसे सहन करें ? क्या संसद के नाम पर लगे इस धब्बे को हमें दूर नहीं करना चाहिये। मंत्रियों की, सदस्यों की, सभी की आलोचना की जा रही है। आज जो लोग हमें, हमारे कार्यों को हर समय देखते हैं हम उन्हें धोखा नहीं दे सकते। वे लोग हमारी आलोचना कर रहे हैं। संसदीय जांच के द्वारा ही अब तक हुई मानहानि को दूर किया जा सकता है।

वाणिज्य मंत्री ने तथ्यों का उद्घाटन करने की बजाय समस्या को और जटिल बना दिया है। क्या हमें तकनीकी मसलों तथा दलगत भावनाओं के स्तर से ऊंचा नहीं उठना चाहिये।

मैं सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किये जाने के मामले को नहीं उठाना चाहता। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब वाणिज्य मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में सी० पी० एम० के एक सदस्य का नाम लिया तो बहुत से मित्रों ने इसका विरोध किया और जब एक अन्य विपक्ष के संसद् सदस्य का नाम लिया तो कांग्रेस दल के सदस्य बहुत प्रसन्न हुये....

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : जब यह मामला उठाया गया था तब मैं सभा में उपस्थित नहीं था। मुझे ज्ञात हुआ है कि मंत्री महोदय ने श्री वी० पी० नायर का नाम लिया है। श्री नायर दूसरी लोक सभा के सदस्य थे, तीसरी के नहीं। 1957 में श्री नायर ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था तथा सी० पी० आई० ने उसका समर्थन किया था। 1962 में सी० पी० आई० ने उसे पार्टी से निकाल दिया था। अब क्या श्री तुलमोहनराम को पार्टी से निकाला जायेगा (**व्यवधान**)

श्री पी० जी० मावलंकर : मेरा सुझाव है कि इस मामले की जांच करने के लिये एक संसदीय समिति बनाई जाये क्योंकि यह सभा की प्रतिष्ठा का मामला है।

भूतपूर्व मंत्री श्री बी० आर० भगत ने यह तर्क दिया है कि संसदीय समिति द्वारा जांच किये जाने की व्यवस्था पहले कभी नहीं की गई। किन्तु इसका उत्तर यह है कि पहले कभी ऐसा गम्भीर काण्ड हुआ भी कब था। संसदीय समिति द्वारा जांच किये जाने की आवश्यकता इस लिये भी है कि जनता का इस जांच में पूरा विश्वास होगा। जहां तक सी० बी० आई० की बात है, सभी सरकारी एजेंसियां उक्त समिति के अधीन कार्य करेंगी तथा किसी को दस्तावेजों में फेर-बदल करने का अवसर नहीं मिलेगा।

अन्त में, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो मामला संसद् की प्रतिष्ठा से संबंधित है उसको बहुमत की प्रतिष्ठा या सरकार की प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाया जाना चाहिये। आशा है सरकार इस सम्बन्ध में पुनः विचार करेगी।

गृह मंत्री (**श्री उमाशंकर दीक्षित**) : इस सम्बन्ध में दिये गये विभिन्न तर्कों का उत्तर देने से पूर्व मैं श्री मावलंकर द्वारा कही गई इन बातों का खण्डन करना चाहूंगा कि जिन सदस्यों ने हस्ताक्षरों के बारे में इन्कार किया है उन पर आशंकायें हैं तथा यह कि सम्पूर्ण सभा की प्रतिष्ठा पर आंच आई है। मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य को ऐसे निराधार आरोप नहीं लगाने चाहिये। माननीय सदस्य सदा कटु आलोचना ही करते हैं जिससे वातावरण का बिगड़ना स्वाभाविक है। उन्होंने सीक्योरिटी गार्ड के कथन पर विश्वास किया है किन्तु वह उसको भी समझ नहीं पाये।

Now I would like to reply the various points raised by Shri Atal Bihari Vajpayee. I have to complain against Shri Vajpayee for his raising certain points without giving any notice to us. He has mentioned the names of the members but he did not give any notice in that regard to us. Thus he has violated the procedure laid down by the House. (*Interruptions*).

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, I have written a letter to you seeking permission to move amendments because of the fact that I have got certain new facts yesterday. (*Interruptions*)

Shri Uma Shankar Dixit : Shri Vajpayee and some other hon. Members also have mentioned the name of Shri Mudgal. The Mudgal case and the present case are not similar in any way. In the meeting of Bombay Bullion Association, it was formally decided to send Shri Mudgal to the Parliament to represent their case. For that purpose, he was given a certain amount in the form of remuneration. This information was also conveyed to Panditji by the representative of the Government. Panditji did not consider it proper to decide that matter at his level and, therefore, entrusted the matter to the Committee. In that case, however, Shri Mudgal had to resign from the Membership. Thus, the present case is quite different from the case of Shri Mudgal.

An hon. Member has referred the case of Mr. Profumo. He had to resign only because of the fact that he misguided the House. He told a lie in the House. (*Interruptions*). But there is no similarity between that case and in the present case here. So far as the Watergate case is concerned. I don't find any similarity between the facts of that case and those of this case. In that case, efforts were made to suppress the facts.

जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, समाचारपत्र में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि लगभग 24 संसद् सदस्यों ने लाइसेंस सम्बन्धी घोटाला किया। इस समाचार की ओर सम्बद्ध मंत्री का ध्यान दिलाया गया तथा यह अनुरोध किया गया कि इस बारे में उपयुक्त कार्यवाही की जाये। केन्द्रीय जांच ब्यूरो को इस मामले की जांच किये जाने की अनुमति दे दी गई जिसके लिये अध्यक्ष महोदय की भी अनुमति मांगी गई थी।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगूसराय) : क्या आप इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि अध्यक्षपीठ की अनुमति के पश्चात् जांच कार्य आरम्भ किया गया था जिससे समाचारपत्र से बदला लिया जा सके ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : क्या माननीय सदस्य समाचारपत्र के प्रतिनिधि हैं ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री मिश्र ठीक कहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी अनुमति कब मांगी गई थी ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : लोक सभा सचिवालय को सूचना दी गई थी। (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने गत सप्ताह यह मामला उठाया था तथा आपने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मुझ से कोई अनुमति नहीं ली गई। मंत्री महोदय सभा को धोखा दे रहे हैं।

श्री उमाशंकर दीक्षित : मुझे ऐसा ही याद था। यदि मैंने गलत कहा है तो उसके लिये मुझे खेद है। (**व्यवधान**) मेरे सहयोगी इस स्थिति को स्पष्ट करेंगे।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : दिनांक 7 अप्रैल, 1974 को लोक सभा सचिवालय को एक पत्र लिखा गया था (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय। मंत्री महोदय आपको धोखा दे रहे हैं। इस पत्र में आपका नाम वहां उल्लिखित है? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इस पत्र में अध्यक्ष का उल्लेख कहां है ? मुझ से कब सलाह ली गई । यह बहुत गलत बात है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय ने जो पत्र पढ़ा है वह श्री पी० के० पटनायक को लिखा गया था। उस से आपका क्या सम्बन्ध है ? (**व्यवधान**)

श्री उमाशंकर दीक्षित : मैं यह बता रहा था कि पूछताछ के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने यह निष्कर्ष निकाला कि 20 संसद् सदस्यों का हस्ताक्षर किये जाने से इन्कार करना सच है । उन माननीय सदस्यों ने सभा में एक एक करके यह वक्तव्य भी दिया कि उनका हस्ताक्षर सम्बन्धी मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस स्थिति में सम्बध संसद् सदस्यों पर कोई आशंका नहीं की जानी चाहिये।

जहां तक 21वें सदस्य का सम्बन्ध है, (**व्यवधान**) वास्तव में अनेक सदस्य पत्रों को बिना पढ़े उन पर हस्ताक्षर कर देते हैं। कई बार अल्पसूचना प्रश्न आदि पर कई सदस्य मित्रों के कहने पर बिना देखे

हस्ताक्षर कर देते हैं। सभी पत्रों और दस्तावेजों को पढ़ना सदस्यों के लिये संभव भी नहीं है। हमारे पास अनेक व्यक्ति आते हैं तथा हम कभी उनसे यह नहीं कह पाते कि आप हमारे सामने अपने हस्ताक्षर करिये ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो का यह प्रशंसनीय कार्य है कि उन्होंने थोड़ी अवधि में भी यह पता लगा लिया है कि कौन से व्यक्ति दोषी नहीं हैं। पांडिचेरी की एक इम्पोर्टर्स एसोसियेशन है जिसके सचिव श्री पिले लाइसेंस लेने के लिये यहां आये थे।

बाद में इस बारे में सभी तथ्य एकत्र करके केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मामले को 4-5 धाराओं के अन्तर्गत रजिस्टर्ड करने की अनुमति मांगी थी।

श्री वाजपेयी जी ने कहा था कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो एक सरकारी एजेन्सी है।

Shri Shyam Nandan Mishra : The Parliament is not Governmental Agency.

Shri Uma Shankar Dixit : But the Parliament does not go for investigation. The Parliament has unlimited powers, but it cannot undertake search or seize anything.

They have raised the Watergate issue but that has no similarity with it.

केन्द्रीय जांच ब्यूरो सरकारी विभाग नहीं है। ये संसद द्वारा पारित कानन द्वारा निर्मित एजेंसी है। यदि यह एजेंसी पर्याप्त नहीं है तो हमारे पास एक और एजेंसी है।

Shri Shyamnandan has said that there is a need to establish a special agency. But that does not seem to be a practical proposition. In all our activities politics has come in. This question doet not pertain to majority and minority.

हम ऐसा कोई उदाहरण पेश नहीं करेंगे जिसके लिये हमें जीवन भर पछताना पड़े। मैं आप से इस मामले पर ठंडे दिमाग से सोचने का आग्रह करता हूं। यदि आप हमें नीचा दिखाना चाहते हैं तो राजनीति के हथियार से कार्य ले।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : संसद् सदस्यों के कदाचारों की जांच कौन करेगा ?

श्री उमा शंकर दीक्षित : कानन की दृष्टि में संसद सदस्य और मंत्री, सभी की स्थिति समान है। अन्तर केवल इतना ही है कि यदि कोई संसद् सदस्य सभा में कोई भेद प्रकट करता है तो उसकी जांच कोई बाह्य एजेन्सी नहीं कर सकती। जब तक तुलमोहनराम की जांच नहीं हो जाती मैं अधिक जानकारी नहीं दे सकता। उसके द्वारा बतायें गये नामों की जांच की जानी है।

श्री मधु लिमये (बांका) : क्या उन्होंने किसी अन्य संसद् सदस्य का नाम बताया है।

श्री उमाशंकर दीक्षित : नहीं

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : क्या उन्होंने पैसा लेने की बात स्वीकार कर ली है।

श्री उमाशंकर दीक्षित : यदि उन्होंने यह बात कही होती तो मैं आज ही निर्णय लेने देता। अभी मामला ऐसी स्थिति में है कि यह नहीं कहा जा सकता कि कौन व्यक्ति दोषी है। मेरे कहने का आशय यह नहीं है कि मामला संसद में नहीं आना चाहिये। मैं आश्वासन देता हूं कि जांच के पूरा होने पर हम मामले को तुरन्त संसद् में लायेंगे। अतएव मेरा आग्रह है कि इस पर आग्रह न किया जाये।

प्रो० मधु दंडवते : इसे ही सतर्क विरोधी पक्ष कहते हैं। यदि सभा की यह राय है कि यह मामला सभा की समिति को सौंपे जाने के योग्य नहीं है, तो श्री वाजपेयी जी के संकल्प को अस्वीकार कर दिया जाये।

Shri Atal Bihari Vajpayee : In this discussion the Ministers have participated on behalf of the Government. Various other members have participated but still various questions have remained to be unanswered.

Shri Uma Shankar Dixit : They have said about an officer that goods worth 1 crore was purchased which is lying idle. On enquiry by C.B.I. it has been found to be wrong.

Shri Atal Bihari Vajpayee : What Prof. Chattopadhyaya said does not give answer to this question that why the firms were denied licences for the last 18 years ? He has said that these firms were granted licences ex-gracia. What was the basis of Prof. Chattopadhyaya's settlement ? He has admitted that prior to the present application 3 other applications were received, one of them was also from Shri Tulmohan Roy. All these were rejected. The particular application was signed by 21M. Ps. headed by the same Shri Tulmohan Roy. Did not it arise any doubt ? Does the Foreign Trade Ministry acts in this manner?

The work of C.B.I. is directly run. Does it give a progress report to the concerned Ministry ?

Why the same thing does not apply to Shri Tulmohan Roy's case?

Shri Uma Shankar Dixit : The matter of crime is involved ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : Crime and in the status of Member of Parliament, a line can be drawn among them. A Parliamentary Committee can consider the actions of an M.P. If crime is involved this can be examined later.

If it is established a Parliamentary Committee may be formed. The question is as to who should investigate the matter?

Shri Uma Shankar Dixit : He had stated in the House, that is why it came up in the House. In this particular case, nothing has been said in the House, therefore it can not come up in the House.

Shri Shyam Nandan Mishra (Begusarai) : They had defended themselves in the House.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Shri Tul Mohan Ram had himself admitted in the House that he had signed the memorandum. Was he not asked as to who had put twenty signatures? All the twenty members have denied to have signed the memorandum.

श्री निम्बालकर (कोल्हापुर) : यह तो आप खुद ही कह रहे हैं कि उनके दस्तखत सबसे ऊपर थे।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Was he not asked about other signatures ? This is method of enquiry by C.B.I.?

Shri Madhu Limaye (Banka) : What did Shri Tul Mohan Ram say about other signatures ?

Shri Uma Shankar Dixit : He said that he did not know about them.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Was he asked about accepting money for sending the memorandum and getting the licence sanctioned ?

Shri Uma Shankar Dixit : We have not received any such report.

Shri Atal Bihari Vajpayee : What sort of enquiry is it ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : आरोप लगाये गये हैं। उनसे पूछा नहीं गया है और उन्होंने स्वीकार नहीं किया है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्री ज्योतिमर्य बसु ने 'ब्लिट्ज' में प्रकाशित पूरे समाचार की ओर ध्यान दिलाया है, जिसमें यह गम्भीर आरोप लगाया गया है कि एक माननीय सदस्य ने 1,50,000 रु० रिश्वत ली। माननीय मंत्री महोदय हर बात की उपेक्षा कर रहे हैं।

श्री उमा शंकर दीक्षित : आरोप तो अब भी है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आपने इस बारे में क्या किया ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : From the speech of the Home Minister, it has become quite clear that Shri Tul Mohan Ram is also being shielded . . . . (*Interruptions*). When a matter is to be kept hanging, it is referred to C.B.I. F.I.R. has been lodged, but against whom ?

श्री एच० आर० गोखले : मैं पहले ही कह चुका हूं कि लोगों का पता नहीं लगाया जा सका है। मामला दर्ज होने के बाद जांच पड़ताल शुरू हो गई है और जांच पड़ताल के दौरान उनका पता भी लगाया जाना है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : What does *Prima Facie* mean ? Against whom it is framed ? (*Interruptions*). Such replies do not enhance the prestige of Government. It is also doubtful whether Government is really serious to punish the guilty.

C.B.I. is not Central Bureau of Investigation, but it is Committed Bureau of Investigation. C.B.I. has always exonerated those involved in political corruption.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इसकी कौन जांच करेगा ?

श्री उमा शंकर दीक्षित : जब जांच पड़ताल पूरी हो जायगी, तब ये प्रश्न उठेंगे।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : ये सब साथ साथ होने चाहियें।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The statements of the Home Minister and the Law Minister are contradictory. The hon. Home Minister says that the matter may come up before Parliament, when C.B.I. enquiry is over, whereas the Law Minister say that in his view these matters could be looked into only by a Court of Law.

श्री एच० आर० गोखले : कृपया मेरे द्वारा बाद में व्यक्त किये गये विचारों पर भी ध्यान दीजिये। जांच पड़ताल का काम पूरा हो जाने के बाद सदन को विश्वास में लिया जायेगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee : What would be considered by the House, when would the matter go to the court ? The matter which is being considered by C.B.I. could be referred to a Court. I am sorry to say that the members of the ruling party are seeing the whole world with coloured eyes.They are now referring to corruption in Municipal Corporation, Delhi. If Congress members demand the appointment of a Committee to enquire into cases of Corruption there, we would Certainly support them. I am sorry to say that C.B.I. is responsible for the death of Shri Balraj Khanna. C.B.I. took undue time in contraaction of reports of C.B.I. raid published in certain papers.

This licence scandal is the glaring example of collusion of corrupt politicians, dishonest industrialists, traders and corrupt bureaucrats. Whatever probe was taking place, would be prejudiced by the statement of the Home Minister. Shri Tul Mohan Ram's admission of his signature on the memorandum amounts *prima facie* to an admission of his guilt and therefore, pending the completion of the probe, Shri Tulmohan Ram be suspended from the service of the House. But the majority party does not want to take any action against him. Who has been shielding him ? If the Congress Members do not think it a party matter, they should accept the demand for a Parliamentary probe. Can we not consider the matters of Corruption above party politics? If it is not so, there is no future of democracy in the country. I would request that my amendment alongwith the resolution be accepted, otherwise I would press for division. You can defeat the resolution, but you can not misguide 560 millions of people in the country.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 1 और 8 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendment Nos. 1 and 8 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 2, 3 और 9 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendment Nos. 2, 3 and 9 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 4 मतदान के लिये रखा गया ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided

पक्ष में	विपक्ष में
Ayes	Noes
34	175

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 5 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 5 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 6 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 6 was put and negatived.

संशोधन सं० 7 सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया।

Amendment No. 7 was by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 10 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 10 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 11 से 13 तक मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendment Nos. 11 to 13 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 14 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 14 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 16 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 16 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सं० 15 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 15 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा संकल्प करती है कि इस बात को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि संसद सदस्य सार्वजनिक जीवन में आचरण का उच्च स्तर बनाये रखें, अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट 11 सदस्यों की एक समिति गठित की जाये जो लोक सभा के 21 सदस्यों के कथित हस्ताक्षरों में वाणिज्य मंत्रालय को दिये गये अभ्यावेदन, मंत्री द्वारा किये गये इस रहस्योद्घाटन कि उनमें से अधिकांश हस्ताक्षर जाली हैं और अभ्यावेदन में उल्लिखित फर्मों को वास्तव में अलाट किये गये लाइसेंसों से सम्बद्ध समूचे मामले की जांच करें और इस बारे में आवश्यक सिफारिशें करें।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha Divided

पक्ष में	विपक्ष में
Ayes	Noes
34	179

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय : इस प्रस्ताव के बाद अगर कोई व्यक्ति हस्ताक्षरों का मिलान करने के लिये अनुरोध करता है या 21 सदस्यों में से किसी सदस्य से पूछताछ करना चाहता है तो हमारे कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

मैं सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। यह सत्र काफी स्मरणीय रहा है।

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned sine die.

MGIPRRND—36 LSS/74—Sec II D/S—10-12-74—490